August 2023

IAS BABA

One Stop Destination For UPSC/IAS Preparation

Baba's Monthly

CURRENT AFFAIRS MAGAZINE

Preserving Tribal Culture.

Justice Rohini Commission.

Digital Personal Data Protection Bill , 2023.

15th BRICS Summit.

Artificial Intelligence and its significance.

Constitutional Morality.

हिंदी

TOPPER'S RECOMMENDED
BEST CHOICE

www.iasbaba.com support@iasbaba.com +919169191888

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

Under The Guidance Of Mohan Sir (Founder, IASbaba)

Under The Guidance Of
Mohan Sir
(Founder, IASbaba)

- 78 Prelims Tests
- 95 Mains Tests
- Weekly Assignments Monitored by Mentor
- Performance Tracker
- Module Wise Classes of Choice
- Current Affairs Classes
- Live solving of Prelims PYQ'S by Prelims Experts
- Enhanced Peer Group Activities

Bangalore Delhi
Bhopal Lucknow Online

ADMISSION OPEN

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

- न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग
- राजभाषा पर संसद की समिति
- केरल का नाम बदलना
- चुनाव आयुक्तों के लिए चयन पैनल
- प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल)
- ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन
- टेली-लॉ- 2.0
- अनुच्छेद 35A
- अंतरराष्ट्रीय संबंध
- कुरील द्वीप विवाद
- 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन
- चीन और भूटान सीमा विवाद

अर्थव्यवस्था

- आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड
- आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक
- पीएम-कुसुम योजना
- आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI)
- राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम
- इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)
- सेबी द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली
- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)
- बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF)

भूगोल

- ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना
- प्रोजेक्ट देविका
- दीपोर बील
- तम्पारा झील
- पोंग बांध
- सुलिना चैनल
- फ्लडवाच
- मैटी केला
- हिलेरी चक्रवात
- लिकारू-मिग ला-फुकचे सड़क
- परवनर रिवर
- मैजिक राइस

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

- ग्रेट बैरियर रीफ
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
- वाक्विटा पोरपोइज़
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)
- अमेज़ॅन सहयोग संधि संगठन (ACTO)
- टर्टल सर्वाइवल एलायंस (TSA)
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)
- टैचीमेनोइड्स हैरिसनफोर्डी
- हंगुल
- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)
- प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा (KDMECC)
- जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- हेपेटाइटिस
- स्क्रब टाइफस
- स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ़ साइट (NLOS)
- हवाना सिंड्रोम
- RISC V- सेमीकंडक्टर
- लूना 25 मिशन
- आदित्य L1

- चंद्रयान-3
- स्मिशिंग

इतिहास, कला एवं संस्कृति

- जलेसर धातु शिल्प
- ज्ञानवापी मस्जिद विवाद
- पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर
- मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ
- मदन लाल ढींगरा

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

- SAGE और SACRED पोर्टल
- गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना
- डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस)
- अमृत भारत स्टेशन में योजना
- PUShP पोर्टल
- **GREAT स्कीम**

विविध

- लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार
- वीरता पुरस्कार
- असम राइफल्स
- इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क
- अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)
- भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई)
- ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस

GS-Paper 1

- **जनजातीय संस्कृति का संरक्षण**

GS- Paper 2

- **भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक**, 2023
- **डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक**, 2023
- **मॉब लिंचिंग**
- **खान एवं खनिज विधेयक** 2023
- **ब्रिक्स का विस्तार**
- **मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक**, 2023

GS- Paper 3

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका महत्व
- बायोसिमिलर (Biosimilars)

GS-Paper 4

- भारत ने जानवरों को दवा-परीक्षण से हटाने के लिए पहला कदम उठाया
- संवैधानिक नैतिकता
- प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका

PRACTICE QUESTIONS

KEY ANSWERS

IASBABA

PRELIMS

राजव्यवस्था और शासन

न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग

संदर्भ: न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है।

पृष्ठभूमि:-

- दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी रोहिणी, आयोग के अध्यक्ष हैं।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की गई थी।
- आयोग को ओबीसी की केंद्रीय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों का अध्ययन करने और किसी भी दोहराव, अस्पष्टता, विसंगतियों और वर्तनी या प्रतिलेखन की त्रुटियों के सुधार की सिफारिश करने का काम सौंपा गया था।

न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग के बारे में:-

- यह वर्ष 2017 में गठित किया गया था।
- **अध्यक्ष:** न्यायमूर्ति जी रोहिणी, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय।
- आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।
    - **अनुच्छेद 340:** राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, भारत के क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच करने के लिए ऐसे व्यक्तियों से मिलकर एक आयोग नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझते हैं।
- **रोहिणी आयोग का अधिदेश:** अन्य पिछड़ा वर्ग के उप-वर्गीकरण से संबंधित मामलों की जांच करना। (ओबीसी उपवर्गीकरण)

उप-वर्गीकरण की आवश्यकता:-

- उप-वर्गीकरण यह सुनिश्चित करता है कि जो समुदाय ओबीसी समुदायों में अधिक पिछड़े हैं, वे शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। (ओबीसी आरक्षण)

ओबीसी के लिए अन्य आयोग:-

कालेलकर आयोग:-

- इसकी स्थापना 1953 में की गई थी।
- यह राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने वाला पहला था।

मंडल आयोग:-

- इसकी स्थापना 1979 में की गई थी।
- इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1980 में ओबीसी आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया और 1,257 समुदायों को पिछड़े के रूप में वर्गीकृत किया गया।

ओबीसी के लिए संवैधानिक निकाय:-

- **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी):** 102वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
- यह पहले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था।

अवश्य पढ़ें: स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण

स्रोत: AIR

राजभाषा पर संसद की समिति

संदर्भ: हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद की राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता की।

परिचय:

- राजभाषा पर संसद की समिति की स्थापना 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के तहत की गई थी।
- संविधान के अनुच्छेद 351 द्वारा हिंदी के सक्रिय प्रचार को अनिवार्य किए जाने के साथ, आधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग की समीक्षा करने और उसे बढ़ावा देने के लिए राजभाषा समिति की स्थापना की गई थी।
    - समिति की पहली रिपोर्ट 1987 में प्रस्तुत की गई थी।
- समिति का गठन और अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा की जाती है, और 1963 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, इसमें 30 सदस्य (लोकसभा से 20 सांसद और राज्यसभा से 10 सांसद) होते हैं।
- अन्य संसदीय पैनलों के विपरीत, यह पैनल अपनी रिपोर्ट संसद को सौंपता है, यह पैनल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो "[तब] रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाकर सभी राज्य सरकारों को भेजता है"।
- **समिति का उद्देश्य है:**
    - सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करना, तथा
    - आधिकारिक संचार में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए सिफ़ारिशें करना।

हिंदी एवं अन्य भाषाओं की संवैधानिक स्थिति:

- भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 आधिकारिक भाषाएँ हैं, जिनमें हिंदी भी शामिल है। **(यूपीएससी सीएसई: भारत की भाषाएँ)**
- अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि, यह संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को प्रोत्साहित करके इसे भारत में सामान्य भाषा (विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक साझा भाषा) बनाए, बिना इसकी प्रतिभा, शैली और अभिव्यक्ति में हस्तक्षेप किए।
- अनुच्छेद 348 (2) में प्रावधान है कि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, उच्च न्यायालय की कार्यवाही में राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी भाषा या किसी अन्य भाषा के उपयोग को अधिकृत कर सकता है। उस राज्य में इसकी प्रमुख सीट होने पर यह प्रावधान है कि ऐसे उच्च न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री, निर्णय या आदेश अंग्रेजी में होंगे।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 में प्रावधान है कि अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त उस राज्य के लिए उच्च न्यायालय द्वारा किये गए निर्णयों आदि का उद्देश्य किसी राज्य की हिंदी या राजभाषा का उपयोग भारत के राष्ट्रपति की सहमति से, राज्य के राज्यपाल द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। **(यूपीएससी सीएसई: त्रिभाषा फार्मूला)**

स्रोत: द हिंदू

केरल का नाम बदलना

संदर्भ: केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया है।

पृष्ठभूमि:-

- मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया, कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष ने किसी भी बदलाव का सुझाव नहीं दिया।

केरल का गठन:-

- वर्ष 1949 में: त्रावणकोर और कोच्चि का विलय कर त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन किया गया। (रियासतों का एकीकरण)
- राज्य पुनर्गठन आयोग ने केरल को मलयालम भाषी लोगों के लिए एक राज्य बनाने की सिफारिश की।
- केरल राज्य 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आया।
- मलयालम में, राज्य को केरलम कहा जाता है, जबकि अंग्रेजी में इसे केरल कहा जाता है।

नाम की उत्पत्ति:-

- 'केरल' नाम की उत्पत्ति के बारे में कई सिद्धांत हैं।
- सबसे प्रारंभिक पुरालेख रिकॉर्ड: 257 ईसा पूर्व का अशोक का शिलालेख II।
- शिलालेख में स्थानीय शासक को केरलपुत्र (संस्कृत में "केरल के पुत्र") के रूप में संदर्भित किया गया है, और चेरा राजवंश का संदर्भ देते हुए "चेरा का पुत्र" भी कहा गया है।
- 'केरलम' के बारे में विद्वानों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति 'चेरम' से हुई होगी।
- नाम का महत्व: 'केरलम' क्षेत्र के लोगों के मूल उच्चारण, ऐतिहासिक जड़ों और सांस्कृतिक पहचान के साथ अधिक निकटता से मेल खाता है।

भारत में किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया:-

- यह प्रस्ताव पहले राज्य सरकार की ओर से आना होता है।
- **गृह मंत्रालय (एमएचए) की मंजूरी:** केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) कई एजेंसियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के बाद कार्यभार संभालता है और अपनी सहमति देता है।
    - इन एजेंसियों में रेल मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डाक विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और भारत के रजिस्ट्रार जनरल शामिल हैं।
- **संसदीय कार्यवाही:** यदि गृह मंत्रालय प्रस्ताव को स्वीकार्य पाता है और सभी आवश्यक एनओसी प्राप्त कर ली जाती है, तो एक संवैधानिक संशोधन विधेयक शुरू किया जा सकता है।
    - विधेयक लोकसभा (निचला सदन) और राज्यसभा (उच्च सदन) दोनों में सामान्य विधायी प्रक्रिया से गुजरता है।
    - विधेयक को प्रत्येक सदन में पारित होने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
    - दोनों सदनों से पारित होने के बाद यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो विधेयक कानून बन जाता है।
- **कार्यान्वयन:** राष्ट्रपति की सहमति के साथ, नाम परिवर्तन आधिकारिक हो जाता है और उसके बाद राज्य का नाम बदल दिया जाता है।

किसी राज्य का नाम बदलने के संवैधानिक प्रावधान:-

- किसी मौजूदा राज्य का नाम बदलने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
- **परिचय:** किसी राज्य का नाम बदलने का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद में पेश किया जा सकता है।
- **राज्य विधानसभा परामर्श:** विधेयक पेश करने से पहले, राष्ट्रपति निर्धारित समय के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए विधेयक को संबंधित राज्य विधानसभा को भेजते है।
    - राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं है, न तो राष्ट्रपति पर न ही संसद पर।
- **संसदीय अनुमोदन:** विधेयक को विचार-विमर्श के लिए संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और इसे कानून के रूप में बदलने के लिए के लिए साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।
- **राष्ट्रपति की मंजूरी:** विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है।
    - जब उक्त बिल स्वीकृत हो जाता है, तो बिल एक कानून बन जाता है और राज्य का नाम बदल दिया जाता है।

अवश्य पढ़ें: असममित संघवाद

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

चुनाव आयुक्तों के लिए चयन पैनल

संदर्भ: हाल ही में, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) की नियुक्ति पर एक विधेयक राज्यसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

पृष्ठभूमि:-

- केंद्र का विधेयक एक समिति स्थापित करने का प्रयास करता है, जिसमें शामिल होते हैं:
    - प्रधान मंत्री,
    - लोकसभा में विपक्ष के नेता,
    - भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के सदस्यों के चयन के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री।
- इस साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि चुनाव आयुक्तों का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति द्वारा किया जाना चाहिए।
- न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ ने चुनाव आयुक्तों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश पारित किया। निर्देश पारित करते समय, पीठ ने कहा कि चुनाव आयुक्तों के लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित करने वाले संविधान के अनुच्छेद 324(2) के संदर्भ में कोई संसदीय कानून मौजूद नहीं है।

भारत निर्वाचन आयोग के बारे में:-

- **स्थापना:** 25 जनवरी 1950
- यह भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक संवैधानिक निकाय है।
- यह लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों और देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनावों का प्रबंधन करता है।

चुनाव आयोग की संरचना:-

- मूलतः आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। (मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी))
- इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं।
- **वर्ष 1989 में :** पहली बार दो अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किये गये।
- वर्ष 1993 से बहु-सदस्यीय आयोग की अवधारणा लागू है।

आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल और विशेषाधिकार:-

- **अब तक की नियुक्ति प्रक्रिया:** अनुच्छेद 324(2) के तहत सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
    - कानून मंत्री विचारार्थ प्रधानमंत्री को उपयुक्त उम्मीदवारों का एक समूह सुझाते हैं।
    - राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति करता है।
- **कार्यकाल:** छह वर्ष, या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो।
- **वेतन:** वे उसी स्थिति का आनंद लेते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

चुनाव आयुक्तों को हटाना:-

- वे कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाया भी जा सकता है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही सीईसी को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही पद से हटाया जा सकता है।

अन्य आयुक्तों को हटाने का मुद्दा:-

- दो चुनाव आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया के बारे में संविधान शांत है।
- संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल निर्दिष्ट नहीं किया गया है।
- संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी भी आगे की नियुक्ति से नहीं रोका है।

जरूर पढ़े : चुनाव आयोग की निष्पक्षता

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल)	**संदर्भ:** नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल) सोसायटी का नाम बदलकर प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) सोसायटी कर दिया गया है। **परिचय :-** • **बनाया गया:** यह रॉबर्ट टोर रसेल द्वारा डिज़ाइन किया गया। • **मंत्रालय:** संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार • **स्थान:** नई दिल्ली ○ यह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के दक्षिण में स्थित ऐतिहासिक तीन मूर्ति परिसर में स्थित है। • यह एक स्वायत्त संस्था है। • **उद्देश्य:** आधुनिक और समकालीन भारत पर उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देना। • **प्रशासन:** इसे सामान्य परिषद और पीएमएमएल सोसायटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • इसे 1929-30 में एडविन लुटियंस की शाही राजधानी के हिस्से के रूप में बनाया गया था। • तीन मूर्ति हाउस (Teen Murti House) भारत में कमांडर-इन-चीफ का आधिकारिक निवास था। • **वर्ष 1948 में:** अंतिम ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ के जाने के बाद, तीन मूर्ति हाउस स्वतंत्र भारत के पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू का आधिकारिक निवास बन गया, जो 27 मई, 1964 को अपनी मृत्यु तक सोलह वर्षों तक यहाँ रहे। • **वर्ष 1964 में:** 14 नवंबर 1964 को जवाहरलाल नेहरू की 75वीं जयंती पर, भारत के राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने औपचारिक रूप से तीन मूर्ति हाउस को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया। • **वर्ष 1966 में:** 1 अप्रैल 1966 को, सरकार ने संस्था के प्रबंधन के लिए प्रधान मंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय (पीएमएमएल) सोसायटी की स्थापना की। **प्रमुख घटक:-** **इसके चार प्रमुख घटक हैं, अर्थात्: -** • मेमोरियल संग्रहालय • आधुनिक भारत पर पुस्तकालय • समसामयिक अध्ययन केंद्र (अमर जवान ज्योति, युद्ध स्मारक का विलय) • नेहरू तारामंडल **अवश्य पढ़ें:** सरदार पटेल - भारत के लौह पुरुष **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन	**संदर्भ:** हाल ही में ई-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। **ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में:-** • **स्थान:** इंदौर, मध्य प्रदेश • **द्वारा आयोजित:** मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। • **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), 1997 से एक राज्य सरकार के साथ साझेदारी में संयुक्त रूप से इसका आयोजन कर रहे हैं। • **थीम:** विकसित भारत: नागरिकों को सशक्त बनाना। (शासन 4.0)

	• **प्रतिभागी:** सम्मेलन में 28 राज्यों, नौ केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योगों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। • यह सम्मेलन जिला-स्तरीय पहल, नागरिक-केंद्रित सुविधाएं प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और डेटा प्रशासन सहित 11 विषयों पर केंद्रित होगा। • सम्मेलन के दौरान 5 श्रेणियों में राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2023 भी प्रदान किए जाएंगे। **ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार:-** • इन्हें ई-गवर्नेंस पहल के अनुकरणीय कार्यान्वयन के लिए हर साल प्रस्तुत किया जाता है। **(वैश्विक डिजिटल प्रशासन)** • पुरस्कार का उद्देश्य ○ ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को पहचानना। ○ स्थायी ई-गवर्नेंस पहलों को डिजाइन करने और लागू करने के प्रभावी तरीकों पर ज्ञान का प्रसार करना। ○ सफल ई-गवर्नेंस समाधानों में वृद्धिशील नवाचारों को प्रोत्साहित करना। ○ समस्याओं को सुलझाने, जोखिमों को कम करने, मुद्दों को हल करने और योजना बनाने में अनुभवों को बढ़ावा देना और उनका आदान-प्रदान करना। **NAeG 2022-23** • इस वर्ष, ई-गवर्नेंस 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की पुरस्कार योजना के तहत श्रेणियों को संशोधित किया गया है। • **इसमें 5 पुरस्कार श्रेणियां हैं:** ○ डिजिटल परिवर्तन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना ○ नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग ○ ई-गवर्नेंस में जिला-स्तरीय पहल ○ शैक्षणिक/अनुसंधान संस्थानों द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर शोध ○ स्टार्टअप्स द्वारा शासन में उभरती प्रौद्योगिकियों का अनुप्रयोग **अवश्य पढ़ें:** ई-रुपी और शासन **स्रोत:** AIR
टेली-लॉ- 2.0	**संदर्भ:** केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हाल ही में टेली-लॉ- 2.0 लॉन्च किया। **टेली-लॉ- 2.0 के बारे में:-** • **मंत्रालय:** कानून एवं न्याय मंत्रालय। • यह टेली-लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करता है। • **उद्देश्य:** कानूनी सहायता तक नागरिकों की पहुंच को और बढ़ाना। • यह आम नागरिक को एकल पंजीकरण और टेली-लॉ के सिंगल गेटवे के माध्यम से कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। (टेली-लॉ से लाखों लोगों को फायदा) **टेली-लॉ कार्यक्रम के बारे में:-** • **मंत्रालय:** कानून और न्याय मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY)। • **उद्देश्य:** यह कार्यक्रम एक ई-इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वंचित वर्ग को वकीलों के एक पैनल से जोड़ता है। **कार्यरत:-** • यह उन वकीलों को उन वादियों से जोड़ने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं और टेलीफोन सेवाओं का उपयोग करता है जिन्हें कानूनी सलाह की आवश्यकता होती है। • यह राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (SALSA) और CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) में तैनात वकीलों के एक पैनल के माध्यम से कानूनी सलाह वितरण की सुविधा प्रदान करना है।

	शुल्क:- • यह सेवा उन लोगों के लिए निःशुल्क है जो कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता के लिए पात्र हैं। • अन्य सभी के लिए, मामूली शुल्क लिया जाता है। **अवश्य पढ़ें:** नागरिकों का टेली-लॉ मोबाइल ऐप **स्रोत:** AIR
अनुच्छेद 35A	**संदर्भ:** हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने से लोगों के मौलिक अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, खासकर उन लोगों के जो जम्मू-कश्मीर से नहीं थे। **पृष्ठभूमि:-** • अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित करने के मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। • संविधान पीठ की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने की। **अनुच्छेद 35ए के बारे में:-** • अनुच्छेद 35A अनुच्छेद 370 का हिस्सा था, जो 2019 में ख़त्म होने तक जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाता था। ○ **अनुच्छेद 370:** इसने राज्य को अपना संविधान, एक अलग ध्वज और विदेशी मामलों, रक्षा और संचार को छोड़कर सभी मामलों पर स्वतंत्रता की अनुमति दी। • अनुच्छेद 35-A राज्य के "स्थायी निवासियों" को परिभाषित करने के लिए जम्मू और कश्मीर संविधान को सशक्त बनाने से संबंधित है। • यह जम्मू और कश्मीर विधानमंडल को स्थायी निवासियों या राज्य के विषयों को विशेष अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करने का भी अधिकार देता है। • इनमें सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में अधिकार और विशेषाधिकार, राज्य में संपत्ति का अधिग्रहण, छात्रवृत्ति और अन्य सार्वजनिक सहायता और कल्याण शामिल हैं। • यह राज्य के बाहर के लोगों को यहां आने से रोकता है:- ○ वहां अचल संपत्ति खरीदना या उसका स्वामित्व रखना ○ स्थायी रूप से बसना ○ राज्य प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ उठाना। • केवल जम्मू-कश्मीर विधानसभा ही दो-तिहाई बहुमत से पारित कानून के माध्यम से स्थायी निवासियों की परिभाषा को बदल सकती है। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • यह कानून डोगरा काल के दौरान अस्तित्व में आया जब महाराजा हरि सिंह ने 1927 में इसे पारित किया। • इसे राज्य में पंजाबियों के आगमन को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। • बाद में, 1954 में, जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल की सहायता और सलाह पर भारत के राष्ट्रपति (राजेंद्र प्रसाद) द्वारा जारी संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 के माध्यम से कानून का एक संशोधित संस्करण जोड़ा गया था। • इसने नेहरू और जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला के बीच 1952 के दिल्ली समझौते का स्थान लिया, जिसने जम्मू-कश्मीर के 'राज्य विषयों' के लिए भारतीय नागरिकता का विस्तार किया। • जम्मू और कश्मीर संविधान के तहत, जिसे 17 नवंबर, 1956 को अपनाया गया था, एक स्थायी निवासी वह है जो 14 मई, 1954 तक राज्य में रह रहा है, या जो 10 वर्षों से राज्य का निवासी है, और "राज्य में वैध रूप से अचल संपत्ति

अर्जित की है"।

अनुच्छेद 35A को लेकर विवाद:-

- ऐसा माना जाता है कि अनुच्छेद 368 से बचाते हुए अनुच्छेद 35ए को असंवैधानिक रूप से शामिल किया गया है जो केवल संसद को संविधान में संशोधन करने से मुक्त करता है।
    - **अनुच्छेद 368:** संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों से संबंधित है।
- इसे "भारत की एकता की भावना" के खिलाफ माना जाता है क्योंकि इसने जम्मू-कश्मीर के गैर-स्थायी निवासियों को 'द्वितीय श्रेणी' नागरिकों के रूप में मानकर "भारतीय नागरिकों के एक वर्ग के भीतर एक वर्ग" बनाया।
- अन्य राज्यों के नागरिकों को जम्मू-कश्मीर के भीतर रोजगार पाने या संपत्ति खरीदने से रोकना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। (अनुच्छेद 19)
- लैंगिक आधार पर भी संभावित भेदभाव है - क्योंकि यह उन महिलाओं के बच्चों को संपत्ति के अधिकार से वंचित करता है जो राज्य के बाहर से शादी करती हैं।

वर्तमान स्थिति:-

- 5 अगस्त 2019 को, भारत के राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 प्रख्यापित किया।
- आदेश ने अनुच्छेद 370 के प्रावधान के तहत जम्मू और कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया।
- इसने "संविधान (जम्मू और कश्मीर पर लागू) आदेश, 1954 को खत्म कर दिया" जिसके तहत अनुच्छेद 35 ए को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। (जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (राज्य कानूनों का अनुकूलन) आदेश, 2020)

अवश्य पढ़ें: अनुच्छेद 21 के तहत पासपोर्ट एक मौलिक अधिकार है।

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

IASBABA

अंतरराष्ट्रीय संबंध

कुरील द्वीप विवाद

सन्दर्भ: हाल ही में रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच टोक्यो और मॉस्को के बीच कुरील द्वीप समूह का विवाद एक बार फिर सामने आया।

पृष्ठभूमि:-

- जैसे-जैसे यूक्रेन पर रूस का आक्रमण बढ़ता जा रहा है, रूस को अपने अधिक से अधिक सैन्य और आर्थिक संसाधनों को अपनी पश्चिमी सीमा पर भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
- टोक्यो में, रूढ़िवादी आवाज़ें संकेत दे रही हैं कि युद्ध से जापान को उस पर नियंत्रण करने का मौका मिल सकता है जिसे जापानी उत्तरी क्षेत्र कहते हैं।

कुरील द्वीप विवाद के बारे में:-

- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:** द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत सेनाओं ने रूस में रणनीतिक रूप से स्थित कुरील द्वीपों पर कब्ज़ा कर लिया।
  - रूस सभी कुरील द्वीपों का प्रशासन करता है।
  - हालाँकि, जापान उन्हें अपने उत्तरी क्षेत्रों का हिस्सा मानता है।
  - ये इटुरुप (जापानी में एटोरोफू), कुनाशीर (कुनाशिरी), शिकोटन और हबोमाई आइलेट्स हैं।
- **अब तक कोई संधि नहीं हुई:** मॉस्को और टोक्यो ने पहले भी कई बार इन द्वीपों के बारे में बातचीत की है लेकिन समाधान पर सहमति नहीं बन पाई।
  - इसके कारण दोनों पक्षों ने युद्ध को समाप्त करने के लिए कभी भी औपचारिक रूप से शांति संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए।
- **चीन की रूचि:** ऐसी अटकलें हैं कि कुरील द्वीप समूह पर कब्ज़ा करने में चीन की हिस्सेदारी हो सकती है।
- कुरील द्वीप समूह चीन को आर्कटिक क्षेत्र के साथ-साथ सीधे उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में नौसैनिक बंदरगाहों तक पहुंच प्रदान करेगा।

कुरील द्वीप समूह के बारे में:-

- कुरील द्वीप समूह द्वीपों की एक श्रृंखला है जो जापानी द्वीप होक्काइडो से लेकर रूस के कामचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक फैला हुआ है।
- द्वीप ओखोटस्क सागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से अलग करते हैं।
- इस द्वीपसमूह में 22 प्रमुख द्वीप, 36 छोटे टापू और कई चट्टानें शामिल हैं।

	• कुरील द्वीप प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं, जो प्रशांत महासागर का एक क्षेत्र है जहां अक्सर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। • प्रशासन: रूस अपने सबसे पूर्वी क्षेत्र के हिस्से के रूप में सभी कुरील द्वीपों का प्रशासन करता है। **दक्षिण कुरील द्वीप समूह का महत्व:-** **प्राकृतिक संसाधन:** • द्वीपों के चारों ओर समृद्ध मछली पकड़ने के उथले मैदान हैं। • ऐसा माना जाता है कि यहाँ तेल और गैस के अपतटीय भंडार हैं। • इटुरुप के कुड्रियावी ज्वालामुखी पर दुर्लभ रेनियम भंडार पाए गए हैं। • रेनियम के निकेल-आधारित सुपरअलॉय (superalloys) का उपयोग जेट इंजन के दहन कक्षों, टरबाइन ब्लेड और निकास नोजल में किया जाता है। • पर्यटन भी आय का एक संभावित स्रोत है, क्योंकि द्वीपों में कई ज्वालामुखी और विभिन्न प्रकार के बर्डलाइफ हैं। **सामरिक महत्व:** • रूस ने इस क्षेत्र में मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। (भारत-रूस संबंध) • रूस एक पनडुब्बी परियोजना की भी योजना बना रहा है और द्वीपों के किसी भी अमेरिकी सैन्य उपयोग को रोकने का इरादा रखता है। **सांस्कृतिक महत्व:** • जापानी लोग, विशेष रूप से होक्काइडो में रूढ़िवादी, द्वीपों से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। (भारत-जापान सहयोग) **अवश्य पढ़ें:** रूस-यूक्रेन युद्ध पर परिप्रेक्ष्य **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन	**संदर्भ:** दक्षिण अफ्रीका में जोहान्सबर्ग की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया। **पृष्ठभूमि:-** • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 से 24 अगस्त 2023 तक दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग की तीन दिवसीय यात्रा पर थे। **15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में:-** **IMAGE SOURCE: IASBABA** • **स्थापना:** वर्ष 2009 में • **सदस्य:** ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। • पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: वर्ष 2009, रूसी संघ में।

	• पिछला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन/14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: वर्ष 2022, चीन में। • 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: वर्ष 2023, दक्षिण अफ्रीका। • 'ब्रिक्स' दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं, अर्थात् ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त रूप है। (ब्रिक्स) • **नामकरण:** ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन की चार उभरती अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए 2001 में "BRIC" शब्द गढ़ा। • **अध्यक्षता:** इसके संक्षिप्त नाम B-R-I-C-S के अनुसार, सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होता है। • कुल मिलाकर, ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% और सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का लगभग 30%, वैश्विक व्यापार का 16% हिस्सा है। • **पहल:** न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी), आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, ब्रिक्स भुगतान प्रणाली सीमा शुल्क समझौते, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। • **नई पहल:** ब्रिक्स अपनी स्वयं की "नई मुद्रा" प्रणाली शुरू करने की योजना बना रहा है, जो डी-डॉलरीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ○ **डी-डॉलरीकरण (De-dollarization):** व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना। **ब्रिक्स के उद्देश्य:-** • अधिक टिकाऊ, न्यायसंगत और पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के भीतर और व्यक्तिगत देशों के बीच सहयोग को गहरा, व्यापक और तीव्र करना। • यह प्रत्येक सदस्य की वृद्धि, विकास और गरीबी के उद्देश्यों को ध्यान में रखता है। • यह विविध उद्देश्यों के साथ एक नई और आशाजनक राजनीतिक-राजनयिक इकाई के रूप में उभर रही है। **भारत और ब्रिक्स:-** • भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है। • इसने वर्ष 2021 में नई दिल्ली में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किया। **भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व:-** • परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) सदस्यता: भारत अपनी एनएसजी सदस्यता पर अन्य ब्रिक्स देशों के साथ बातचीत कर रहा है। • **बुनियादी ढांचे के लिए फंड:** एनडीबी भारत को उनके बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने और उनका लाभ उठाने में मदद करेगा। • **भारत में आयोजित शिखर सम्मेलन:** भारत ने 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। • **विज्ञान और प्रौद्योगिकी:** रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट तारामंडल पर ब्रिक्स सहयोग पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। **अवश्य पढ़ें:** न्यू डेवलपमेंट बैंक **स्रोत:** AIR
चीन और भूटान सीमा विवाद	**संदर्भ:** चीन और भूटान सीमा विवाद वार्ता हाल ही में आयोजित की गई, जिसमें 'तीन-चरणीय रोड मैप' पर ध्यान केंद्रित किया गया। **चीन और भूटान सीमा विवाद के बारे में:-** • भूटान चीन के साथ 400 किमी से अधिक लंबी सीमा साझा करता है। ○ उत्तर में - पासमलुंग और जकारलुंग घाटियाँ। ○ पश्चिम में - डोकलाम, ड्रामाना, और शाखटो, याक चू और चरिथांग चू, और सिंचुलुंगपा और लैंगमारपो घाटियाँ।

    - ये स्थान रणनीतिक रूप से भूटान-भारत-चीन ट्राइजंक्शन में स्थित हैं, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब हैं।
- इस विवाद में भूटान के क्षेत्र के कुछ हिस्सों, विशेषकर तिब्बत की सीमा से लगे क्षेत्रों पर दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय दावे शामिल हैं।
- चीन और भूटान के बीच विवादित क्षेत्रों में डोकलाम, गामोचेन, बटांगला, सिंचेला, सकतेंग और अमो छू भूटान शामिल हैं और चीन के बीच औपचारिक राजनयिक संबंधों का अभाव है।

भूटान और चीन के बीच अब तक सीमा वार्ता:-

- भूटान का चीन के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, लेकिन उसने 1984 में चीन के साथ अपनी पहली सीमा वार्ता शुरू की।
- आज तक, दोनों देशों ने 11 विशेषज्ञ समूह की बैठकें और सीमा वार्ता के 24 दौर आयोजित किए हैं।
- वर्ष 2021: भूटान और चीन ने चीन-भूटान सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए तीन-चरणीय रोडमैप पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
    - तीन-चरणीय रोडमैप अभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया है।

हालिया समझौता:-

- "भूटान-चीन सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए" रोडमैप से पांच साल से विलंबित तीन-चरणीय रोडमैप सीमा वार्ता प्रक्रिया पर प्रगति होने की उम्मीद है।
- वर्ष 2017 में डोकलाम गतिरोध और फिर कोविड महामारी के कारण यह रुका हुआ था।
- दोनों देशों के बीच विवादित सीमा के परिसीमन के लिए भूटान और चीन द्वारा गठित एक नई संयुक्त तकनीकी टीम ने अगस्त 2023 में बीजिंग में अपनी पहली बैठक की।

भारत के लिए निहितार्थ:-

- डोकलाम के अधिकांश हिस्से पर चीन का नियंत्रण: भारत के साथ 2017 के गतिरोध के बाद से, बीजिंग ने पहले ही भारत-चीन-भूटान ट्राइजंक्शन के साथ रणनीतिक रूप से स्थित डोकलाम पठार के अधिकांश हिस्से पर अपना वास्तविक नियंत्रण मजबूत कर लिया है। (भारत-भूटान: खोलोंगछू परियोजना)
- डोकलाम पर भूटान का चीन को समर्थन।
- LAC वार्ता में गतिरोध: इसका समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यह देखते हुए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 17 महीने पुराने गतिरोध पर भारत-चीन सीमा वार्ता में गतिरोध आ गया है।
- भारत के रणनीतिक जोखिम: इसका भारत पर बड़ा प्रभाव है क्योंकि डोकलाम अदला-बदली से चीन को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रणनीतिक रूप से संवेदनशील "चिकन नेक" तक पहुंच मिल जाएगी।

अवश्य पढ़ें: भारत-चीन संबंध, गलवान के एक साल बाद

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

अर्थव्यवस्था

आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड	**संदर्भ:** आत्मनिर्भर भारत (SRI) फंड की स्थापना हाल ही में की गई है। **इसके बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2021 में • मंत्रालय: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय • यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया 10,000 करोड़ रुपये का फंड है। • इसे सेबी के साथ श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में पंजीकृत किया गया है। (सेबी) ○ श्रेणी II एआईएफ: इस श्रेणी में एआईएफ शामिल हैं जो श्रेणी I एआईएफ और श्रेणी III AIF में नहीं आते हैं। ○ इनमें निजी इक्विटी फंड या डेट फंड शामिल हैं जिनके लिए सरकार या किसी अन्य नियामक द्वारा कोई विशेष प्रोत्साहन या रियायतें नहीं दी जाती हैं। (AIF) **आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) फंड के उद्देश्य:-** • यह इक्विटी या अर्ध-इक्विटी के रूप में MSMEs को विकास पूंजी के रूप में आगे के प्रावधान के लिए डॉटर फंड्स को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने की दिशा में उन्मुख होगा: ○ एमएसएमई के लिए इक्विटी/इक्विटी जैसे वित्तपोषण को बढ़ाना और स्टॉक एक्सचेंजों पर एमएसएमई की सूची बनाना ○ एमएसएमई व्यवसायों के तेज विकास को समर्थन देना और इस तरह अर्थव्यवस्था को गति देना और रोजगार के अवसर पैदा करना; ○ ऐसे उद्यमों को समर्थन देना जिनमें एमएसएमई वर्ग से आगे बढ़ने और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय चैंपियन बनने की क्षमता है ○ एमएसएमई को समर्थन देना जो प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। **SRI फंड की संरचना:-** • यह फंड सीधे निवेश करने के बजाय अन्य निवेश फंडों का पोर्टफोलियो रखने की एक निवेश रणनीति है। ○ फंड ऑफ फंड: एआईएफ के संदर्भ में, फंड ऑफ फंड एक एआईएफ है, जो दूसरे एआईएफ में निवेश करता है। • तदनुसार, SRI फंड मदर/डॉटर फंड का एक संयोजन होगा जो निजी इक्विटी/अन्य फंडों का लाभ उठाएगा। • मदर फंड केवल विकास पूंजी के रूप में आगे के निवेश के लिए डॉटर फंड्स को धन प्रदान करेगा, जबकि एमएसएमई में निवेश फंड के तहत डॉटर फंड्स द्वारा किया जाएगा। • मदर और डॉटर फंड दोनों को सेबी के साथ वैकल्पिक निवेश फंड के रूप में विधिवत पंजीकृत किया जाएगा। **SRI फंड का कार्य:-** • यह मातृ-निधि और पुत्री-निधि (निधियों का कोष) संरचना के माध्यम से संचालित होता है। **मदर-फंड और डॉटर-फंड (निधियों का कोष) संरचना:** • मदर फंड सेबी फंड है जो कुल कोष का 20 प्रतिशत तक निवेश करता है। ○ NSIC वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (एनवीसीएफएल) एसआरआई फंड कार्यान्वयन के तहत मदर फंड के

	रूप में पंजीकृत है। • सहायक निधि (ज्यादातर उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी फंड) शेष 80 प्रतिशत पूंजी बाहरी स्रोतों से जुटाती है। • इस फंड द्वारा निवेश का पांच गुना लाभ उठाया जाएगा, जिससे एमएसएमई के लिए निवेश पूंजी का कुल मूल्य 50,000 करोड़ रुपये हो जाएगा। **SRI फंड का कार्यकाल:-** • MSME की प्रकृति और बाहर निकलने में अपेक्षित कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, 15 वर्षों का लंबा फंड लाइफ रखा जाता है। • प्रतिबद्धता अवधि: अंतिम समापन की तारीख से 6 वर्ष तक। **अवश्य पढ़ें:** आत्मनिर्भर भारत अभियान **स्रोत:** पीआईबी
आरबीआई का डिजिटल भुगतान सूचकांक	**संदर्भ:** हाल ही में, RBI का डिजिटल भुगतान सूचकांक (DPI) सितंबर 2022 में 377.46 से बढ़कर मार्च 2023 में 395.57 हो गया। **डिजिटल भुगतान सूचकांक की मुख्य विशेषताएं:-** • इस अवधि के दौरान देश भर में भुगतान बुनियादी ढांचे और भुगतान प्रदर्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण RBI-DPI सूचकांक सभी मापदंडों में बढ़ा है। • आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, वैश्विक औसत 64 प्रतिशत की तुलना में भारत में जनता के बीच फिनटेक अपनाने की दर 87 प्रतिशत सबसे अधिक है। • भारत ने डिजिटल भुगतान में अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। • UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) लेनदेन, वित्त वर्ष 2019 और वित्त वर्ष 2022 के बीच मूल्य के संदर्भ में औसतन 121 प्रतिशत और मात्रा के संदर्भ में 115 प्रतिशत बढ़ा है। • आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) में वृद्धि भारत में डिजिटल भुगतान अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि को उजागर करती है, जो मुख्य रूप से यूपीआई की सफलता से प्रेरित है। • ग्राहकों द्वारा तेजी से डिजिटल भुगतान अपनाने के साथ, यहां तक कि छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए भी, सूचकांक औपचारिक वित्तीय प्रणाली के भीतर वित्तीय रूप से वंचित लोगों को शामिल करने के लिए फॉर्म-फैक्टर अज्ञेयवादी पहुंच की आवश्यकता को रेखांकित करता है। **आरबीआई के डिजिटल भुगतान सूचकांक के बारे में:-** • **लॉन्च:** वर्ष 2021 में • आधार अवधि: मार्च 2018 (DPI) • RBI ने मार्च 2018 को आधार मानकर जनवरी 2021 में समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक (RBI-DPI) पेश किया। • **उद्देश्य:** भुगतान के डिजिटलीकरण पर कैप्चर करना। • **महत्व:** यह देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा का एक माप है। (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी): आरबीआई) • इसमें विभिन्न समय अवधि में डिजिटल भुगतान की गहराई और पैठ को मापने के लिए पांच पैरामीटर शामिल हैं। **पांच पैरामीटर:-** • भुगतान सक्षमकर्ता (वजन 25%) • भुगतान अवसंरचना - मांग-पक्ष कारक (10%) • भुगतान अवसंरचना - आपूर्ति-पक्ष कारक (15%)

	• भुगतान प्रदर्शन (45%) और • उपभोक्ता केंद्रितता (5%) **अवश्य पढ़ें:** UPI और NPCI विनियमन **स्रोत:** बिजनेस लाइन
पीएम-कुसुम योजना	**संदर्भ:** हाल ही में, सरकार ने घोषणा की है कि लगभग 2.46 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम योजना) से लाभ हुआ है। **पीएम-कुसुम योजना के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2019 में • मंत्रालय: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) **पीएम कुसुम के उद्देश्य:-** • खेती के लिए सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए किसानों को सब्सिडी देना। • भारत में किसानों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, • राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC) के हिस्से के रूप में 2030 तक गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता की हिस्सेदारी को 40% तक बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता का सम्मान करना। ○ इच्छित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (INDC): ये जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में इच्छित कटौती हैं। • प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और पंप सेट स्थापित करने के लिए 60% सब्सिडी मिलेगी। • उन्हें कुल लागत का 30% सरकार से ऋण के रूप में भी मिलेगा। (पीएम कुसुम) **पीएम कुसुम के लाभ:-** **डिस्कॉम के लिए:-** • कृषि के लिए बिजली पर अत्यधिक सब्सिडी दी जाती है और इसे अक्सर डिस्कॉम की खराब वित्तीय स्थिति का मुख्य कारण कहा जाता है। (डिस्कॉम का राज्य) • यह योजना कृषि क्षेत्र पर सब्सिडी के बोझ को कम करके डिस्कॉम के वित्तीय स्वास्थ्य का समर्थन करेगी। **राज्यों के लिए:-** • यह योजना विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी और ट्रांसमिशन घाटे को कम करेगी। • राज्य सरकारों के लिए, यह सिंचाई के लिए उनके सब्सिडी परिव्यय को कम करने का एक संभावित तरीका है। • यह राज्यों को RPO (नवीकरणीय खरीद दायित्व) लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगा। **किसानों के लिए:-** • यदि किसान अतिरिक्त बिजली बेचने में सक्षम हैं, तो उन्हें बिजली बचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। • इसका मतलब होगा भूजल का उचित और कुशल उपयोग। • यह किसानों को जल सुरक्षा भी प्रदान करेगा। **पर्यावरण के लिए:-** • विकेन्द्रीकृत सौर-आधारित सिंचाई प्रदान करके सिंचाई कवर का विस्तार प्रदूषणकारी डीजल (polluting diesel) से दूर जाने में मदद करेगा। • इससे छतों और बड़े पार्कों के बीच की मध्यवर्ती सीमा में सौर ऊर्जा उत्पादन में कमी भी भर जाएगी। **अवश्य पढ़ें:** भारत में सौर ऊर्जा **स्रोत:** AIR

आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक (ICI)

संदर्भ: हालिया रिपोर्टों के अनुसार, आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) का संयुक्त सूचकांक जून 2022 के सूचकांक की तुलना में इस वर्ष जून में 8.2 प्रतिशत बढ़ गया।

पृष्ठभूमि:-

- स्टील, कोयला, सीमेंट, रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक और बिजली का उत्पादन जून 2023 में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में बढ़ गया।
- मार्च 2023 के लिए आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर को इसके अनंतिम स्तर 3.6 प्रतिशत से संशोधित कर 4.2 प्रतिशत कर दिया गया है।

आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक (आईसीआई) के बारे में:-

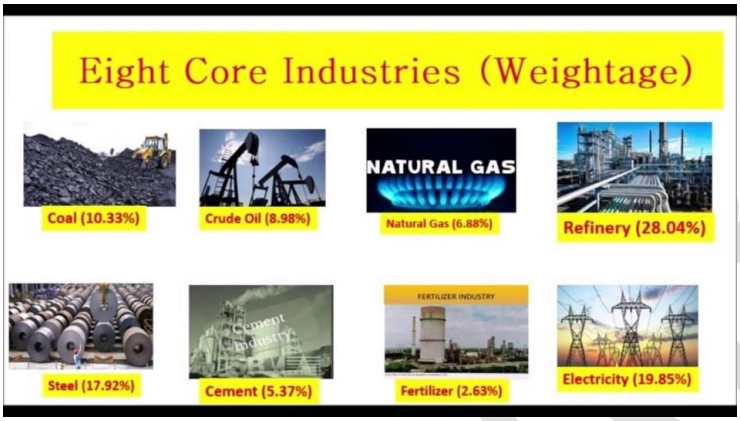

- द्वारा प्रकाशित:राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)।
- समयावधि: इसे मासिक रूप से संकलित एवं प्रकाशित किया जाता है।
- IIP के लिए आधार वर्ष 2011-2012 है।
- मंत्रालय: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। (औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी))
- ICI आठ प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है।
    - इनमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली शामिल हैं।
    - औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का वेट इन आठ प्रमुख उद्योगों में 40.27 प्रतिशत शामिल है।
    - आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग अपने वेट के घटते क्रम में: रिफाइनरी उत्पाद > बिजली > इस्पात > कोयला > कच्चा तेल > प्राकृतिक गैस > सीमेंट > उर्वरक।
- यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित के अंतर्गत वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:-
    - व्यापक क्षेत्र: खनन, विनिर्माण और बिजली।
    - उपयोग-आधारित क्षेत्र: बुनियादी सामान, पूंजीगत सामान और मध्यवर्ती सामान।
- वार्षिक और मासिक सूचकांक और विकास दर का विवरण क्रमशः अनुबंध I और II में प्रदान किया गया है।

IIP का महत्व:-

- इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
- IIP उत्पादन की भौतिक मात्रा का एकमात्र माप है।
- यह तिमाही आधार पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के संकलन के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट बनाता है।

	• तिमाही और उन्नत जीडीपी अनुमानों की गणना के लिए आईआईपी बेहद प्रासंगिक बना हुआ है। (अनंतिम सकल घरेलू उत्पाद) • इसका उपयोग विभिन्न विश्लेषणात्मक उद्देश्यों के लिए वित्तीय मध्यस्थों, नीति विश्लेषकों और निजी कंपनियों द्वारा भी बड़े पैमाने पर किया जाता है। • यह आईआईपी से पहले 'कोर' प्रकृति के उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन का एक उन्नत संकेत प्रदान करता है। **अवश्य पढ़ें:** क्रय प्रबंधक सूचकांक **स्रोत:** AIR
राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम	**संदर्भ:** कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के निर्माण की घोषणा की है। **इसके बारे में:-** • यह एक ऑनलाइन मंच है जिसका उद्देश्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के अधिकारों को आगे बढ़ाना और डिजिटल व्यापार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति को आकार देना है। • यह जागरूकता शिविर, डिजिटल और भौतिक संवाद और प्रशिक्षण आयोजित करेगा। • यह अपने उद्देश्यों को साकार करने की दिशा में राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं और अन्य संबंधित हितधारकों सहित सरकार, निजी क्षेत्र और सिविल सोसाइटी के हितधारकों तक पहुंचेगा। **राष्ट्रीय डिजिटल नागरिक फोरम के पांच विषय:-** **यह पांच मुख्य विषयों पर केंद्रित होगा।** • पहला: कुशल शिकायत निवारण पर मुख्य ध्यान के साथ उपभोक्ता संरक्षण और ऑनलाइन सुरक्षा। • दूसरा: डिजिटल कार्टेलाइज़ेशन के नुकसान और ऑनलाइन दुनिया में भेदभावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को हतोत्साहित करने के लिए एक समान अवसर कैसे आवश्यक है। • तीसरा: भारतीय डिजिटल प्रौद्योगिकियों की क्षमता न केवल खुदरा और औद्योगिक व्यापार को बदलने की है बल्कि रोजगार को बढ़ावा देने और निवेश पदचिह्न का विस्तार करने की भी है। • चौथा: पहली सिद्धांत-आधारित कराधान नीति जो निश्चितता और उत्पादकता को प्रोत्साहित करती है, विशेष रूप से उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए, जबकि कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों को रोकती है। • पांचवां: फोरम खुदरा व्यापार पर उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए ब्लॉकचेन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का अध्ययन करेगा और साथ ही, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करेगा।**About Confederation of All India Traders (CAIT):-** **कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के बारे में:-** • स्थापित: वर्ष 1990 में • मुख्यालय: नई दिल्ली • यह भारत में व्यापारिक समुदाय का सर्वोच्च निकाय है। • **उद्देश्य:** व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और उनकी सुरक्षा करना। • भारतभर में इसके आठ करोड़ से अधिक सदस्य और 40,000 से अधिक संबद्ध व्यापार संघ हैं। **अवश्य पढ़ें:** नए युग का डिजिटल कॉमर्स **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश ट्रस्ट (InvIT)	**संदर्भ:** केंद्र ने राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए एक नया बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (InvIT) शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की है। **इसके बारे में:-**

	• इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) म्यूचुअल फंड के समान एक सामूहिक निवेश योजना है। • यह बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों से फंड के सीधे निवेश को सक्षम बनाता है ताकि आय का एक छोटा हिस्सा रिटर्न के रूप में अर्जित किया जा सके। (एफपीआई और इनविट्स) • InvIT को एक स्तरीय संरचना के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिसमें प्रायोजक InvIT की स्थापना करता है, जो बदले में पात्र बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सीधे या विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से निवेश करता है। • एक InvIT में चार पक्ष होते हैं: ट्रस्टी, प्रायोजक और निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक। ○ ट्रस्टी (सेबी द्वारा प्रमाणित) के पास InvIT के प्रदर्शन का निरीक्षण करने की जिम्मेदारी है, जबकि प्रायोजक उस कंपनी के प्रमोटर हैं जिसने InvIT की स्थापना की है। **InvITs के प्रकार** वर्तमान सेबी विनियमों के अनुसार InvITs को उनके स्वामित्व या संचालित बुनियादी ढांचे के प्रकार के आधार पर 5 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: • ऊर्जा जैसे बिजली उत्पादन और वितरण। • परिवहन एवं रसद उदा. राजमार्गों और अन्य टोल सड़कों का संचालन • संचार उदा. ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और दूरसंचार टावर • सामाजिक और व्यावसायिक अवसंरचना उदा. पार्क • जल और स्वच्छता उदा. सिंचाई नेटवर्क **फंड के स्रोत के दृष्टिकोण से, InvITs दो प्रकार के हो सकते हैं:** **निजी तौर पर रखे गए InvITs:-** • इस प्रकार का InvIT स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है और इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट की इकाइयों को स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा नहीं जा सकता है। • इस प्रकार की सभी इकाइयों को बहुत ही सीमित संख्या में व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा निजी तौर पर रखा जाता है। **सार्वजनिक-सूचीबद्ध InvITs:-** • किसी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने के बाद, इसे सार्वजनिक-सूचीबद्ध InvIT के रूप में जाना जाता है। • सार्वजनिक-सूचीबद्ध InvIT की इकाइयाँ खुदरा और संस्थागत निवेशकों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदी और बेची जा सकती हैं। • वर्तमान सेबी नियमों के लिए स्टॉक एक्सचेंजों पर InvITs की अनिवार्य लिस्टिंग की आवश्यकता नहीं है। • यह सरकार की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का समर्थन करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रायोजित बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट है। • यह NHAI द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट है। (राष्ट्रीय राजमार्ग InvIT) • यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 और सेबी (भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड) नियमों के तहत है। • InvIT उपकरण का लाभ यह है कि इसमें स्थिर और पूर्वानुमानित नकदी प्रवाह होता है और अनुभवी पेशेवर InvIT का प्रबंधन, संचालन और सड़कों का रखरखाव करते हैं। **अवश्य पढ़ें:बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) मॉडल** **स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड**
राष्ट्रीय खनिज	**संदर्भ:** हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 में अब

विकास निगम (NMDC)	तक रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। **पृष्ठभूमि:-** • NMDC 100 मिलियन टन (एमटी) खनन कंपनी बनने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के बारे में:- • स्थापना: वर्ष 1958 में • मंत्रालय: इस्पात मंत्रालय • मुख्यालय: हैदराबाद • दृष्टिकोण: एक वैश्विक पर्यावरण-अनुकूल खनन संगठन और सामाजिक विकास पर सकारात्मक बल के साथ एक गुणवत्ता वाले इस्पात उत्पादक के रूप में उभरना। (लौह-अयस्क नीति 2021) • यह भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। (लौह अयस्क) • कंपनी को वर्ष 2008 में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा "नवरत्न" सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। **एनएमडीसी के उद्देश्य:-** **मैक्रो उद्देश्य** • घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों की बढ़ती माँगों को पूरा करने के लिए खनन और खनिज प्रसंस्करण के क्षेत्रों में परिचालन का विस्तार करना। • प्रति व्यक्ति उत्पादकता, मूल्यवर्धन और लागत-प्रभावशीलता में अंतरराष्ट्रीय मानक हासिल करना। • वित्तीय वर्ष 2025 तक लौह अयस्क उत्पादन क्षमता को 67 MTPA तक बढ़ाना। • नगरनार में स्टील प्लांट की स्थापना। **माइक्रो उद्देश्य** • लौह अयस्क और अन्य रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज और दोहन पर बल देना। • पर्यावरण संरक्षण बनाए रखना। • साइंटिफिक खनन के माध्यम से खनिज संसाधनों का संरक्षण करना। • ग्राहक संतुष्टि का उच्च स्तर बनाए रखना। • सामान्य रूप से लोगों के जीवन की गुणवत्ता और विशेष रूप से खदानों के आसपास के सामाजिक-आर्थिक वातावरण में सुधार करना। **अवश्य पढ़ें:** रिपोर्ट **स्रोत:** AIR
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)	**संदर्भ:** केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2023-24 के लिए रिकॉर्ड छह करोड़ 77 लाख आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। **इनकम टैक्स रिटर्न:-** ○ ये ऐसे फॉर्म हैं जिनका उपयोग शुद्ध कर देनदारियों की घोषणा करने, कर कटौती का दावा करने और सकल कर योग्य आय की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है। ○ आयकर रिटर्न फॉर्म सीबीडीटी द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। **इसके बारे में:-** • स्थापना: वर्ष 1963 में • मंत्रालय: वित्त मंत्रालय

	• मुख्यालय: नई दिल्ली • प्रशासित: राजस्व विभाग • यह 1963 के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के तहत कार्य करने वाला एक वैधानिक प्राधिकरण है। • केंद्रीय राजस्व बोर्ड राजस्व विभाग का सर्वोच्च निकाय है। • इस पर करों का प्रशासन लगाया जाता है। • यह 1924 के केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया। • यह भारत की आधिकारिक वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स इकाई है। • प्रारंभ में बोर्ड प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों दोनों का प्रभारी था। प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि) • हालाँकि, जब से करों का प्रशासन बोर्ड के लिए कठिन हो गया है, तो 1964 से बोर्ड को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, अर्थात् केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड। **CBDT के कार्य:-** • बोर्ड और केंद्र सरकार के वैधानिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नीतियां बनाना। प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत। (सीबीडीटी और आयकर रिटर्न फॉर्म) • इससे संबंधित सामान्य नीति:- ○ आयकर विभाग की स्थापना और संरचना का संगठन। ○ बोर्ड के कार्य के तरीके और प्रक्रियाएं। ○ आकलन के निपटान, करों के संग्रहण, रोकथाम और कर चोरी और कर से बचाव का पता लगाने के उपाय। • आयकर विभाग के कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण और सेवा शर्तों और कैरियर की संभावनाओं से संबंधित सभी अन्य मामले। • करों के आकलन और संग्रहण तथा अन्य संबंधित मामलों के निपटान के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और प्राथमिकताएं तय करना। • प्रत्येक मामले में 25 लाख रुपये से अधिक की कर मांगों को बट्टे खाते में डालना। • पुरस्कार और प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में नीति बनाना। • कोई अन्य मामला जिसे अध्यक्ष या बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष की मंजूरी से, बोर्ड के संयुक्त विचार के लिए संदर्भित कर सकता है। **अवश्य पढ़ें:** एक राष्ट्र, एक आईटीआर फॉर्म **स्रोत:** AIR
सेबी द्वारा ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली	**चर्चा में क्यों:** पूंजी बाजार के लिए संस्थानों, समाधानकर्ताओं और मध्यस्थों को शामिल करने वाली एक नई ऑनलाइन विवाद समाधान (ओडीआर) प्रणाली आने वाली है। • यह प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन समझौता और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करता है। **विवाद समाधान प्रक्रिया** 1. प्रारंभिक चरण में, एक निवेशक को सीधे बाजार भागीदार के पास शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता होगी। 2. इस संबंध में, सूचीबद्ध कंपनियों, विनियमित संस्थाओं और प्रतिभूति बाजार में निर्दिष्ट मध्यस्थों को सामूहिक रूप से बाजार सहभागियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। 3. यदि शिकायत का संतोषजनक निवारण नहीं हुआ है, तो उनके पास इसे सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) ऑनलाइन पोर्टल पर उठाने का विकल्प है।

4. हालाँकि, यदि कोई निवेशक इस स्तर पर परिणाम से असंतुष्ट है, तो उनके पास ओडीआर पोर्टल के माध्यम से विवाद समाधान के लिए जाने का विकल्प होगा।
5. इस संबंध में शर्तें हैं:
    a. शिकायत बाजार सहभागियों और स्कोर्स प्लेटफॉर्म द्वारा विचाराधीन नहीं है।
    b. मामला किसी अदालत, उपभोक्ता फोरम या न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित नहीं होना चाहिए।

नई प्रणाली

- मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई), जिसमें स्टॉक एक्सचेंज और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के डिपॉजिटरी शामिल हैं, को एक या अधिक ओडीआर संस्थानों की पहचान करने और उन्हें सूचीबद्ध करने की आवश्यकता होगी।
- एमआईआई द्वारा अपने पैनल में शामिल ओडीआर संस्थानों के परामर्श से एक सामान्य ओडीआर पोर्टल स्थापित और संचालित किया जाएगा।
- जिस ओडीआर संस्थान को शिकायत का संदर्भ मिलता है, वह योग्य सुलहकर्ताओं और मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा।
- **कवरेज:** ओडीआर मध्यस्थों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करेगा, जिनमें शामिल हैं:-
    - वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ), निवेश सलाहकार, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो प्रबंधक, अनुसंधान विश्लेषक आदि।)
    - सूचीबद्ध कंपनियों के साथ-साथ उनके रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों सहित निवेशकों या ग्राहकों से जुड़े विभिन्न प्रकार के मामलों से उत्पन्न होने वाले विवादों में ओडीआर का कार्यान्वयन शामिल हो सकता है।
    - यह उन विवादों पर लागू होता है जिनमें प्रतिभूति बाजार में निर्दिष्ट मध्यस्थ या विनियमित संस्थाएं शामिल होती हैं।

सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)) के बारे में:

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना वर्ष 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी।
- मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र
- मंत्रालय: वित्त मंत्रालय
- अध्यक्ष: सुश्री माधबी पुरी बुच
- अध्यक्ष को भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है।
- अन्य सदस्यों की नियुक्ति:
    - दो सदस्य, यानी, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधिकारी।
    - भारतीय रिज़र्व बैंक से एक सदस्य।
    - शेष पांच सदस्यों को भारत की केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है, उनमें से कम से कम तीन पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

स्रोत: Livemint

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA)

संदर्भ: हाल ही में, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) ने कहा कि अप्रैल-जून (2022) की तुलना में अप्रैल-जून (2023) तिमाही के दौरान भारत के कृषि उपज निर्यात में मूल्य के संदर्भ में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:-

- अप्रैल-जून तिमाही (2023) में 6.321 बिलियन डॉलर का कृषि निर्यात हुआ, जबकि 2022 में यह 7.397 बिलियन डॉलर था।
- दूसरी ओर, तिमाही के दौरान बासमती शिपमेंट में डॉलर के संदर्भ में 12 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

	• गैर-बासमती चावल, जिसमें निर्यात टोकरी का सबसे बड़ा हिस्सा शामिल है, डॉलर के मूल्य में 2.69 प्रतिशत गिर गया। • मुख्य पशुधन उत्पाद, भैंस के मांस का निर्यात 4.5 प्रतिशत गिर गया। • ताजे फलों और सब्जियों के निर्यात में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। **इसके बारे में:-** • स्थापना: वर्ष 1985 में • मंत्रालय: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय • मुख्यालय: नई दिल्ली • यह कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत एक वैधानिक निकाय है। • उद्देश्य: अनुसूचित उत्पादों के निर्यात को विकसित करना और बढ़ावा देना। **कार्य:-** • अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विशिष्टताएँ निर्धारित करना। • आवश्यक शुल्क के भुगतान पर अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण करना। • अनुसूचित उत्पादों की पैकेजिंग और विपणन में सुधार। • ऐसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उत्पादों का निरीक्षण करना। • अनुसूचित उत्पादों से जुड़े उद्योगों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण करना। • कारखानों या प्रतिष्ठानों के मालिकों से आँकड़ों का संग्रह और ऐसे आँकड़ों का प्रकाशन करना। **अवश्य पढ़ें:** कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) **स्रोत:** बिजनेस लाइन
बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF)	**संदर्भ:** केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने बैंक धोखाधड़ी मामलों की जाँच को मज़बूती प्रदान करने के लिये बैंकिंग और वित्तीय धोखाधड़ी पर सलाहकार बोर्ड (ABBFF) का पुनर्गठन किया है। **पृष्ठभूमि:-** • पुनर्गठित ABBFF की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल करेंगे। **केंद्रीय सतर्कता आयोग:-** • स्थापना: वर्ष 1964 में • मुख्यालय: नई दिल्ली, दिल्ली • इसकी स्थापना सरकार द्वारा के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिशों पर की गई थी। • यह केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 द्वारा शासित एक वैधानिक निकाय है। • **अधिदेश:** कुछ श्रेणियों के लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच करना। • **संरचना:** केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) और दो से अधिक सतर्कता आयुक्त (सदस्य)। **इसके बारे में:-** • गठित: केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) • मुख्यालय: नई दिल्ली • उद्देश्य: यह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी जांच एजेंसियों को सिफारिश या संदर्भ देने से पहले बैंक धोखाधड़ी की प्रथम स्तर की जांच करता है।

APBFF की संरचना:-

- इसमें अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
- अध्यक्ष/सदस्यों का कार्यकाल: दो वर्ष।

ABBFF के कार्य:-

- सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों को आपराधिक जाँच शुरू करने से पहले 3 करोड़ रुपए से अधिक के धोखाधड़ी के मामलों को ABBFF को संदर्भित करना आवश्यक है।
- समय-समय पर वित्तीय प्रणाली में धोखाधड़ी का विश्लेषण करना और धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण के लिए आरबीआई और सीवीसी को इनपुट, यदि कोई हो, देना रहता है। (बैड बैंक: NARCL & IDRCL)
- आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) भी किसी भी मामले या तकनीकी मामले को सलाह के लिए बोर्ड को भेज सकता है।
- यह भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सतर्कता आयोग को धोखाधड़ी से संबंधित नीति निर्माण के लिए इनपुट देता है।
- यह मंत्रालयों, विभागों, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीबीआई द्वारा मांगे जाने पर अपनी सलाह देता है।

अवश्य पढ़ें: DHFL SCAM

स्रोत: बिजनेस लाइन

IASBABA

भूगोल

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

संदर्भ: केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के लिए अनुमानित 964,000 पेड़ काटे जाएंगे।

इस द्वीप परियोजना के बारे में:-

- मंत्रालय: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)।
- कार्यान्वयन एजेंसी: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO)।
- यह नीति आयोग द्वारा संचालित 72,000 करोड़ रुपए की मेगा परियोजना है। (ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए नीति आयोग की परियोजना)
- **उद्देश्य:** ग्रेट निकोबार द्वीप (जीएनआई) का समग्र विकास।
- इस परियोजना का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप को एक आधुनिक, टिकाऊ और आत्मनिर्भर क्षेत्र में बदलना है। (ग्रेट निकोबार का विकास)

योजना के घटक:-

योजना के चार घटक हैं:-

- गैलाथिया खाड़ी में 35,000 करोड़ रुपए का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट
- एक दोहरे उपयोग वाला सैन्य-नागरिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
- एक बिजली संयंत्र, और
- एक टाउनशिप

परियोजनाओं के लाभ:-

आर्थिक लाभ:-

- प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने की अनुमति देगा।
- ग्रेट निकोबार दक्षिण-पश्चिम में कोलंबो और दक्षिण-पूर्व में पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से समान दूरी पर है, और पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के करीब स्थित है, जिसके माध्यम से दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है।
- यह संभावित रूप से इस मार्ग पर यात्रा करने वाले मालवाहक जहाजों के लिए एक केंद्र बन सकता है।

	सामरिक लाभ:- • हाल के वर्षों में हिंद महासागर में बढ़ते चीनी दावे ने इस अनिवार्यता को और अधिक बढ़ा दिया है। • ग्रेट निकोबार दक्षिण-पश्चिम में कोलंबो और दक्षिण-पूर्व में पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से समान दूरी पर है, और पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कॉरिडोर के करीब स्थित है, जिसके माध्यम से दुनिया के शिपिंग व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। **व्यवहार्यता मुद्दे:-** • भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियाँ: एक सफल ट्रांसशिपमेंट हब के लिए व्यवहार्य भीतरी इलाकों में आर्थिक गतिविधियों की आवश्यकता होती है, जो ग्रेट निकोबार में इच्छाधारी सोच हो सकती है। • **वनीकरण और कोरल रीफ ट्रांसलोकेशन:** दूर-क्षेत्र वनीकरण की सिफारिश और कोरल रीफ ट्रांसलोकेशन संदिग्ध मुआवजे के तरीके हैं। • **टेक्टॉनिक अस्थिरता:** ग्रेट निकोबार द्वीप की रिंग ऑफ फायर से निकटता और इसके भूकंपों का इतिहास एक शहरी बंदरगाह शहर विकसित करने की व्यवहार्यता के बारे में चिंता उत्पन्न करता है। **ग्रेट निकोबार के बारे में:-** • ग्रेट निकोबार, निकोबार द्वीपसमूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है। • ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में पारिस्थितिक तंत्र का एक विस्तृत स्पेक्ट्रम शामिल है जिसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन, समुद्र तल से 642 मीटर (माउंट थुलियर) की ऊंचाई तक पहुंचने वाली पर्वत श्रृंखलाएं और तटीय मैदान शामिल हैं। • यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। • यह निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। **अवश्य पढ़ें:** कच्छल द्वीप **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
प्रोजेक्ट देविका	**संदर्भ:** हाल ही में, यह घोषणा की गई थी कि उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना देविका पूरी होने वाली है। **पृष्ठभूमि:-** • 'नमामि गंगा' की तर्ज पर 190 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से निर्मित इस परियोजना का शुभारंभ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। **प्रोजेक्ट देविका के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2019 में

	○ इसे राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के तहत लॉन्च किया गया था। • मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय • उद्देश्य: प्रोजेक्ट देविका का लक्ष्य देविका नदी को पुनर्जीवित करना है। **प्रोजेक्ट देविका की मुख्य विशेषताएं:-** • परियोजना के तहत देविका नदी के तट पर स्नान घाटों का विकास किया जाएगा। • इसके अलावा, अतिक्रमण हटा दिया जाएगा, और प्राकृतिक जल निकायों को बहाल किया जाएगा। • श्मशान घाटों के साथ-साथ जलग्रहण क्षेत्रों का भी विकास किया जाएगा। • तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना में परियोजना के तहत घरों को जोड़ने वाले पाइप और मैनहोल का एक नेटवर्क बनाना शामिल है। (गंगा नदी की सफाई) • नदी के जीर्णोद्धार को और बेहतर बनाने के लिए एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना की अतिरिक्त योजना बनाई गई है। • इस परियोजना में तीन सीवेज उपचार संयंत्रों का निर्माण, दो श्मशान घाटों का विकास, सुरक्षा बाड़ लगाना और भूनिर्माण, छोटे जलविद्युत संयंत्र और तीन सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण भी शामिल है। **देविका नदी के बारे में:** • उद्गम: देविका नदी जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी शुद्ध महादेव मंदिर से निकलती है और पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) की ओर बहती है जहां यह रावी नदी में मिल जाती है। • यह नदी धार्मिक महत्व रखती है क्योंकि यह हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में पूजनीय है। ऐसा माना जाता है कि देविका नदी देवी पार्वती का स्वरूप है। **अवश्य पढ़ें:** रिवर सिटीज एलायंस **स्रोत:** पीआईबी
दीपोर बील	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि असम में स्थानीय लोग मरती हुई दीपोर बील झील को बचाने के लिए पहल कर रहे हैं। **पृष्ठभूमि:-** • कुछ पहलों ने बील को बेहतर बनाने के साथ-साथ समुदाय की महिलाओं को रोजगार भी प्रदान किया है। • ऐसी ही एक पहल है - सिमांग, जो केओटपारा की छह महिलाओं की एक सामूहिक पहल है, जिसने आक्रामक खरपतवार, जलकुंभी को सफलतापूर्वक सुंदर कलाकृतियों और योग मैट में बदल दिया है। **दीपोर बील के बारे में:-** • **स्थान:** गुवाहाटी, असम के दक्षिण-पश्चिम में। • यह ब्रह्मपुत्र नदी का पूर्ववर्ती जल चैनल है।

	• **क्षेत्रफल:** गर्मियों में 30 वर्ग किमी तक और सर्दियों में लगभग 10 वर्ग किमी तक रहता है।
	  ○ दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य इस आर्द्रभूमि (बील) के भीतर 4.1 वर्ग किमी में फैला हुआ है।
	• नाम: 'दीप' हाथियों के लिए एक असमिया शब्द है, जबकि दीपोर शब्द संस्कृत शब्द दीपा से आया है, जिसका अर्थ है हाथी।
	  ○ असमिया में बील का अर्थ झील होता है।
	  ○ दीपोर बील का अर्थ है हाथियों की झील।
	• दीपोर बील एक स्थायी मीठे पानी की झील है। (डीपोर बील)
	• इसे 2002 में रामसर साइट नामित किया गया था।
	  ○ यह असम का एकमात्र रामसर स्थल है।
	• इसे बर्डलाइफ़ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र (आईबीए) स्थलों में से एक के रूप में चुना गया है।
	• यह सदियों से हाथियों की आवाजाही के लिए एक स्थान भी रहा है।
	महत्व:-
	• इसे गुवाहाटी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है।
	• यह कई स्थानीय परिवारों के लिए आजीविका का साधन प्रदान करता है।
	• यह जलीय वनस्पतियों और पक्षी जीवों के लिए एक अद्वितीय निवास स्थान है।
	जीव-जंतु:-
	• पक्षी (एविफ़ौना): दीपोर बील पक्षियों की 219 प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है, जिसमें प्रवासी पक्षियों की 70 से अधिक प्रजातियाँ भी शामिल हैं।
	• जानवर: जंगली एशियाई हाथी, भौंकने वाले हिरण, तेंदुए, हाथी, सांभर और चीनी साही।
	• जलीय जानवर: यह लगभग 12 छिपकलियों की प्रजातियों, 20 प्रकार के उभयचरों, 6 कछुओं और कछुओं की प्रजातियों के साथ-साथ सांपों की 18 प्रजातियों का घर है।
	• अन्य जानवर: यहां की आर्द्रभूमि और नदियों को मछलियों की 50 से अधिक प्रजातियों द्वारा घर कहा जाता है।
	समस्याएँ:-
	• इसका पानी जहरीला हो गया है और इसने अपने कई जलीय पौधे खो दिए हैं जिन्हें हाथी खाते थे।
	• इसे दशकों से रेलवे ट्रैक से ख़तरा बना हुआ है - जिसे दोगुना और विद्युतीकृत किया जाना है।
	अवश्य पढ़ें: दीपोर बील में सामुदायिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है
	स्रोत: डाउन टू अर्थ

तम्पारा झील	**संदर्भ:** नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ओडिशा सरकार से तम्पारा झील और उसके आसपास 'अवैध' निर्माण रोकने को कहा है। **पृष्ठभूमि:-** • राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र ने ओडिशा सरकार को निर्देश दिया है कि वह नामित रामसर स्थल और राज्य की सबसे बड़ी सुरम्य मीठे पानी की झीलों में से एक तम्पारा झील और उसके आसपास 'अवैध' निर्माण को आगे न बढ़ाए। (एनजीटी) **तम्पारा झील के बारे में:-** • स्थान: गंजम जिला, ओडिशा। • गठन: वर्ष 1766 में • **गठन:** इसका गठन युद्ध के दौरान इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के कारण हुआ था।

	• ज़मीन पर बना गड्ढा धीरे-धीरे जलग्रहण प्रवाह के वर्षा जल से भर गया। • इसे अंग्रेजों द्वारा "टैम्प" कहा जाता था और बाद में स्थानीय लोगों द्वारा इसे "टैम्परा" कहा जाने लगा। • यह रुशिकुल्या नदी से जुड़ा है। • यह ओडिशा की सबसे प्रमुख मीठे पानी की झीलों में से एक है। • आर्द्रभूमि कमजोर प्रजातियों जैसे साइप्रिनस कार्पियो, कॉमन पोचार्ड (अयथ्या फेरिना), और रिवर टर्न (स्टर्ना ऑरेंटिया) के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान है। • इसे वर्ष 2021 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया। **अवश्य पढ़ें:** आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का COP14 **स्रोत:** द हिंदू
पोंग बांध	संदर्भ: हाल ही में, पोंग बांध के चालू होने के बाद से अब तक का सबसे अधिक पानी का प्रवाह दर्ज किया गया। **पृष्ठभूमि:-** • पिछले दो दिनों में भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में अब तक का सबसे अधिक प्रवाह दर्ज किया गया है। **पोंग बांध के बारे में:-** • निर्माण: वर्ष 1974 में • स्थान: कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश • उद्देश्य: सिंचाई और पनबिजली उत्पादन के लिए जल भंडारण। • इसका निर्माण ब्यास नदी के पार किया गया था। • इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा जाता है। • वर्ष 1983 में : हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा संपूर्ण जलाशय को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया। • वर्ष 1994 में : भारत सरकार ने इसे "राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि" घोषित किया। (आर्द्रभूमि संरक्षण) • वर्ष 2002 में : इसे रामसर साइट घोषित किया गया। (आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन का COP14) • वनस्पति: उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वन। • फ़्लोरा: नीलगिरी, बबूल, जामुन, शीशम, आम, शहतूत, फिकस, आदि। • जीव-जंतु: भौंकने वाले हिरण, सांभर, जंगली सूअर, नीलगाय, तेंदुए, आदि। • एवियन-जीव: ब्लैक हेडेड गल, लाल गर्दन वाले ग्रीब्स, प्लोवर, टर्न, बत्तख, आदि। **अवश्य पढ़ें:** राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
सुलिना चैनल	**संदर्भ:** हाल ही में, सुलीना चैनल ने यूक्रेन को अपने अनाज के लिए एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग के साथ प्रदान किया है, जब रूस ने काला सागर अनाज सौदे से वापस ले लिया। **पृष्ठभूमि:-** • रूस ने 16 अगस्त, 2023 को रात भर ड्रोन हमलों में यूक्रेन में डेन्यूब नदी के किनारे बंदरगाहों और अनाज भंडारण सुविधाओं को निशाना बनाया। • रूस भी जुलाई 2023 में काला सागर अनाज सौदे से हट गया। • इसके बीच, डेन्यूब डेल्टा ने यूक्रेन को अपनी अनाज आवश्यकताओं को सुरक्षित करने में मदद करने के लिए सुलिना चैनल के रूप में एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान किया है।

सुलिना चैनल के बारे में:-

- यह स्थान रोमानिया का दक्षिण-पूर्वी भाग है।
- लंबाई: लगभग 64 किमी.
- यह डेन्यूब नदी को काला सागर से जोड़ता है। (मोस्कवा और काला सागर की हानि)
- यह समुद्री परिवहन के लिए सीधा मार्ग प्रदान करता है।

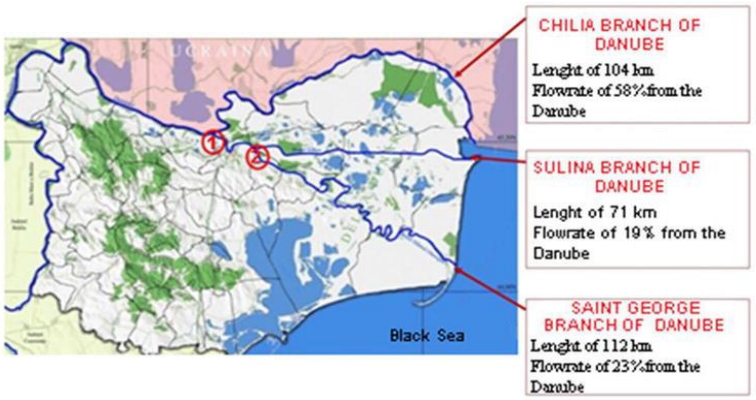

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- सुलिना चैनल का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था।
- इसे डेन्यूब डेल्टा के अंदर और बाहर बड़े जहाजों और जहाजों के नेविगेशन में सुधार के लिए विकसित किया गया था।

महत्व:-

- यह शिपिंग और नेविगेशन के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है।
- यह काला सागर क्षेत्र में प्रवेश करने या छोड़ने वाले मालवाहक जहाजों, व्यावसायिक जहाजों और अन्य समुद्री यातायात के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है।
    - डेन्यूब: वोल्गा (रूस) के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है।
- यूक्रेनी अनाज जहाज चिलिया चैनल पर इज़मेल और रेनी जैसे बंदरगाहों से सुलिना तक जाते हैं।
- यहां माल को बड़े जहाजों में स्थानांतरित किया जाता है।
- ये जहाज रोमानिया के प्रमुख बंदरगाह कॉन्स्टेंटा की ओर बढ़ते हैं।
- यह मार्ग नाटो की निगरानी और सुरक्षा के अंतर्गत आता है।
- यह रूसी आक्रामकता के विरुद्ध कुछ हद तक सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

अवश्य पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

फ्लडवाच

संदर्भ: हाल ही में, केंद्रीय जल आयोग ने मोबाइल ऐप 'फ्लडवाच' लॉन्च किया।

CWC के बारे में:

- मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय
- प्रमुख: अध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व-अधिकारी सचिव की स्थिति के साथ।
- मुख्यालय: नई दिल्ली।
- यह एक संलग्न कार्यालय है जो जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प है।
- यह पूरे देश में जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, और उपयोग के लिए योजनाओं, योजनाओं के साथ परामर्श के लिए शुरू, समन्वय और आगे बढ़ने की सामान्य जिम्मेदारियों के साथ सौंपा गया है।

	• यह आवश्यकतानुसार किसी भी योजना की जांच, निर्माण और निष्पादन की भी कार्य करता है। **फ्लडवॉच के बारे में:-** • लॉन्च किया गया: वर्ष 2023 में • द्वारा लॉन्च किया गया: केंद्रीय जल आयोग (CWC) • **उद्देश्य:** बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी का प्रसार करने के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करना और जनता के लिए वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक का पूर्वानुमान प्रदान करना है। **फ्लडवॉच की मुख्य विशेषताएं:-** • यह देश में बाढ़ की स्थितियों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। (प्रकृति की चेतावनी: बाढ़) • द्विभाषी: इन-हाउस विकसित हुए इस उपयोगकर्ता अनुकूल इस ऐप में पढ़ने योग्य और ऑडियो प्रसारण सामग्री है और सभी जानकारी 2 भाषाओं, अंग्रेजी और हिंदी में उपलब्ध है। • रियल-टाइम फ्लड मॉनिटरिंग: ऐप की मुख्य विशेषता में वास्तविक समय में बाढ़ की निगरानी शामिल है जहां उपयोगकर्ता पूरे देश में बाढ़ की नवीनतम स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ○ ऐप विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के नदी प्रवाह के डेटा का उपयोग करता है। ○ यह निकटतम स्थान पर बाढ़ के पूर्वानुमान भी प्रदान करता है। (शहरी बाढ़) • बाढ़ सलाहकार: उपयोगकर्ता होम पेज पर ही अपने निकटतम स्थान पर बाढ़ से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। • अन्य प्रमुख विशेषताओं में से एक इंटरएक्टिव मानचित्र का उपयोग करके पूर्वानुमान लगाना शामिल है जहां उपयोगकर्ता सीधे मानचित्र से बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक) या बाढ़ सलाह (7 दिनों तक) पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ○ उपयोगकर्ता सर्च बॉक्स में स्टेशन के नाम से भी जानकारी ले सकते हैं। जब ड्रॉप डाउन से किसी स्टेशन का नाम चुना जाता है, तो स्थान मानचित्र पर ज़ूम इन हो जाएगा। • ऐप राज्य-वार/बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान (24 घंटे तक) या बाढ़ सलाह (7 दिन तक) भी प्रदान करेगा, जिसे ड्रॉपडाउन मेनू से राज्यवार या बेसिनवार विशिष्ट स्टेशनों का चयन करके एक्सेस किया जा सकता है। • आसान पहुंच: ऐप को Google Play Store से नि: शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। ○ ऐप भी जल्द ही Apple iOS पर भी उपलब्ध होगा। • उन्नत प्रौद्योगिकियां: "फ्लडवॉच" ऐप सटीक और समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए उपग्रह डेटा विश्लेषण, गणितीय मॉडलिंग और वास्तविक समय की निगरानी जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करता है। **अवश्य पढ़ें:** शहरीकरण और शहरी बाढ़ **स्रोत:** पीआईबी
मैटी केला	संदर्भ: हाल ही में, मैटी केला (मैटी बनाना) की किस्म को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया गया। **मैटी केले के बारे में:-** • वे कन्याकुमारी, तमिलनाडु के मूल निवासी हैं। (ड्रैगन फल) • कन्याकुमारी तब त्रावणकोर का हिस्सा था। • यह अद्वितीय जलवायु और मिट्टी में पनपता है। • यह मुख्य रूप से कल्कुलम और विलावनकोड तालुकों में फलता-फूलता है। • इसे 'बेबी बनाना' के नाम से जाना जाता है। • इसकी कम कुल घुलनशील ठोस सामग्री (टीएसएससी) इसे शिशु आहार के रूप में उपयुक्त बनाती है। • मैटी केले के छह ज्ञात प्रकार हैं:-

- नल मैटी: पीला-नारंगी रंग और बढ़िया सुगंध।
- थेन मैटी (शहद मैटी): गूदे का स्वाद शहद जैसा होता है।
- काल मैटी का नाम इसके गूदे में बनने वाले कैल्शियम ऑक्सालेट क्रिस्टल और त्वचा पर काले बिंदुओं के कारण पड़ा है।
- नेई मैटी: घी की सुगंध फैलाता है।
- सुंदरी मैटी: एक मैटी क्लोन, जिसकी लम्बी फलियां, मोटा छिलका और मलाईदार सफेद छिलका होता है।

अवश्य पढ़ें: चर्चा में क्रॉप्स: कटहल

स्रोत: द हिंदू

हिलेरी चक्रवात

संदर्भ: हाल ही में, हिलेरी चक्रवात ने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक नुकसान पहुंचाया।

पृष्ठभूमि:-

- हिलेरी 84 वर्षों में दक्षिणी कैलिफोर्निया को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात है।

चक्रवात हिलेरी के बारे में:-

IMAGE SOURCE: dailybreeze.com

- **स्थान:** बाजा कैलिफोर्निया के पश्चिमी तट के पास।
  - बाजा कैलिफोर्निया: पूर्व में कैलिफोर्निया की खाड़ी और पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर द्वारा बाध्य मैक्सिकन प्रायद्वीप।

मूल और प्रक्षेपवक्र:-

- यह मुख्य भूमि मेक्सिको के तट से एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में उत्पन्न हुआ।
- यह मौसम घटना तेजी से एक श्रेणी 2 तूफान में बदल गई और फिर एक श्रेणी 3 तूफान में बदल गई।
- जल्द ही, इसकी अनुमानित समयरेखा से लगभग एक दिन पहले इसे आधिकारिक तौर पर श्रेणी 4 तूफान के रूप में नामित किया गया था।

तूफान की श्रेणियां:-

- तूफान को उनकी अधिकतम निरंतर हवा की गति के आधार पर सैफिर-सिम्पसन तूफान पवन स्केल पर वर्गीकृत किया जाता है।
- स्केल श्रेणी 1 (सबसे कमजोर) से श्रेणी 5 (सबसे मजबूत) तक होता है।
- प्रत्येक श्रेणी उच्च हवा की गति और क्षति के लिए क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है।

इसके गहनता के पीछे संभावित कारक:-

- वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन की अपेक्षा की, न केवल इस तरह के तूफान की घटना को बढ़ावा देने के लिए, बल्कि निम्नलिखित निहितार्थों के कारण उन्हें और भी अधिक तीव्र बनाते हैं:-
- महासागरों की सतह के तापमान का उदय: वैश्विक माध्य समुद्र की सतह का तापमान 1850 के बाद से 0.9 डिग्री

	सेल्सियस के करीब और पिछले चार दशकों में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया है।
	• उच्च समुद्र की सतह का तापमान: यह समुद्री गर्मी की लहरों, एक चरम मौसम की घटना का कारण बनता है, जो तूफान और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जैसे तूफान भी अधिक तीव्र बना सकता है।
	  ○ समुद्री हीटवेव्स: वे समुद्र में गर्म समुद्र की सतह के तापमान की विस्तारित अवधि हैं।
	• एल नीनो: एल नीनो द्वारा स्थिति खराब हो गई है, सात वर्षों में पहली बार विकसित हो रही है।
	• इसने पूर्वी प्रशांत में ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी को कमजोर कर दिया है, जिससे क्षेत्र में अधिक तूफान आने लगे है।
	  ○ एल नीनो: एक मौसम पैटर्न जो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में सतह के पानी की असामान्य वार्मिंग को संदर्भित करता है।
	खतरा:-
	• मेक्सिको, कैलिफोर्निया और मैक्सिको के वेस्ट कोस्ट की खाड़ी पर तूफान-प्रवण राज्यों के विपरीत इस तरह के आयोजनों से निपटने में अनुभव की कमी है। (बम चक्रवात)
	• मेक्सिको के बाजा प्रायद्वीप में इसकी अपेक्षित भूस्खलन क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं और जनसंख्या घनत्व के कारण भूस्खलन, बाढ़ और व्यापक क्षति के जोखिम पैदा करती है।
	तूफान के बारे में:-
	• तूफान उष्णकटिबंधीय तूफान हैं जो अटलांटिक महासागर में बनते हैं।
	• वायु की गति: कम से कम 119 किलोमीटर (74 मील) प्रति घंटे।
	• उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति तब होती है जब नम हवा के ऊपर उठने से गर्मी पैदा होती है, जिसके फलस्वरूप नम हवा में निहित जलवाष्प का संघनन होता है।
	तूफान की प्रमुख विशेषताएं:-
	• तूफान गर्म समुद्र के पानी के ऊपर बनता है जब समुद्र की सतह का तापमान आमतौर पर 26 डिग्री सेल्सियस (79 डिग्री फ़ारेनहाइट) से ऊपर होता है।
	• कम दबाव केंद्र: तूफान में कम वायुमंडलीय दबाव का एक अच्छी तरह से परिभाषित केंद्र होता है, जिसे तूफान की आंख के रूप में जाना जाता है।
	• तेज हवाएं: हवाएँ कम से कम 74 मील प्रति घंटे (119 किलोमीटर प्रति घंटे) या उससे अधिक की निरंतर गति तक पहुंच सकती हैं।
	• भारी वर्षा
	अवश्य पढ़े: तूफान Ida
	स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

लिकारू-मिग ला-फुकचे सड़क	**संदर्भ:** हाल ही में लद्दाख में दुनिया के नए उच्चतम मोटर योग्य लिकारू-मिग ला-फुक्चे रोड का निर्माण शुरू हुआ। **पृष्ठभूमि:-** • बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन (BRO) लद्दाख में लिकारू-मिग ला-फुकचे 'रोड के निर्माण पर काम कर रहा है, जो दुनिया की नई सबसे अधिक मोटर योग्य सड़क होगी। **इसके बारे में:-**

- स्थान: लद्दाख, भारत। (ऑपरेशन सदभावना)
- यह पूर्वी लद्दाख में हनले के करीब है।
- लंबाई: 64-किमी।
- ऊंचाई: लगभग 19,400 फीट।
- यह दुनिया में सबसे अधिक मोटरबेलरोड है।
- यह उम्लिंग ला दर्रे को पार कर जाएगा।
    - उम्लिंग ला दर्रा: यह 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित, वर्तमान में दुनिया की सबसे अधिक मोटर योग्य सड़क है।
- यह लिकारू को फुक्चे से जोड़ देगा, जो वास्तविक नियंत्रण (LAC) की रेखा से 3 किमी दूर स्थित है।
    - LAC: वह सीमांकन जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। (भारत-चीन लाख गतिरोध)

महत्व:-

- यह फुक्चे एडवांस्ड लैंडिंग पैड के लिए एक वैकल्पिक भूमि कनेक्टिविटी मार्ग भी प्रदान करेगा।
- यह भारत की पहली परियोजना है जिसे पूरी तरह से ऑल वुमन रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया है।
- इसका नेतृत्व पांच सदस्यीय ऑल वूमन बॉर्डर रोड टास्क फोर्स ने किया है।
- इस परियोजना के साथ, BRO उच्चतम मोटर योग्य सड़क के अपने रिकॉर्ड को तोड़ देगा।

अवश्य पढ़ें : भारत के लद्दाख में पहले 'नाइट स्काई अभयारण्य'

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

परवनर रिवर

संदर्भ: हाल ही में, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (NLCIL) ने परवनर रिवर कोर्स के स्थायी मोड़ को पूरा किया।

मुद्दे की पृष्ठभूमि:-

- परवनर रिवर कोर्स का अस्थायी संरेखण खदान से सिर्फ 60 मीटर दूर है।
- इस परवनर नदी को उत्तर -पश्चिम और दक्षिणी क्षेत्रों से 100 वर्ग किलोमीटर से अधिक के कैचमेंट क्षेत्र से तूफान के पानी को संभालना है।
- इस क्षेत्र में कई गाँव हैं, और आवासों के साथ -साथ कृषि क्षेत्रों को लगातार और भारी बारिश के दौरान आवेग से कृषि क्षेत्रों की सुरक्षा करना सर्वोपरि हो गया है।
- जवाबदेही और जिम्मेदारी लेते हुए NLCIL ने परवनर के स्थायी मोड़ के कार्य के माध्यम से एक पर्याप्त और स्थायी जलमार्ग प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।
- 21 अगस्त 2023 को NLCIL द्वारा परवनर रिवर कोर्स के स्थायी मोड़ का लंबे समय से लंबित और महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो गया है।

इसके बारे में

	• स्थान: तमिलनाडु
	• परवनर नदी बेसिन जो एक पत्ती के आकार की नदी बेसिन है।
	• यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे छोटा नदी बेसिन है।
	• यह तमिलनाडु के कुडलोर जिले के अंदर स्थित है।
	• परवनर नदी एक परिपक्व नदी नहीं है।
	• यह एक मौसमी और पंचांग नदी है।
	  ○ पंचांग: केवल कुछ समय के लिए स्थायी या उपयोग किया जाता है।
	  ○ **Ephemeral:** lasting or used for only a short period of time.
	Nlcil के बारे में:-
	• स्थापना: वर्ष 1956 में
	• मंत्रालय: कोयला मंत्रालय (कोयला अर्थव्यवस्था)
	• मुख्यालय: तमिलनाडु, भारत
	• कोर व्यवसाय: खनन और बिजली उत्पादन
	• वर्तमान खनन क्षमता: 52.1 MTPA
	  ○ लिग्नाइट 32.1 MTPA
	  ○ कोयला: 20.0 MTPA
	• वर्तमान बिजली उत्पादन क्षमता (JVs सहित): 6061.06 मेगावाट
	  ○ लिग्नाइट: 3640MW
	  ○ कोयला: 1000 मेगावाट
	  ○ सौर: 1370.06 मेगावाट
	  ○ वायु : 51 मेगावाट
	• NLCIL एक नवरत्ना कंपनी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
	• यह कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। (भारत का कोयला से दूर संक्रमण)
	अवश्य पढ़े: रिवर सिटीज एलायंस
	स्रोत: पीआईबी

मैजिक राइस	**संदर्भ:** हाल ही में, मैजिक राइस को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग मिला। **मैजिक राइस के बारे में:-** • मैजिक राइस को चोकुवा राइस के रूप में भी जाना जाता है। • यह असम की पाक विरासत का एक हिस्सा है। • यह अनोखा चावल शक्तिशाली अहोम राजवंश के सैनिकों का एक प्रमुख स्थान रहा है। • इसकी खेती ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के आसपास की जाती है। • यह अर्द्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है, जिसे साली चावल के रूप में जाना जाता है। • चिपचिपा और ग्लूटिनस किस्म को उनके एमाइलोज एकाग्रता के आधार पर बोरा और चोकुवा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • कम अमाइलोज चोकुवा राइस वेरिएंट का उपयोग सॉफ्ट चावल बनाने के लिए किया जाता है, जिसे कोमल चाउल या सॉफ्ट चावल के रूप में जाना जाता है।

	• इस चावल की विविधता को तैयारी और पोषण मूल्य की सुविधा के लिए व्यापक रूप से खपत होती है। **अवश्य पढ़े:** नरसिंघपेटाई नागास्वरम के लिए जीआई टैग **स्रोत:** ECONOMIC TIMES

IASBABA

पर्यावरण और पारिस्थितिकी

ग्रेट बैरियर रीफ

संदर्भ: हाल ही में, यूनेस्को ने ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को "डेंजर इन डेंजर" सूची से हटा दिया है।

पृष्ठभूमि:-

- देर से, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर प्रदूषण, महासागरों की वार्मिंग से "गंभीर खतरे" और निरंतर मूंगा ब्लीचिंग घटनाओं से था। इसलिए, यूनेस्को समिति ने रीफ को खतरे की सूची में रखा।
- हालांकि, यूनेस्को ने रीफ को साफ रखने के लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धताओं के कारण, अपनी "डेंजर इन डेंजर" सूची से रीफ को हटा दिया।

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में:-

- स्थान: कोरल सी (उत्तर-पूर्व तट), क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया के तट से दूर।
- यह दुनिया का सबसे मूंगा चट्टान पारिस्थितिकी तंत्र है जो 2,900 से अधिक व्यक्तिगत भित्तियों और 900 द्वीपों से बना है।
- यह चट्टान संरचना अरबों छोटे जीवों द्वारा बनाई गई और निर्मित है, जिन्हें मूंगा पॉलीप्स के रूप में जाना जाता है, मूंगा भित्तियों की संरचना का निर्माण करते हैं।
    - कोरल पॉलीप्स: छोटे, सॉफ्ट-शरीर वाले जीव और उनका आधार जो एक कठिन, सुरक्षात्मक चूना पत्थर कंकाल है जिसे एक कैलिकल कहा जाता है।
    - इन पॉलीप्स में माइक्रोस्कोपिक शैवाल होते है जिसे ज़ोक्सैंथेला कहा जाता है जो उनके ऊतकों के अंदर रहते हैं।
    - कोरल और शैवाल का एक पारस्परिक (सहजीवी) संबंध है।
    - पारस्परिकता: विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों के बीच एक दीर्घकालिक संबंध जहां दोनों प्राणी लाभान्वित होते हैं।
- यह दुनिया में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा एकत्रीकरण है।
- इसे 1981 में एक विश्व विरासत स्थल के रूप में चुना गया था। (ग्रेट बैरियर रीफ को "डेंजर इन डेंजर" वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में जोड़ा जाने की सिफारिश की गई थी)

मूंगा भित्तियों के लिए खतरा:-

- मानवजनित गतिविधियाँ: जैसे कि तटीय विकास, विनाशकारी मछली पकड़ने के तरीके और घरेलू एवं औद्योगिक सीवेज से प्रदूषण।

	• बढ़े हुए अवसादन, अति-शोषण और आवर्ती चक्रवातों के कारण। • कोरल रोग: जैसे कि मानव आबादी द्वारा प्रस्तुत किए गए संक्रामक सूक्ष्मजीवों के कारण ब्लैक बैंड और व्हाइट बैंड, जो तटीय क्षेत्रों में रहते हैं। • महासागर अम्लीकरण • मूंगों की ओवरफिशिंग और ओवरहार्टिंग • प्रवाल विरंजन • सनस्क्रीन रसायन • कई कोरल को गहने के लिए अवैध कटाई से खतरा रहता है। **भारत में कोरल रीफ क्षेत्र:-** • मन्नार की खाड़ी • अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह • लक्षद्वीप द्वीप समूह • कच की खाड़ी **अवश्य पढ़े :** ब्लैक कोरल की नई प्रजातियां **स्रोत:** टाइम्स ऑफ इंडिया
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)	**संदर्भ:** राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने हाल ही में सूचित किया कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) ने अभी तक घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) को लागू नहीं किया है, जो आपदा प्रतिक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। **घटना प्रतिक्रिया प्रणाली (आईआरएस) के बारे में:** • आईआरएस एक सामान्य संगठनात्मक संरचना के भीतर काम करने वाली सुविधाओं, उपकरणों, कर्मियों, प्रक्रिया और संचार का एक संयोजन है, जिसमें किसी घटना से संबंधित निर्धारित उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए निर्दिष्ट संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। **आईआरएस के कार्य:** • प्रशासनिक संरचना और डीएम अधिनियम 2005 के अनुरूप, जिम्मेदार अधिकारी (Responsible Officer-RO) को घटना प्रतिक्रिया प्रबंधन के समग्र प्रभारी के रूप में राज्य और जिला स्तर पर नामित किया गया है। • RO घटना कमांडर (आईसी) को जिम्मेदारियां सौंप सकता है, जो बदले में घटना प्रतिक्रिया टीमों (आईआरटी) के माध्यम से घटना का नेतृत्व/प्रबंधन करेगा। • IRS क्षेत्र में घटना प्रतिक्रिया टीमों (IRT) के माध्यम से कार्य करता है। IRT एक टीम है जिसमें आईआरएस संगठन के सभी पद शामिल होते हैं; इंसीडेंट कमांडर (आईसी) की अध्यक्षता में। ○ प्रारंभिक चेतावनी प्राप्त होने पर, आरओ आईआरटी को सक्रिय करता है। • बिना किसी चेतावनी के किसी आपदा की स्थिति में, स्थानीय आईआरटी प्रतिक्रिया देगा और यदि आवश्यक हो तो आगे की सहायता के लिए आरओ से संपर्क करेगा। • आईआरटी सभी स्तरों, यानी राज्य, जिला, उप-मंडल और तहसील/ब्लॉक पर पूर्व-निर्धारित हैं। • आईआरटी की सबसे निचली प्रशासनिक इकाई (उप-मंडल/तहसील/ब्लॉक) 'पहली प्रतिक्रियाकर्ता' होगी। • यदि घटना जटिल हो जाती है और स्थानीय आईआरटी के नियंत्रण से परे हो जाती है, तो उच्च स्तरीय आईआरटी को सूचित किया जाएगा। ○ ऐसे मामलों में निचले स्तर के आईआरटी का उच्च स्तर के आईआरटी में विलय हो जाता है। • जब आईआरटी का निचला स्तर उच्च स्तर के साथ विलय हो जाता है, तो निचले स्तर का आईसी डिप्टी आईसी या

	ऑपरेशंस सेक्शन चीफ (ओएससी) या किसी अन्य कर्तव्य की भूमिका निभा सकता है जिसे उच्च प्राधिकारी का आईसी सौंपता है। स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स
वाक्विटा पोरपोइज़	**संदर्भ:** अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) ने वाक्विटा पोरपोइज़ पर अपना पहला 'विलुप्त होने की चेतावनी' जारी की है। **पृष्ठभूमि:-** ● अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC) ने 7 अगस्त, 2023 को वाक्विटा पोरपोइज़ पर अपना पहला 'विलुप्त होने की चेतावनी' जारी की, जिनमें से केवल 10 व्यक्ति कैलिफोर्निया की खाड़ी या मैक्सिको में कॉर्टेज़ सागर में जीवित बचे हैं। ○ अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग (IWC): यह व्हेल के संरक्षण और व्हेलिंग के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। ○ इसे व्हेलिंग के नियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICRW) के तहत स्थापित किया गया था। ○ इसे व्हेलिंग के नियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (ICRW) के तहत स्थापित किया गया था। ○ ICRW सदस्य देशों की व्यावसायिक, वैज्ञानिक और आदिवासी जीविका व्हेलिंग प्रथाओं को नियंत्रित करता है। ○ इस पर 1946 में हस्ताक्षर किये गये थे। ○ मुख्यालय: इम्पिंगटन, कैम्ब्रिज के पास, इंग्लैंड। 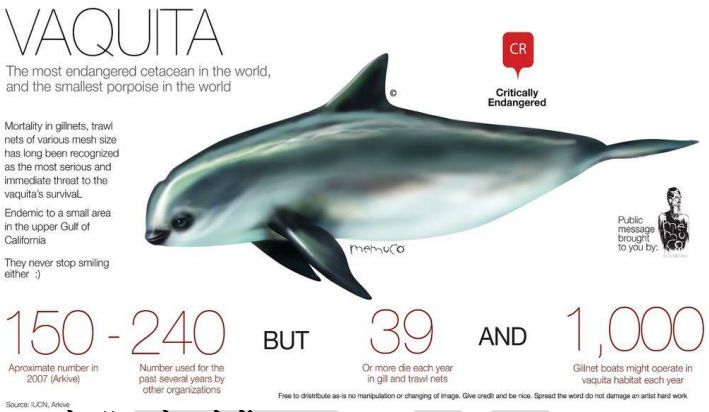 **वैक्विटा पोरपॉइज़ के बारे में:-** ● वैज्ञानिक नाम: फ़ोकैना साइनस ● लंबाई: 5 फीट तक ● वजन: 120 पाउंड तक ● आवास: समुद्री ○ वाक्विटा केवल कैलिफोर्निया की खाड़ी, मैक्सिको के सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है। ○ यह आमतौर पर 50 मीटर तक गहरे उथले पानी में देखा जाता है। ● जनसंख्या: लगभग 10 लोग ○ यह विलुप्ति के कगार पर है। ● वैक्विटा, दुनिया का सबसे दुर्लभ समुद्री स्तनपायी है। ● स्पेनिश में इसके नाम का अर्थ है "छोटी गाय"। ● वाक्विटा की आंखों के चारों ओर एक बड़ा काला घेरा और होठों पर काले धब्बे होते हैं जो मुंह से पेक्टोरल पंख तक एक पतली रेखा बनाते हैं। ● यह पोरपोइज़ के बीच अद्वितीय है क्योंकि यह गर्म पानी में पाई जाने वाली उस परिवार की एकमात्र प्रजाति है।

	• ऐसा माना जाता है कि पृष्ठीय पंख का आकार इसके अनुरूप होता है, जिससे शरीर की अतिरिक्त गर्मी खत्म हो जाती है। **संरक्षण स्थिति वैक्विटा पोर्पोइज़:-** • IUCN लाल सूची: गंभीर रूप से लुप्तप्राय। • उद्धरण: परिशिष्ट I **अवश्य पढ़ें:** जेब्राफिश **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI)	**संदर्भ:** भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (जेडएसआई) के एक हालिया प्रकाशन से पता चलता है कि भारत में पाए जाने वाले लगभग 5% पक्षी स्थानिक हैं। **रिपोर्ट की मुख्य बातें:-** • भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक वाला प्रकाशन हाल ही में ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर जारी किया गया था। • भारत 1,353 पक्षी प्रजातियों का घर है, जो वैश्विक पक्षी विविधता का लगभग 12.40% प्रतिनिधित्व करता है। • इन 1,353 पक्षी प्रजातियों में से 78 (5%) देश के लिए स्थानिक हैं। • 78 प्रजातियों में से तीन प्रजातियों को पिछले कुछ दशकों में दर्ज नहीं किया गया है। • वे मणिपुर बुश बटेर हैं जिन्हें आईयूसीएन रेड लिस्ट द्वारा 'लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसे आखिरी बार 1907 में देखा गया था; हिमालयी बटेर को 1876 में आखिरी बार देखे जाने के साथ 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था; और जेर्डन कौरसर को 2009 में अंतिम बार देखे जाने की पुष्टि के साथ 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय' के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। • 78 स्थानिक प्रजातियों में से 25 को IUCN द्वारा 'संकटग्रस्त' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। • पश्चिमी घाट में 28 पक्षी प्रजातियों के साथ स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। • अंडमानंद निकोबार द्वीप समूह में 25 पक्षी प्रजातियाँ स्थानिक हैं। **भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) के बारे में:-** • स्थापना: वर्ष 1916 में • मंत्रालय:पर्यावरण और वन मंत्रालय • मुख्यालय: कोलकाता • भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। • उद्देश्य: इसे देश की असाधारण समृद्ध जीव-जंतु विविधता पर ज्ञान की उन्नति के लिए अग्रणी जीव-जंतु सर्वेक्षण और संसाधनों की खोज के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। **ZSI के कार्य:-** • पहचान एवं सलाहकारी सेवाएँ • पशु वर्गीकरण और जीवविज्ञान सर्वेक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षण और विस्तार सेवाएँ। • पुस्तकालय सुविधाएं • पत्रिकाओं और पुस्तकों में शोध कार्य की प्रस्तुति और प्रकाशन। • इसका अध्ययन:- ○ राज्यों का जीव-जंतु। ○ संरक्षण क्षेत्रों के जीव-जंतु। ○ महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के जीव।

	○ लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण। ○ भारत के जीव-जंतु ○ पारिस्थितिक अध्ययन और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन। **अवश्य पढ़ें:** केरल बर्ड एटलस (KBA) **स्रोत:** द हिंदू
अमेज़ॅन सहयोग संधि संगठन (ACTO)	**संदर्भ:** हाल ही में अमेज़ॅन सहयोग संधि संगठन (एसीटीओ) के सदस्यों ने ब्राजील में उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की रक्षा के लिए एक रोडमैप के साथ बैठक की। **पृष्ठभूमि:-** ● आठ अमेज़ॅन देशों के नेताओं और मंत्रियों ने 8 अगस्त, 2023 को बेलेम, ब्राज़ील में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। ● बेलेम घोषणापत्र ने अमेज़ॅन की चल रही समाप्ति को बिना वापसी के बिंदु तक पहुंचने से रोकते हुए अपने देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की योजना बनाई। ● शिखर सम्मेलन का उद्देश्य अमेज़ॅन बेसिन में सतत विकास को संबोधित करना था, लेकिन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लक्ष्यों पर आम सहमति हासिल करने में असफल रहा। **अमेज़न सहयोग संधि संगठन (एसीटीओ) के बारे में:-** ● स्थापना: वर्ष 1978 में ● मुख्यालय: ब्रासीलिया, ब्राज़ील। ● आधिकारिक भाषाएँ: डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली और स्पेनिश। ● सदस्य: आठ देश-बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम और वेनेजुएला। ● ACTO आठ अमेजोनियन देशों द्वारा गठित एक अंतरसरकारी संगठन है जिसने अमेज़न सहयोग संधि (ACT) पर हस्ताक्षर किए हैं। ○ अधिनियम: इस पर 1978 में हस्ताक्षर किए गए और इसने ACTO को जन्म दिया। ● यह लैटिन अमेरिका का एकमात्र सामाजिक-पर्यावरणीय ब्लॉक है। ● स्थायी सचिवालय निदेशालय और परियोजनाओं का समन्वय उनकी गतिविधियों की योजना बनाता है और उन्हें क्रियान्वित करता है। **ATCO का उद्देश्य:-** ● अमेजोनियन क्षेत्रों के सामंजस्यपूर्ण विकास को बढ़ावा देना। ● अमेज़न क्षेत्र का सतत विकास करना। (अमेज़ॅन बेसिन में वनों की कटाई)

	अवश्य पढ़ें: भारत और ब्राजील: द्विपक्षीय निवेश संधि **स्रोत:** द हिंदू
टर्टल सर्वाइवल एलायंस (TSA)	**संदर्भ:** पीलीभीत टाइगर रिजर्व और टर्टल सर्वाइवल एलायंस (टीएसए) ने कछुओं के संरक्षण के लिए हाथ मिलाया है। **पृष्ठभूमि:-** ● पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने कछुओं की सुरक्षा, प्रजातियों की पहचान करने और रिजर्व के भीतर और बाहर उनकी आबादी का अनुमान लगाने के लिए अपनी प्रारंभिक 'पंचवर्षीय योजना' तैयार की। **टर्टल सर्वाइवल एलायंस (टीएसए) के बारे में:-** ● गठित: वर्ष 2001 में ● मुख्यालय: यूएसए ● उद्देश्य: यह 21वीं सदी में जीरो टर्टल विलुप्ति हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध एक वैश्विक साझेदारी है। ● इसे शुरुआत में IUCN कछुआ और मीठे पानी के कछुए विशेषज्ञ समूह का एक टास्क फोर्स नामित किया गया था। **टीएसए की गतिविधियां:-** ● कैप्टिव ब्रीडिंग और पुनरुत्पादन कार्यक्रम। ● अंदर और बाहर-स्थान संरक्षण कार्यक्रम। ● शोध और सर्वेक्षण **पीलीभीत टाइगर रिजर्व:-** ● स्थान: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहाँपुर जिले में। ● यह ऊपरी गंगा के मैदान में तराई आर्क लैंडस्केप का हिस्सा बनता है। ○ तराई आर्क लैंडस्केप (टीएएल): इसके पश्चिम में यमुना नदी और पूर्व में भागमती नदी के बीच 810 किमी की दूरी है। ● यह अत्यधिक विविध और उत्पादक तराई पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ● इस रिज़र्व का उत्तरी किनारा भारत-नेपाल सीमा पर स्थित है जबकि दक्षिणी सीमा शारदा और खकरा नदी द्वारा चिह्नित है। ● वर्ष 2014 में : इसे टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया। ● वर्ष 2020 में : पिछले चार वर्षों में बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्राप्त हुआ। ● वनस्पति: इसमें कई जल निकायों के साथ ऊंचे साल के जंगल, वृक्षारोपण और घास के मैदान हैं। ● जीव-जंतु: जंगली जानवरों में बाघ, दलदली हिरण, बंगाल फ्लोरिकन, तेंदुआ आदि शामिल हैं। **टर्टल और टोर्टोईसे:-** ● वे टेस्टुडाइन्स क्रम के सरीसृप हैं। ● इनकी पसलियों से विकसित एक विशेष हड्डी या कार्टिलाजिनस खोल की विशेषता होती है जो ढाल के रूप में कार्य करती है। ● **पर्यावास:** मीठे पानी या खारे पानी। ● कछुए ठंडे खून वाली प्रजाति हैं। ● कछुए भूमि पर रहने वाले होते हैं। ● भारत में पाए जाने वाले कछुओं की संरक्षण स्थिति:- ● ओलिव रिडले - कमजोर ● ग्रीन टर्टल - लुप्तप्राय

	• लोगरहेड - कमजोर • हॉक्सबिल - गंभीर रूप से लुप्तप्राय • लेदर बैक - कमजोर • भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972: अनुसूची I • इन्हें जैव विविधता संरक्षण और गंगा कायाकल्प कार्यक्रम के तहत भी संरक्षित किया गया है। **अवश्य पढ़े:** पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार TX2 **स्रोत**: टाइम्स ऑफ इंडिया
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)	**संदर्भ:** हाल ही में, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने राजस्थान के जैसलमेर में लंबी गर्दन वाले, पौधे खाने वाले डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। **इस अध्ययन के बारे में:-** • आईआईटी-रुड़की और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (जीएसआई) के वैज्ञानिकों ने यह शोध किया। **जाँच - परिणाम:-** • इसके अवशेष 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं। • ये एक नई प्रजाति से संबंधित हैं जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए अज्ञात है। • इसे 'थारोसॉरस इंडिकस' नाम दिया गया है। ○ पहला नाम 'थार रेगिस्तान' को संदर्भित करता है जहां जीवाश्म पाए गए थे। ○ दूसरा नाम इसके मूल देश के नाम पर है। • डाइक्रायोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म पहले उत्तर और दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और चीन में पाए गए हैं, लेकिन भारत में ऐसे जीवाश्म ज्ञात नहीं थे। • जिन चट्टानों में जीवाश्म पाए गए, वे लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराने बताये गए हैं। • यह इस नए भारतीय सॉरोपॉड को न केवल सबसे पुराना ज्ञात डाइक्रायोसॉरिड बनाता है, बल्कि विश्व स्तर पर सबसे पुराना डिप्लोडोकॉइड भी बनाता है। ○ डिप्लोडोकोइड: एक व्यापक समूह जिसमें डाइक्रेओसॉरिड्स और अन्य निकट से संबंधित सॉरोपोड्स शामिल हैं। • अब तक के सिद्धांतों ने सुझाव दिया था कि सबसे पुराना डाइक्रायोसॉरिड चीन का था (लगभग 166-164 मिलियन वर्ष पुराना)। **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के बारे में:-** • स्थापना: वर्ष 1851में • मंत्रालय: खान मंत्रालय • मुख्यालय: कोलकाता (जीएसआई) ○ इसके छह क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलांग और कोलकाता में स्थित हैं। • भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) एक वैज्ञानिक एजेंसी है। • यह दुनिया में ऐसे सबसे पुराने संगठनों में से एक है और सर्वे ऑफ इंडिया (1767 में स्थापित) के बाद भारत में दूसरा सबसे पुराना सर्वेक्षण है। (सर्वे ऑफ इंडिया) • यह भू-सूचना विज्ञान क्षेत्र में अन्य हितधारकों के साथ सहयोग और सहयोग के माध्यम से, भूवैज्ञानिक सूचना और स्थानिक डेटा के प्रसार के लिए नवीनतम कंप्यूटर-आधारित प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करता है। **GSI की भूमिका:-**

IASBABA

	• भारत का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना। • सरकार, उद्योग और आम जनता को बुनियादी पृथ्वी विज्ञान जानकारी का प्रमुख प्रदाता है। • बहु-विषयक के साथ-साथ मौलिक भूवैज्ञानिक अनुसंधान और अध्ययन का संचालन करना। • भूविज्ञान से संबंधित सभी क्षेत्रों में हितधारकों के साथ भूवैज्ञानिक गतिविधियों का समन्वय करना। • पृथ्वी और इसके पारिस्थितिक तंत्र और इसके भूविज्ञान के बारे में हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोगी परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना। • भूवैज्ञानिक क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका बनाए रखना और केंद्र, राज्य एवं अन्य संस्थानों के साथ साझेदारी विकसित करना। **अवश्य पढ़ें:** भारत में असामान्य डायनासोर के अंडे स्रोतः टाइम्स ऑफ इनिडिया
टैचीमेनोइड्स हैरिसनफोर्डी	**संदर्भ:** हाल ही में सांप की एक नई प्रजाति 'टैचीमेनोइड्स हैरिसनफोर्डी' का नाम हॉलीवुड अभिनेता हैरिसन फोर्ड के नाम पर रखा गया है। **पृष्ठभूमि:-** • जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका और पेरू के शोधकर्ताओं ने सांप की हाल ही में खोजी गई प्रजाति का नाम अभिनेता हैरिसन फोर्ड के नाम पर रखा है। **इसके बारे में:-** • नामकरण: इसका नाम अभिनेता हैरिसन फोर्ड के सम्मान में रखा गया। ○ यह फोर्ड के नाम पर नामित होने वाली तीसरी पशु प्रजाति है। ○ इससे पहले, चींटी (फीडोल हैरिसनफोर्डी) और मकड़ी (कैलपोनिया हैरिसनफोर्डी) का नाम उनके नाम पर रखा गया था। • उपस्थिति: इसकी माप लगभग 16 इंच (40.6 सेंटीमीटर) है। ○ इसमें बिखरे हुए काले धब्बों के साथ पीला-भूरा रंग होता है। • विशिष्ट विशेषताएं: सांप का पेट काला होता है, उसकी तांबे के रंग की आंख के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, और अद्वितीय निशान होते हैं जो इसकी पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। **अवश्य पढ़ें:** खारे पानी का मगरमच्छ **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
हंगुल	**संदर्भ:** जम्मू-कश्मीर में हंगुल आबादी में हाल के दिनों में वृद्धि देखी गई है। **हंगुल के बारे में:-** • यह जम्मू एवं कश्मीर का राज्य पशु है। • हंगुल को कश्मीर स्टैग भी कहा जाता है। • हंगुल, या सर्वस एलाफस हंग्लू, यूरोपीय लाल हिरण की एक उप-प्रजाति है। • यह केवल कश्मीर में विद्यमान माना जाता है। **आवास एवं वितरण:-** • यह दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित है। • यह जम्मू और कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर से लगभग 15 किमी उत्तर पश्चिम में रहते है। • हंगुल एक समय कश्मीर के पहाड़ों और पड़ोसी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के कुछ हिस्सों में व्यापक रूप से पाए जाते थे। **संरक्षण की स्थिति:-**

- IUCN की लाल सूची: गंभीर रूप से लुप्तप्राय (IUCN प्रजातियों की लाल सूची को अद्यतन करता है)
- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I (भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII))
- जम्मू-कश्मीर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1978: अनुसूची I

अवश्य पढ़ें: वन्यजीव संरक्षण

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ)

संदर्भ: वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड (जीबीएफएफ) को हाल ही में आयोजित वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) की सातवीं असेंबली में अनुमोदित और लॉन्च किया गया था।

वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क फंड (जीबीएफएफ) के निहितार्थ:-

- सरकारें, गैर-लाभकारी संस्थाएं और निजी क्षेत्र अब जीबीएफएफ में अपने फंड का योगदान करते हैं।
- यह सुनिश्चित करेगा कि दुनिया 2030 तक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी (सीबीडी) द्वारा तैयार किए गए कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क (जीबीएफ) के लक्ष्य और टारगेट को पूरा कर ले।
- लगभग 20 प्रतिशत धनराशि जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए स्वदेशी नेतृत्व वाली पहल का समर्थन करेगी।
- यह छोटे द्वीप विकासशील राज्यों और कम विकसित देशों के लिए समर्थन को भी प्राथमिकता देगा, जिन्हें फंड के संसाधनों का एक तिहाई से अधिक प्राप्त होगा।
- यह पहली बार है कि स्वदेशी समुदायों जैसे गैर-राज्य अभिनेताओं को धन दिया जाएगा।
- GBF के लक्ष्य-19 के तहत, 2030 तक प्रति वर्ष कम से कम $200 बिलियन जुटाने की आवश्यकता होगी।
- कनाडा और यूनाइटेड किंगडम पहले ही GBFF को क्रमशः 200 मिलियन कनाडाई डॉलर और 10 मिलियन पाउंड का दान दे चुके हैं।

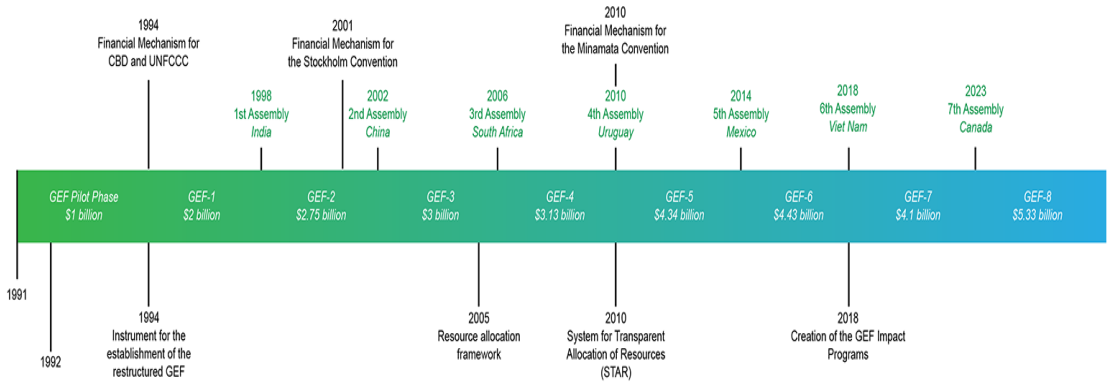

  - कनाडा और यूके से डोनेशन के बाद, वर्ष 2023 के अंत तक फंड को चालू करने के लिए अभी भी $40 मिलियन की आवश्यकता है।
- जून 2024 परिषद बैठक में पहले कार्य कार्यक्रम को मंजूरी देने के उद्देश्य से पहली जीबीएफएफ परिषद बैठक जनवरी 2024 में आयोजित की जाएगी।
- परिषद की बैठक के बाद फंड की पहली किश्त वितरित किए जाने की संभावना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नए फंड के तहत पहली परियोजनाएं सीबीडी के CoP16 से पहले लॉन्च की जा सकें।

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1991 में
- इसकी स्थापना UNFCC के 1992 के रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर की गई थी।
- मुख्यालय: वाशिंगटन, डी.सी.संयुक्त राज्य अमेरिका।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- इसे विश्व बैंक के तहत एक कोष के रूप में स्थापित किया गया था।
- पुनर्गठित: वर्ष 1994 में
- वर्ष 1992 में : रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन में, जीईएफ का पुनर्गठन किया गया और विश्व बैंक प्रणाली से बाहर निकलकर एक स्थायी, अलग संस्थान बन गया।
    - हालाँकि, 1994 से, विश्व बैंक ने GEF ट्रस्ट फंड के ट्रस्टी के रूप में कार्य किया है।
    - रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन: यह वर्ष 1992 में रियो डी जनेरियो (ब्राजील) में आयोजित एक प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था।
    - इसने पर्यावरण पर मानव सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। (जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2020 वस्तुतः आयोजित)
- जीईएफ के सदस्य: इसके 184 सदस्य देश हैं।
  o भारत एक सदस्य है।
- GEF की सातवीं सभा का स्थान: वैंकूवर, कनाडा।
- यह फण्ड से संबंधित है जो जैव विविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि और महासागर स्वास्थ्य पर तनाव का मुकाबला करने के लिए समर्पित है।
- इसके अनुदान, मिश्रित वित्तपोषण और नीति समर्थन से विकासशील देशों को उनकी सबसे बड़ी पर्यावरणीय प्राथमिकताओं को संबोधित करने और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों का पालन करने में मदद मिलती है।
- यह पांच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है:-

मिनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी

- हस्ताक्षरित: वर्ष 2013 में
- वर्ष 2014 से प्रभावी।
- यह मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को मरकरी और मरकरी यौगिकों के मानवजनित उत्सर्जन और रिलीज से बचाने के लिए बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय संधि है।

सतत कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) पर स्टॉकहोम कन्वेंशन

- हस्ताक्षरित: वर्ष 2001 में
- वर्ष 2004 से प्रभावी
- यह एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसका उद्देश्य लगातार जैविक प्रदूषकों (पीओपी) के उत्पादन और उपयोग को खत्म करना या प्रतिबंधित करना है।

जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीबीडी) (संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन)

- हस्ताक्षरित: 5 जून 1992 - 4 जून 1993।
- वर्ष 1993 से प्रभावी।
- यह "जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे" के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी साधन है।

मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीसीडी)

- हस्ताक्षरित: 14 अक्टूबर 1994 - 13 अक्टूबर 1995।
- वर्ष 1996 से प्रभावी
- इसकी स्थापना 1994 में हमारी भूमि की रक्षा और पुनर्स्थापन एवं एक सुरक्षित, न्यायपूर्ण और अधिक टिकाऊ भविष्य

	सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी)** • हस्ताक्षरित: वर्ष 1992-1993 • वर्ष 1994 से प्रभावी • इसे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के अंतिम उद्देश्य के साथ 1992 में अपनाया गया था। **GEF का संगठन:-** • जीईएफ की शासकीय संरचना एक विधानसभा, परिषद, सचिवालय, 18 कार्यान्वयन एजेंसियों, एक वैज्ञानिक और तकनीकी सलाहकार पैनल और स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के आसपास आयोजित की जाती है। • जीईएफ परिषद: यह जीईएफ का मुख्य शासी निकाय है, और इसमें सदस्य देशों के निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा नियुक्त 32 सदस्य शामिल हैं। **जीईएफ के कार्य:-** • यह दुनिया के सबसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए विकासशील देशों के कार्य का समर्थन करता है। • यह पांच फोकल क्षेत्रों के आसपास कार्य का आयोजन करता है - जैव विविधता हानि, रसायन और अपशिष्ट, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल और भूमि क्षरण। • यह अधिक टिकाऊ खाद्य प्रणालियों, वन प्रबंधन और शहरों का समर्थन करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। **जीईएफ और भारत:** • भारत जीईएफ का संस्थापक सदस्य है। • यह जीईएफ फंड का दाता और प्राप्तकर्ता दोनों है। • भारत जीईएफ परिषद में जीईएफ दक्षिण एशिया निर्वाचन क्षेत्र (बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सहित) का प्रतिनिधित्व करता है। • जीईएफ राजनीतिक केंद्र बिंदु: आर्थिक मामलों का विभाग (डीईए) है। • यह जीईएफ शासन से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार है, जिसमें नीतियों और निर्णयों के साथ-साथ सदस्य देशों और जीईएफ परिषद एवं विधानसभा के बीच संबंध भी शामिल हैं। • जीईएफ ऑपरेशनल फोकल प्वाइंट (ओएफपी): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) **अवश्य पढ़ें:** जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 **स्रोत:** डाउन टू अर्थ
प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा (KDMECC)	**संदर्भ:** हाल ही में जलवायु परिवर्तन और मानव गतिशीलता पर कंपाला घोषणा में 48 अफ्रीकी देश सदस्य बने। **पृष्ठभूमि:-** • प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा के महाद्वीपीय विस्तार पर राज्यों के सम्मेलन के लिए 48 अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधि केन्या के नैरोबी में एकत्र हुए। • 23 अगस्त, 2023 को शुरू हुए राज्यों के तीन दिवसीय सम्मेलन में KDMECC के महाद्वीपीय विस्तार पर चर्चा की गई। • इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के समर्थन से केन्या और युगांडा की सरकारों द्वारा सह-मेज़बान किया गया था। **अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम):-** • स्थापना: वर्ष 1951 में • मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड. • वर्तमान में इसके 175 सदस्य देश हैं।

- यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रवासी श्रमिकों सहित सरकारों और प्रवासियों को प्रवासन से संबंधित सेवाएं और सलाह प्रदान करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के शासी निकाय में परिषद शामिल है, जो सर्वोच्च प्राधिकरण है, और कार्यक्रम एवं वित्त पर स्थायी समिति, परिषद की एक उप-समिति है।

प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा (KDMECC) के बारे में:-

- हस्ताक्षरित: वर्ष 2022 में
- कंपाला, युगांडा में हस्ताक्षरित है।
- हस्ताक्षरित: 15 अफ्रीकी राष्ट्र।
- उद्देश्य: महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करना।
- घोषणापत्र व्यावहारिक और प्रभावी तरीके से जलवायु-प्रेरित गतिशीलता को संबोधित करने के लिए सदस्य राज्यों के नेतृत्व में पहला व्यापक, कार्रवाई-उन्मुख ढांचा है।
- आवश्यकता: अफ्रीका जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति दुनिया के सबसे संवेदनशील महाद्वीपों में से एक है। (जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक जोखिम)
    - आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में 7.5 मिलियन से अधिक नए आंतरिक आपदा विस्थापन हुए।
    - यदि इनका कुछ नहीं किया गया, तो अफ्रीकी महाद्वीप में लगभग 105 मिलियन लोग आंतरिक प्रवासी हो सकते हैं।
- प्रगति: मई 2023 में एक विशेषज्ञ कार्य समूह (ईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि KDMECC के हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।
- ईडब्ल्यूजी में हस्ताक्षरकर्ता देशों और क्षेत्रीय निकायों के जलवायु और प्रवासन विशेषज्ञ और युवा जलवायु अधिवक्ता शामिल हैं।
- महत्व: यह सुनिश्चित करेगा कि युवाओं, महिलाओं और कमजोर परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्तियों सहित सभी आवाजें विस्तारित घोषणा की प्राथमिकता हैं।

KDMECC के हस्ताक्षरकर्ता देश:-

- बुरुंडी गणराज्य
- जिबूती गणराज्य
- कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य
- इथियोपिया का संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य
- केन्या गणराज्य
- रवांडा गणराज्य
- सोमालिया संघीय गणराज्य
- दक्षिण सूडान गणराज्य
- सूडान गणराज्य
- संयुक्त गणराज्य तंजानिया
- युगांडा गणराज्य
- अरब गणराज्य मिस्र

- पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया
- सेनेगल गणराज्य
- जाम्बिया गणराज्य

अवश्य पढ़ें: जलवायु परिवर्तन को कम करना

स्रोत: डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच (IPBES)

संदर्भ: जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (आईपीबीईएस) पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच की 10वीं पूर्ण बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी।

आईपीबीईएस की 10वीं पूर्ण बैठक के बारे में:-

- दिनांक: 28 अगस्त - 2 सितंबर 2023
- स्थान: बॉन, जर्मनी
- एजेंडा: "आक्रामक विदेशी प्रजातियां और उनके नियंत्रण" पर वैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट।
- आईपीबीईएस 10 का फोकस आक्रामक विदेशी प्रजातियों और उनके नियंत्रण का विषयगत मूल्यांकन होगा, जिसकी तैयारी आईपीबीईएस 8 में अनुमोदित की गई थी।
- कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क (जीबीएफ) को अपनाने के बाद आईपीबीईएस10 इस वैश्विक निकाय की पहली बैठक है।

जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (आईपीबीईएस) पर अंतर सरकारी विज्ञान-नीति मंच के बारे में:-

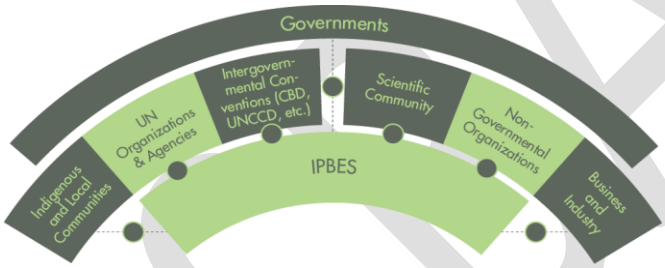

- स्थापना: वर्ष 2012 में
- मुख्यालय: बॉन, जर्मनी
- आईपीबीईएस सदस्य देश: 143।
- यह एक स्वतंत्र अंतरसरकारी निकाय है।
- यह जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर साक्ष्य-आधारित और नीति-प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है। (जैव विविधता संरक्षण)
- पर्यवेक्षक राज्य और हितधारक भी पूर्ण सत्र में भाग लेते हैं।
- आईपीबीईएस निर्णय निर्माताओं के अनुरोधों के जवाब में जैव विविधता की स्थिति और समाज को प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का आकलन करता है।
- यह संयुक्त राष्ट्र निकाय नहीं है। (संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन)
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) आईपीबीईएस को सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। (यूएनईपी की उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2022)

आईपीबीईएस संरचना:-

- प्लेनरी:

- आईपीबीईएस का शासी निकाय।
- यह आईपीबीईएस सदस्य देशों के प्रतिनिधियों से बना है।
- यह आमतौर पर प्रति वर्ष एक बार मिलता है।

- **पर्यवेक्षक:** कोई भी राज्य जो अभी तक आईपीबीईएस का सदस्य नहीं है।
- **ब्यूरो:** इसमें आईपीबीईएस अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष और पांच अतिरिक्त अधिकारी शामिल हैं जो आईपीबीईएस के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करते हैं।
- **बहुविषयक विशेषज्ञ पैनल (एमईपी):** संयुक्त राष्ट्र के पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक से पांच विशेषज्ञ प्रतिभागी, सभी आईपीबीईएस वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों की देखरेख करते हैं।
- **हितधारक:** आईपीबीईएस आउटपुट के सभी योगदानकर्ता और अंतिम उपयोगकर्ता।
- विशेषज्ञ समूह और कार्यबल: आईपीबीईएस मूल्यांकन और अन्य डिलिवरेबल्स को पूरा करने वाले चयनित वैज्ञानिक और ज्ञान धारक।
- **सचिवालय:** प्लेनरी, ब्यूरो और एमईपी को समर्थन के साथ-साथ प्लेटफ़ॉर्म के काम और प्रशासनिक कार्यों को लागू करने के माध्यम से आईपीबीईएस की कुशल कार्यप्रणाली सुनिश्चित करता है।

आईपीईबीएस के कार्य:-

- आकलन: विशिष्ट विषयों पर (उदाहरण के लिए "परागणकर्ता, परागण और खाद्य उत्पादन"); कार्यप्रणाली संबंधी मुद्दे (जैसे "परिदृश्य और मॉडलिंग); और क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर (उदाहरण के लिए "जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का वैश्विक मूल्यांकन")।
- नीति समर्थन: नीति-प्रासंगिक उपकरणों और पद्धतियों की पहचान करना, उनके उपयोग को सुविधाजनक बनाना और उनके आगे के विकास को उत्प्रेरित करना।
- क्षमता और ज्ञान का निर्माण: हमारे सदस्य राज्यों, विशेषज्ञों और हितधारकों की प्राथमिक क्षमता, ज्ञान और डेटा आवश्यकताओं की पहचान करना और उन्हें पूरा करना।
- संचार और आउटरीच: हमारे कार्य की व्यापक पहुंच और प्रभाव सुनिश्चित करना।

अवश्य पढ़ें: आक्रामक पौधों का विस्तार

स्रोत: डाउन टू अर्थ

IASBABA

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

हेपेटाइटिस

संदर्भ: हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 मनाया गया।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 के बारे में:-

- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 28 जुलाई को मनाया जाता है।
- यह वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है।
- विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम: "एक जीवन, एक जिगर", वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-**
  - इसे शुरुआत में 19 मई को मनाया गया था लेकिन बाद में 2010 में इसे 28 जुलाई को कर दिया गया।
  - 2007 में स्थापित विश्व हेपेटाइटिस एलायंस ने 2008 में पहला समुदाय-संचालित विश्व हेपेटाइटिस दिवस आयोजित किया।
  - इस तिथि को डॉ. बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग को सम्मानित करने के लिए चुना गया था।
  - डॉ. बारूक सैमुअल ब्लमबर्ग: अमेरिकी चिकित्सक जिन्होंने 1960 के दशक में हेपेटाइटिस बी की खोज की थी।

हेपेटाइटिस:-

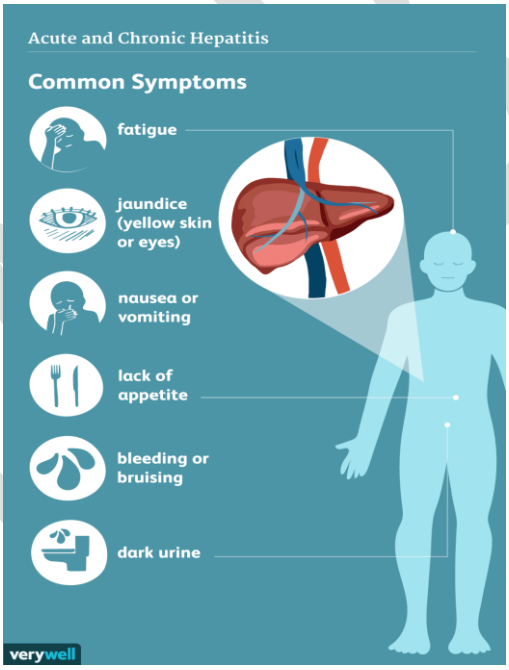

- हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है।
- यह हो सकता है:-
  o तीव्र: यकृत की सूजन जो पीलिया, बुखार और उल्टी जैसी बीमारी के साथ होती है।
  o क्रोनिक: यकृत की सूजन जो छह महीने से अधिक समय तक रहती है, लेकिन अनिवार्य रूप से कोई लक्षण नहीं

दिखाती है।

हेपेटाइटिस के सामान्य लक्षणों में शामिल हैं-

- थकान
- फ्लू जैसे लक्षण
- गहरे रंग का मूत्र
- पीला मल
- पेट में दर्द
- भूख में कमी
- अस्पष्टीकृत वजन घटना
- त्वचा और आंखें पीली होना, जो पीलिया का लक्षण हो सकता है

हेपेटाइटिस के प्रकार:-

वायरल हेपेटाइटिस के पांच मुख्य प्रकार हैं:-

हेपेटाइटिस ए (एचएवी):-

- एचएवी आमतौर पर गैर-क्रोनिक होता है।
- यह दीर्घकालिक जिगर की समस्याओं का कारण नहीं बनता है और शायद ही कभी दीर्घकालिक जटिलताओं का कारण बनता है।
- **संचरण:** यह मुख्य रूप से दूषित भोजन या पानी के सेवन से फैलता है।
- **उपचार:** जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है और इसकी अनुशंसा की जाती है।

हेपेटाइटिस बी (एचबीवी):-

- यह दुनिया का सबसे आम लीवर संक्रमण है। एचएवी के विपरीत, एचबीवी क्रोनिक संक्रमण का कारण बन सकता है जैसे सिरोसिस और लीवर कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
- संचरण: यह मुख्य रूप से संक्रमित रक्त, यौन संपर्क और बच्चे के जन्म के दौरान मां से बच्चे में फैलता है।
- उपचार: टीकाकरण की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है और इसे नवजात शिशुओं और जोखिम वाले व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए।

हेपेटाइटिस सी (एचसीवी):-

- अधिकांश मामलों में यह दीर्घकालिक संक्रमण का कारण बन सकता है।
- संचरण: यह मुख्य रूप से संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है, जो अक्सर असुरक्षित इंजेक्शन प्रथाओं और चिकित्सा उपकरणों की अपर्याप्त नसबंदी से जुड़ा होता है।
- उपचार: एचसीवी के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन एंटीवायरल उपचार उपलब्ध हैं और कई मामलों में संक्रमण को ठीक कर सकते हैं।

हेपेटाइटिस डी (एचडीवी):-

- यह एक अनोखा प्रकार का हेपेटाइटिस है जो केवल एचबीवी से संक्रमित व्यक्तियों में होता है।
- डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एचडीवी क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण वाले लगभग 5% लोगों को प्रभावित करता है।
- इसे वायरल हेपेटाइटिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है।
- यह एचबीवी से संबंधित यकृत रोग की प्रगति को तेज कर सकता है।
- उपचार: टीकाकरण के माध्यम से एचबीवी संक्रमण को रोकना एचडीवी (रोग निगरानी प्रणाली) को रोकने की कुंजी है।

	हेपेटाइटिस ई (एचईवी):- • संचरण: यह मुख्य रूप से खराब स्वच्छता वाले क्षेत्रों में दूषित पानी के माध्यम से फैलता है। • यह आमतौर पर एक स्व-सीमित बीमारी है, लेकिन गर्भवती महिलाओं को गंभीर जटिलताओं और मृत्यु दर का अधिक खतरा होता है। • उपचार: एचईवी के लिए कोई विशिष्ट उपचार या टीका नहीं है। **अवश्य पढ़ें:गैर-संचारी रोग (एनसीडी)** **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
स्क्रब टाइफस	**संदर्भ:** हाल ही में केरल में स्क्रब टाइफस के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया था। **स्क्रब टाइफस के बारे में:-** • स्क्रब टाइफस को बुश टाइफस के नाम से भी जाना जाता है। • इसके कारण: यह ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। • संचरण: स्क्रब टाइफस संक्रमित चिगर्स (लार्वा माइट्स) के काटने से लोगों में फैलता है। **स्क्रब टाइफस के सामान्य लक्षण:-** • बुखार • सिरदर्द • शरीर में दर्द • खरोंच • सूखी खाँसी • त्वचा के चकत्ते • लाल आँखें • कुछ मामलों में मानसिक परिवर्तन, भ्रम से लेकर कोमा तक होता है। **स्क्रब टाइफस का उपचार:-** • टीकाकरण: स्क्रब टाइफस से बचाव के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। • दवा: एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन का उपयोग किया जाता है। o डॉक्सीसाइक्लिन एक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग कुछ जीवाणु और परजीवी संक्रमणों जैसे कि जीवाणु निमोनिया, मुँहासे, क्लैमाइडिया संक्रमण, लाइम रोग, हैजा, टाइफस और सिफलिस के उपचार में किया जाता है। **स्क्रब टाइफस से बचाव:-** • घुन निरोधकों (Mite repellents) को उजागर त्वचा पर लगाया जा सकता है। • काम के लिए झाड़ीदार क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले पूरी तरह से ढके हुए कपड़े पहनना। • लोगों को जमीन या घास पर कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। • झाड़ियों और कम वनस्पति को हटाने सहित आसपास की नियमित सफाई। **अवश्य पढ़ें:** इबोला रोग **स्रोत:** द हिंदू
स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ़ साइट (NLOS)	**संदर्भ:** भारतीय वायु सेना को इज़राइल की स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ़ साइट (एनएलओएस) एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइलें मिली हैं। **पृष्ठभूमि:-** • स्पाइक एनएलओएस को रूसी मूल के Mi-17V5 हेलीकॉप्टरों के बेड़े के साथ एकीकृत किया जाएगा। **स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ़ साइट (एनएलओएस) के बारे में:-**

IASBABA

	• द्वारा विकसित: राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड, इज़राइल। **स्पाइक एनएलओएस की विशिष्ट विशेषताएं:-** • स्पाइक एनएलओएस एक बहुउद्देश्यीय, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल/इन्फ्रारेड मिसाइल प्रणाली है। • यह एक दागने और भूलने वाली एंटी-टैंक और एंटी-कार्मिक मिसाइल है। • रेंज: 32 किलोमीटर तक • इसे जमीन, वायु या समुद्री प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। • इसमें दूर स्थित या भौगोलिक दृष्टि से छुपे लक्ष्य पर बिना दृष्टि रेखा के हमला करने की क्षमता है। o मिसाइल मार्गदर्शन में, दृष्टि की रेखा (एलओएस) सीधे लॉन्चर/टैकर और लक्ष्य के बीच की रेखा है। • हथियार का साधक (weapon's seeker) और वायरलेस डेटालिंक ऑपरेटरों को मिसाइल की उड़ान के दौरान वास्तविक समय की वीडियो इमेजरी और मैन-इन-द-लूप नियंत्रण प्रदान करता है। o यह ऑपरेटरों को लक्ष्य के रास्ते में मिशन को बदलने या निरस्त करने का अवसर प्रदान करता है। • इजराइल में बनी स्पाइक मिसाइल लंबी दूरी से पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने में सक्षम है। **अवश्य पढ़ें:** बैलिस्टिक मिसाइलें **स्रोत**: हिंदुस्तान टाइम्स
हवाना सिंड्रोम	संदर्भ: हाल ही में, केंद्र सरकार ने बेंगलुरु निवासी की हालिया याचिका के जवाब में कर्नाटक उच्च न्यायालय से कहा है कि वह भारत में 'हवाना सिंड्रोम' के मामले पर गौर करेगी। **हवाना सिंड्रोम के बारे में:-** • हवाना सिंड्रोम दुर्बल करने वाले मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों की एक श्रृंखला है। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • इनसे सबसे पहले 2016 के अंत में हवाना, क्यूबा में तैनात अमेरिकी खुफिया अधिकारी और दूतावास के कर्मचारी प्रभावित हुए। • अगले वर्ष, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अमेरिकी राजनयिकों ने इसी तरह के लक्षणों की सूचना दी। **भारत में हवाना सिंड्रोम:-** • भारत में, इस तरह का पहला मामला सितंबर 2021 में सामने आया था, जब नई दिल्ली की यात्रा कर रहे एक अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने हवाना सिंड्रोम के लक्षणों की सूचना दी थी। • जुलाई 2023 तक, 2021 की घटना भारत में सिंड्रोम की एकमात्र रिपोर्ट की गई घटना थी। **हवाना सिंड्रोम के कारण:-** • दिसंबर 2020 में, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सिंड्रोम के लिए सबसे अच्छा स्पष्टीकरण स्पंदित, निर्देशित माइक्रोवेव होगा। **हवाना सिंड्रोम के लक्षण:-** • बिना किसी बाहरी शोर के कुछ खास आवाजें सुनना (मानसिक स्वास्थ्य) • जी मिचलाना • चक्कर आना और • सिरदर्द • मेमोरी लॉस • संतुलन संबंधी मुद्दे **हवाना सिंड्रोम के दीर्घकालिक प्रभाव:-**

	• माइग्रेन • दूर की दृष्टि में समस्या • स्किनटिंग (Squinting) • बार-बार चक्कर आना • नाक से खून आना **हवाना सिंड्रोम का उपचार:-** रोग के प्रबंधन में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ शामिल हैं जैसे:- • आर्ट थेरपी • मेडिएशन • साँस लेने के व्यायाम • एक्यूपंक्चर **अवश्य पढ़ें:** दुर्लभ बीमारियाँ **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
RISC V- सेमीकंडक्टर	**संदर्भ:** हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि आरआईएससी वी- सेमीकंडक्टर तकनीक भारत को वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती देने का मौका दे सकती है। 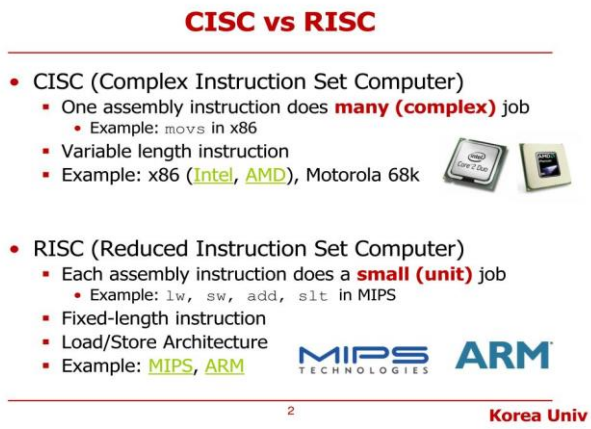 **पृष्ठभूमि:-** • भारत ने ओपन-सोर्स आरआईएससी-वी आर्किटेक्चर के पीछे अपना वेटेज डाला है। • इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर डिजाइन में आत्मनिर्भर होना है। **आरआईएससी वी- सेमीकंडक्टर के बारे में:-** • आविष्कार: प्रो. डेविड पैटरसन. • आरआईएससी शब्द का अर्थ "कम निर्देश सेट कंप्यूटर" है जो कुछ कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित करता है जबकि 'वी' 5वीं पीढ़ी के लिए है। • यह एक स्वतंत्र और खुला ISA (इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर) है। • यह मॉड्यूलर डिज़ाइन के साथ ओपन-सोर्स मॉडल का अनुसरण करता है। • इसमें, सभी आधार निर्देश लगे हुए हैं, जिसका अर्थ है कि हार्डवेयर स्थिर है और सॉफ्टवेयर सैद्धांतिक रूप से हर जगह और हमेशा के लिए आरआईएससी-वी चिप्स पर काम करने में सक्षम होगा। (भारत सेमीकंडक्टर मिशन) • वे स्थान-बाधित डिज़ाइन और जटिल कम्प्यूटेशनल कार्यों में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं।

	आरआईएससी वी- सेमीकंडक्टर के उपयोग:- • इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के अंतिम अनुप्रयोगों को लक्षित करने वाले कस्टम प्रोसेसर के विकास के लिए किया जाता है। • इसका उपयोग डिजाइनिंग में किया जाता है। • इसका उपयोग पहनने योग्य वस्तुओं, IoT, स्मार्टफोन, ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस और बहुत कुछ में किया जाता है, जो बिजली दक्षता, प्रदर्शन अनुकूलन और सुरक्षा प्रदान करता है। **अवश्य पढ़ें:**सिलिकॉन डिप्लोमेसी **स्रोत:** टाइम्स ऑफ इंडिया
लूना 25 मिशन	**संदर्भ:** लूना 25 मिशन रूस द्वारा लॉन्च किया गया था। **पृष्ठभूमि:-** • रूस ने लगभग आधी सदी में चंद्रमा की सतह पर अपना पहला मिशन लॉन्च किया, ताकि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन सके। **लूना 25 मिशन के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2023 में • लॉन्च किया गया: रोस्कोस्मोस 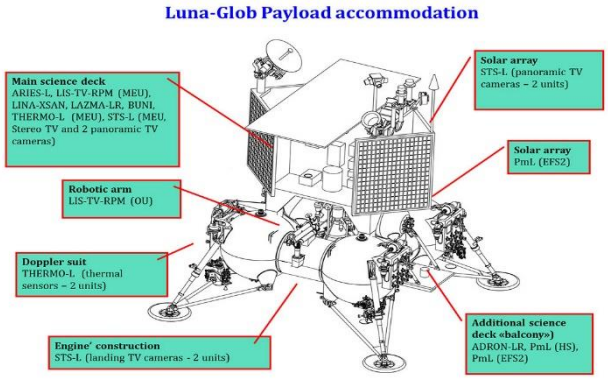 o रोस्कोस्मोस: रूस का राज्य अंतरिक्ष निगम जो अंतरिक्ष उड़ानों, एयरोस्पेस अनुसंधान और कॉस्मोनॉटिक्स कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार है। • टेकऑफ़: वोस्तोचन कॉस्मोड्रोम, रूस। • लैंडिंग साइट: मंज़िनी क्रेटर के दक्षिण-पश्चिम में। • इसे लूना-ग्लोब-लैंडर भी कहा जाता है। • यह एक रूसी चंद्र लैंडर मिशन है। • इसमें मिट्टी के नमूने एकत्र करने के लिए रोबोटिक आर्म और ड्रिलिंग हार्डवेयर सहित तीस किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण ले जाने हैं। • यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अध्ययन करेगा। **लूना 25 मिशन के उद्देश्य:-** • ध्रुवीय रेजोलिथ की संरचना का अध्ययन करना। • चंद्र ध्रुवीय बाह्यमंडल के प्लाज्मा और धूल घटकों का अध्ययन करना। **अवश्य पढ़ें:** सुपरमून **स्रोत:** AIR

आदित्य L1

संदर्भ: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अगस्त 2023 में आदित्य L1 उपग्रह के अपने अगले प्रक्षेपण की योजना बनाई है।

आदित्य L1 के बारे में:-

- आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष-आधारित भारतीय मिशन होगा।
- लॉन्च किया गया: इसरो द्वारा
- प्रक्षेपण यान:PSLV-XL। (PSLV-C54 प्रक्षेपण)
- गंतव्य: अंतरिक्ष यान को सूर्य-पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु 1 (L1) के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है।
  - लैग्रेंज बिंदु: अंतरिक्ष में विशिष्ट स्थान जहां दो बड़े पिंडों, जैसे कि एक ग्रह और उसका चंद्रमा या एक ग्रह और सूर्य, के गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण संतुलन के उन्नत क्षेत्रों का निर्माण करते हैं।
  - सूर्य-पृथ्वी प्रणाली में पांच प्राथमिक लैग्रेंजियन बिंदु हैं, जिन्हें L1 से L5 तक लेबल किया गया है।
  - L1 (लैग्रेंज पॉइंट 1):-
  - संस्थापक: जोसेफ लुईस लैग्रेंज
  - स्थान: सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी की कक्षा के अंदर लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर।
  - पृथ्वी-सूर्य प्रणाली का L1 बिंदु बिना किसी ग्रहण के, हर समय सूर्य का स्पष्ट दृश्य देता है।
- आदित्य एल1 का महत्व: यह वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर उनके प्रभाव को देखने में अधिक लाभ प्रदान करेगा।

आदित्य L1 के उद्देश्य:-

- सौर ऊपरी वायुमंडलीय गतिशीलता का अध्ययन।
- क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयनित प्लाज्मा की भौतिकी, कोरोनल मास इजेक्शन की शुरुआत और फ्लेयर्स।
  o सूर्य का कोरोना: इसके वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है।
- सौर कोरोना के भौतिकी और इसके तापन तंत्र का अध्ययन।
- कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा के निदान का अध्ययन: तापमान, वेग और घनत्व।
- सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का अध्ययन।

अवश्य पढ़ें: अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान (एनजीएलवी)

स्रोत: AIR

चंद्रयान-3

संदर्भ: चंद्रयान-3 जांच से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह और उसके नीचे के तापमान में 50°C का अंतर है।

पृष्ठभूमि:-

- 27 अगस्त, 2023 को, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रमा की सतह और लगभग 8 सेमी नीचे एक बिंदु के बीच तापमान भिन्नता का एक ग्राफ जारी किया, जिसे चंद्रयान -3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल पर ChaSTE नामक उपकरण द्वारा मापा गया था।
- ChaSTE - 'चंद्रस सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट' का संक्षिप्त रूप है।
- विकसित: इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) की अंतरिक्ष भौतिकी प्रयोगशाला, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), अहमदाबाद के साथ।
- यह एक तापमान जांच है जिसे मोटर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर 10 सेमी तक की गहराई तक चलाया जा सकता है।

- इसने इसके तापीय व्यवहार को समझने के लिए दक्षिणी ध्रुव के आसपास चंद्रमा की ऊपरी मिट्टी के तापमान प्रोफ़ाइल को मापा।
- इसके डेटा से पता चलता है कि चंद्रमा की सतह पर (जहां लैंडर स्थित है, क्रेटर मैन्ज़िनस सी और सिम्पेलियस एन के बीच एक बिंदु), तापमान 40-50 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन 80 मिमी के नीचे, यह लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है।

चंद्रयान-3 के बारे में:-

IMAGE SOURCE: IASBABA

- चंद्रयान-3, चंद्रयान-2 मिशन का उत्तराधिकारी है।
- प्रक्षेपण यान: मार्क-III (LVM3)।
- लॉन्च स्थल: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी), श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश।
- संरचना: इसमें एक स्वदेशी लैंडर मॉड्यूल (एलएम), एक प्रोपल्शन मॉड्यूल (पीएम), और एक रोवर शामिल है।
  - लैंडर: एक अंतरिक्ष यान जो किसी खगोलीय पिंड की सतह की ओर उतरता है और रुक जाता है।
  - प्रोपल्शन मॉड्यूल: एक बॉक्स जैसी संरचना, जिसके एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल और शीर्ष पर एक बड़ा सिलेंडर लगा होता है।
  - रोवर: एक छोटा वाहन जो उबड़-खाबड़ जमीन पर चल सकता है, अक्सर अन्य ग्रहों की सतह पर उपयोग किया जाता है, कभी-कभी पृथ्वी से नियंत्रित किया जाता है।
- लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए वैज्ञानिक पेलोड हैं।
- इसमें चंद्रयान 2 जैसा कोई ऑर्बिटर नहीं होता है।

चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्य:-

- चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना।
- चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन करना।
- यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना।

लैंडर पेलोड:-

- चंद्रा का सतही थर्मोफिजिकल प्रयोग (ChaSTE): तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए होता है।
- चंद्र भूकंपीय गतिविधि के लिए उपकरण (ILSA): लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने के लिए होता है।
- लैंगमुइर जांच (LP): प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए होता है।
- नासा के एक निष्क्रिय लेजर रेट्रोरिफ्लेक्टर ऐरे को चंद्र लेजर रेंजिंग अध्ययन के लिए समायोजित किया गया है।

	रोवर पेलोड:- • अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (एपीएक्सएस) और लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप (एलआईबीएस): लैंडिंग स्थल के पास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए। **प्रणोदन मॉड्यूल पेलोड:-** • रहने योग्य ग्रह पृथ्वी की स्पेक्ट्रो-पोलरिमेट्री (SHAPE): परावर्तित प्रकाश में छोटे ग्रहों की भविष्य की खोज हमें विभिन्न प्रकार के एक्सो-ग्रहों की जांच करने की अनुमति देगी जो रहने या जीवन की उपस्थिति के लिए योग्य होंगे। **GSLV-Mk III के बारे में:-** • वज़न: 641 टन • क्षमता: GSLV 10,000 किलोग्राम वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षाओं में ले जा सकता है। • इसे लॉन्च व्हीकल मार्क 3 (LVM3) के नाम से भी जाना जाता है। • यह तीन चरणों वाला वाहन है। o इसमें दो ठोस मोटर स्ट्रैप-ऑन, एक तरल प्रणोदक कोर चरण और एक क्रायोजेनिक चरण है। • **यह भारत के परिचालन प्रक्षेपण वाहनों में सबसे भारी और सबसे छोटा है।** **अवश्य पढ़ें:** गगनयान **स्रोत:** द हिंदू
स्मिशिंग	**संदर्भ:** iPhone और Android उपयोगकर्ताओं को हाल ही में 'स्मिशिंग' नामक एक नई धोखाधड़ी के प्रति चेतावनी दी गई थी। **स्मिशिंग के बारे में:-** • स्मिशिंग" "एसएमएस" (लघु संदेश सेवा) और "फ़िशिंग" का एक संयोजन है। • यह एक प्रकार का फ़िशिंग हमला है। • इसमें व्यक्तियों को धोखाधड़ी वाले टेक्स्ट संदेश भेजना शामिल है। • उद्देश्य: संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी, जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर, या अन्य गोपनीय डेटा प्रकट करने के लिए उन्हें धोखा देना। • साइबर अपराधी धोखाधड़ी वाले ईमेल भेजते हैं जो प्राप्तकर्ता को किसी दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करने के लिए प्रेरित करते हैं। • यह ईमेल के बजाय टेक्स्ट संदेशों का उपयोग करता है। (साइबर हमले) • इसमें अक्सर ऐसे संदेश शामिल होते हैं जो वैध स्रोतों जैसे बैंक, सरकारी एजेंसियों या प्रसिद्ध कंपनियों से आते प्रतीत होते हैं। **कार्य तंत्र:-** • स्मिशिंग संदेशों में आम तौर पर प्राप्तकर्ताओं को तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने वाली अत्यावश्यक या लुभावनी सामग्री होती है। • यह किसी दुर्भावनापूर्ण लिंक पर क्लिक करना, फ़ोन नंबर पर कॉल करना या संवेदनशील जानकारी प्रदान करना हो सकता है। • एक बार जब पीड़ित लिंक खोलता है और उस पर क्लिक करता है या संदेश में सूचीबद्ध फोन नंबर डायल करता है, तो उन्हें एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट या एक मोबाइल फोन लाइन पर ले जाया जाता है जिसे एक वैध स्रोत जैसा दिखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • पीड़ित को संवेदनशील जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे लॉगिन क्रेडेंशियल, सामाजिक सुरक्षा नंबर, क्रेडिट कार्ड की जानकारी, या व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)।

	• एक बार जब पीड़ित की संवेदनशील जानकारी प्रकट हो जाती है, तो हमलावर धोखाधड़ी करने के लिए इसे चुरा सकता है। **जरूर पढ़ें:** साइबर क्राइम **स्रोत:** टाइम्स नाउ

इतिहास, कला एवं संस्कृति

जलेसर धातु शिल्प	**संदर्भ:** हाल ही में, जलेसर धातु शिल्प सहित पूरे भारत के सात उत्पादों को भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग दिया गया। **पृष्ठभूमि:-** • जीआई टैग 'जलेसर धातु शिल्प' (एक धातु शिल्प), 'गोवा मानकुराद आम', 'गोअन बेबिनका', 'उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प', 'बीकानेर काशीदाकारी शिल्प', 'जोधपुर बंधेज शिल्प' और बीकानेर उस्ता कला शिल्प' द्वारा सुरक्षित किए गए थे। **जलेसर धातु शिल्प:-** • जलेसर उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। • यह मगध राजा जरासंध की राजधानी थी। • जलेसर की धातु कला अपने जटिल डिजाइनों और असाधारण शिल्प कौशल, पारंपरिक और समकालीन दोनों शैलियों के तत्वों के मिश्रण के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठित है। • कुशल कारीगर धातु उत्पादों की एक विविध श्रृंखला बनाने के लिए कास्टिंग, मोल्डिंग, हैमरिंग, एनग्रेविंग और फिलाग्री कार्य जैसी विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं। **जोधपुर बंधेज शिल्प:-** • यह बांधने और रंगने की राजस्थानी कला है। • यह राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कला रूपों में से एक है। • प्रयुक्त कपड़े: मलमल, रेशम, और वॉयल। • कपड़े को बांधने के लिए सूती धागे का उपयोग किया जाता है। **बीकानेर उस्ता कला शिल्प:-** • इसे गोल्ड नक्काशी या गोल्ड मनौटीवर्क के नाम से भी जाना जाता है। • यह इसके लंबे समय तक चलने वाले सुनहरे रंग की प्रमुखता को दर्शाता है। • अनुपचारित कच्चे ऊंट की खाल को उस्ता की आवश्यकताओं के लिए चमड़े के कारीगरों के डापगर समुदाय द्वारा संसाधित और ढाला जाता है। **उदयपुर कोफ्तगारी धातु शिल्प:-** • कोफ्तगारी की प्राचीन कला का उपयोग उत्कृष्ट सजावटी हथियार बनाने के लिए किया जाता है। • तकनीक: इस दमिश्क तकनीक में डिजाइनों को उकेरने, धातु को गर्म करने और ठंडा करने की एक जटिल प्रक्रिया शामिल है, साथ ही सतह पर सोने और चांदी के तार भी जड़े जाते हैं। ○ जड़े हुए धातु अलंकरण के विपरीत, तार लोहे में नहीं डूबता; इसके बजाय, यह सतह पर रहता है और दबाने, जलाने और चमकाने के माध्यम से यांत्रिक रूप से बंधा होता है। ○ डिज़ाइन पूरा होने के बाद, ओपानी नामक जलने वाले उपकरण का उपयोग मढ़ी हुई चांदी को पुश करने

	और मजबूती से बांधने के लिए किया जाता है। ○ अंत में, अंतिम आश्चर्यजनक स्वरूप प्राप्त करने के लिए सतह को हकीक पत्थर का उपयोग करके पॉलिश किया जाता है। • 'कोफ्तगारी' शब्द की उत्पत्ति फारसी और उर्दू शब्द 'कुफ्त-गारी' से हुई है, जिसका अर्थ है 'पीटा हुआ काम'। • इस कला का अभ्यास करने वाले कारीगरों को 'कुफ्तगार' या गिल्डर्स कहा जाता है। • ऐतिहासिक रूप से, कोफ्तगारी को 16वीं शताब्दी के दौरान फारसी कारीगरों द्वारा भारत लाया गया था जब वे मुगल शासकों की सेवा करते थे। • मुगल सम्राटों के पास मुगल सिलेखाना नामक एक महत्वपूर्ण लौह कार्यशाला थी जो शाही सेना के लिए सजावटी तलवारें और हथियार बनाती थी। **बीकानेर काशीदाकारी शिल्प:-** • यह पारंपरिक रूप से कपास, रेशम या मखमल पर विभिन्न प्रकार के महीन टांके और दर्पण-कार्य के साथ बनाया जाता है, मुख्य रूप से विवाह से जुड़ी वस्तुओं, विशेष रूप से उपहार वस्तुओं के लिए। • ऐसा माना जाता है कि दर्पण अपनी परावर्तक सतहों से 'बुरी नज़र' को दूर भगाते हैं। • हाथ से कपड़ों की बुनाई का काम बीकानेर और आसपास के जिलों में मेघवाल समुदाय द्वारा किया जाता था। **गोवा मनकुराड आम:-** • आम को 'मल्कोराडा' नाम पुर्तगालियों द्वारा दिया गया था। (मिथिला मखाना के लिए जीआई टैग) • इस नाम का अनुवाद 'खराब रंग' के रूप में किया गया है। • समय के साथ यह शब्द विकसित होकर 'मनकुराड' हो गया। • कोंकणी भाषा में इसे 'आमो' कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है आम। **गोवा बेबिंका:-** • बेबिन्का, एक पारंपरिक इंडो-पुर्तगाली मिठाई है। (पोक्कली चावल) • यह एक प्रकार का हलवा है जिसे व्यापक रूप से 'गोवा डेसर्ट की रानी' के रूप में मान्यता प्राप्त है। **अवश्य पढ़ें:** नरसिंहपेट्टई नागस्वरम के लिए जीआई टैग **स्रोत:** द हिंदू
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद	**संदर्भ:** सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के बीच ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को रोकने से इनकार कर दिया। **ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बारे में:-** **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • जनश्रुति है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर कराया था। • साकिब खान की किताब 'यासिर आलमगिरी' में जिक्र है कि औरंगजेब ने 1669 में गवर्नर अबुल हसन को आदेश देकर मंदिर को तुड़वा दिया था। **न्यायिक हस्तक्षेप:-** • ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास सहित तीन लोगों ने वाराणसी के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया था। भगवान विश्वेश्वर का मंदिर और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया ताकि भूमि उन्हें वापस कर दी जाए।

	• वर्ष 2021 में वाराणसी की इसी अदालत में पांच महिलाओं ने मां गौरी के मंदिर में पूजा करने की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की वर्तमान स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया। • इस संदर्भ में कोर्ट ने आयोग को श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर की वीडियो ग्राफी कर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा। • इससे हंगामा मच गया, क्योंकि सर्वेक्षण के लिए मुस्लिम पक्ष द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए। **हिंदू पक्ष की दलीलें:-** • हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए विजय शंकर रस्तोगी ने सबूत के तौर पर पूरे ज्ञानवापी परिसर का एक नक्शा अदालत में पेश किया, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद आसपास हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों के साथ-साथ विश्वेश्वर मंदिर, ज्ञानकूप, नंदी और व्यास परिवार का तहखानाका का भी जिक्र है। o इस तहखाने के सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर विवाद हो चुका है। **मुस्लिम पक्ष की दलीलें:-** • मुस्लिम पक्ष का कहना है कि धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस विवाद पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। • पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की धारा 3 के तहत, किसी पूजा स्थल, यहां तक कि उसके खंड को, एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करना निषिद्ध है। • अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को बदलने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही (जो 15 अगस्त, 1947 तक लंबित थीं) इस अधिनियम के लागू होने के बाद बंद हो जाएंगी और कोई नई कार्यवाही नहीं होगी। ऐसे मामलों पर कार्रवाई हो सकती है। o हालाँकि, यदि पूजा स्थल की प्रकृति में परिवर्तन 15 अगस्त, 1947 की कट-ऑफ तारीख (अधिनियम लागू होने के बाद) के बाद हुआ है, तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई शुरू की जा सकती है। o उदाहरण के लिए अयोध्या के विवादित स्थल (राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद) को इससे छूट दी गई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के बारे में:- • वर्ष 1861 में स्थापित। • स्थापितकर्ता: अलेक्जेंडर कनिंघम। • मंत्रालय: केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। • मुख्यालय: नई दिल्ली. (एएसआई) • एएसआई पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रमुख संगठन है। **एएसआई के कार्य:-** • यह राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन स्मारकों और अवशेषों का रखरखाव करता है। • यह 1958 के प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। • यह 1972 के पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम को भी नियंत्रित करता है। **अवश्य पढ़ें:** एएसआई हम्पी में प्रसिद्ध पत्थर रथ के चारों ओर बैरिकेडिंग की योजना बना रहा है। स्रोत: AIR
पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर	**खबरों में:** भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार (खजाना) के आंतरिक कक्ष का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी है।

पृष्ठभूमि:

- रत्न भंडार में लगभग 1.2 क्विंटल सोने के आभूषण भंडारित हैं।
- रत्न भंडार में आभूषणों की पिछली सूची 1978 में बनाई गई थी।

पुरो जगन्नाथ मंदिर के बारे में:

- पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के पूर्वी तट पर ओडिशा राज्य के पुरी में विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है।
- वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी के बाद, पूर्वी गंगा राजवंश के पहले राजा अनंतवर्मन चोदगंग देव द्वारा, पहले के मंदिर के स्थान पर किया गया था।
- पुरी के जगन्नाथ मंदिर को "व्हाइट पैगोडा" कहा जाता है।
- यह मंदिर चार धाम (बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम) तीर्थयात्राओं का एक हिस्सा है।
- पुरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा, या रथ उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें तीन प्रमुख देवताओं को विशाल और विस्तृत रूप से सजाए गए मंदिर कारों पर खींचा जाता है।
  o इनसे अंग्रेजी शब्द जगरनॉट को अपना नाम मिला।
- अधिकांश हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले पत्थर और धातु के प्रतीकों के विपरीत, जगन्नाथ की छवि लकड़ी से बनी होती है और इसे हर बारह या उन्नीस साल में औपचारिक रूप से एक सटीक प्रतिकृति से बदल दिया जाता है।

जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला:

- मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली में बनाया गया है, जिसमें पंचरथ (पांच रथ) प्रकार हैं, जिसमें दो अनुरथ, दो कोणक और एक रथ शामिल हैं।
- जगन्नाथ मंदिर सुविकसित पगाओं से युक्त पंचरथ है।
- 'गजसिम्हा' (हाथी शेर) को पगों के अवकाशों में उकेरा गया है, 'झम्पासिम्हा' (उछलते शेर) को भी ठीक से रखा गया है।
- उत्तम पंचरथ मंदिर नगर-रेखा मंदिर के रूप में विकसित हुआ।
- लिंगराज मंदिर और इस प्रकार के अन्य मंदिरों की तुलना में यह मंदिर एक ऊंचे मंच पर बनाया गया है।
- कलिंगन मंदिर वास्तुकला के इतिहास में यह पहला मंदिर है जहां मुख्य मंदिर के साथ जगमोहन, भोगमंडप और नाट्यमंडप जैसे सभी कक्ष बनाए गए थे।
- मुख्य मंदिर के तीन बाहरी किनारों पर लघु मंदिर हैं।

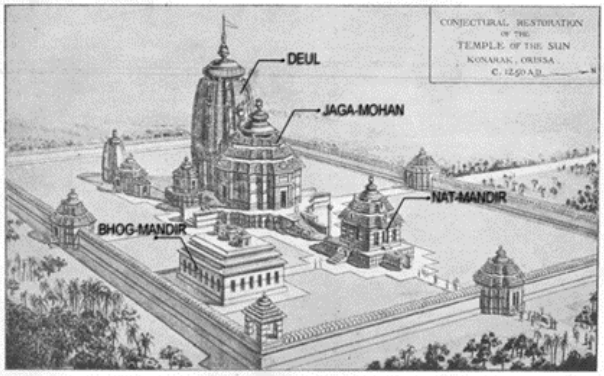

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण:

- एएसआई पुरातात्विक अनुसंधान और देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए प्रमुख संगठन है।
- एएसआई की मुख्य आपत्ति राष्ट्रीय महत्व के पुरातात्विक स्थलों, प्राचीन स्मारकों और अवशेषों को बनाए रखना है।

	• मुख्यालय: नई दिल्ली • स्थापना: 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा • यह प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार सभी पुरातात्विक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। • यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में कार्य करता है। • यह पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम, 1972 को भी नियंत्रित करता है। **स्रोत:** द हिंदू
मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ	**संदर्भ:** हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मातंगिनी हाजरा और कनकलता बरुआ को श्रद्धांजलि अर्पित की। **मातंगिनी हाजरा के बारे में:-** • जन्म : वर्ष 1869 में • जन्म स्थान तमलुक, पश्चिम बंगाल • मृत्यु: वर्ष 1942 में • उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी और 18 साल की उम्र में वह विधवा हो गई। • अपने पति की मृत्यु के बाद, उन्होंने खुद को सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। • वह राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल थीं। • वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य बन गईं और उन्होंने खुद खादी कातना शुरू कर दिया। • विचारधारा: उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों का समर्थन किया। (महात्मा गांधी) o गांधीवादी सिद्धांतों के प्रति समर्पण के लिए लोग उन्हें प्यार से गांधी बरी (ओल्ड लेडी गांधी) कहते थे। • राजनीतिक भागीदारी: सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन। • 1933: जब बंगाल के गवर्नर सर जॉन एंडरसन ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए तमलुक का दौरा किया, तो मातंगिनी चतुराई से सुरक्षा से बचते हुए मंच पर पहुंची और उन्होंने एक काला झंडा लहराया। o उसे उसकी बहादुरी के लिए छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। • 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, 73 वर्ष की आयु में, उन्होंने तमलुक पुलिस स्टेशन के अधिग्रहण की वकालत करते हुए लगभग 6,000 प्रदर्शनकारियों के एक बड़े जुलूस का नेतृत्व किया। • ब्रिटिश अधिकारियों के साथ आगामी संघर्ष में, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गईं। **कनकलता बरुआ के बारे में:-** • जन्म : 22 दिसंबर 1924 • जन्मस्थान: असम • मृत्यु: वर्ष 1942 में • वह भारत छोड़ो आंदोलन की एक युवा शहीद और साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक थीं। • भागीदारी: महज 17 साल की उम्र में, उन्होंने 20 सितंबर, 1942 को असम के गोहपुर पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराने के प्रयास में स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह मृत्यु वाहिनी (Mrityu Bahini) का नेतृत्व किया। **योगदान एवं प्रेरणा:-**

	• अपनी उम्र के बावजूद, वह जुलूस का नेतृत्व करने के लिए दृढ़ थी। • पुलिस के साथ टकराव के दौरान, झंडा पकड़े रहने के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। • उनके बलिदान ने उस समय कई लोगों को प्रेरित किया जब स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भागीदारी जोर पकड़ रही थी। • विरासत: वर्ष 2020 में, भारतीय तटरक्षक बल ने उनके नाम पर एक फास्ट पेट्रोल वेसल (एफपीवी) का नाम आईसीजीएस कनकलता बरुआ रखकर उनकी स्मृति को सम्मानित किया। **जरूर पढ़ें:** गांधी राजनीतिक विचारक और समाज सुधारक के रूप में **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
मदन लाल ढींगरा	**संदर्भ:** हाल ही में, मदन लाल ढींगरा की 114वीं जयंती पर अमृतसर में एक विशाल स्मारक समर्पित किया गया। **मदन लाल ढींगरा के बारे में:-** • जन्म : 18 फ़रवरी 1883 • अमृतसर में जन्म। • मृत्यु: 17 अगस्त, 1909। o ब्रिटिश अधिकारी कर्जन वायली (Curzon Wyllie) की हत्या के आरोप में उन्हें मात्र 24 वर्ष की उम्र में फाँसी दे दी गई। • वह एक भारतीय क्रांतिकारी थे। • उन्होंने ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया, कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया और क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गये। • उनके ब्रिटिश विरोधी झुकाव के कारण उनके परिवार ने उन्हें अस्वीकार कर दिया था। • उनकी मृत्यु के बाद भी उनके परिवार ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया। **राजनीतिक करियर एवं गतिविधियाँ:-** • उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन में दाखिला लिया, जहां उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। • इंग्लैंड में रहते हुए, ढींगरा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियों में गहराई से शामिल हो गए। • वह विनायक दामोदर सावरकर, इंडियन हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा और कई अन्य क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। • वह लंदन में विनायक सावरकर के अभिनव भारत मंडल में शामिल हुए। • उन्होंने भारतीय राष्ट्रवादियों के केंद्र इंडिया हाउस में चर्चा में भाग लिया। **कर्ज़न वायली की हत्या और मुकदमा:-** • 1 जुलाई 1909 को ढींगरा ने एक कार्यक्रम के दौरान वायली की गोली मारकर हत्या कर दी। • अपने मुकदमे के दौरान, ढींगरा ने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई के संदर्भ में अपने कार्यों को उचित बताया। • उन्हें दोषी पाया गया और 17 अगस्त 1909 को लंदन में फाँसी दे दी गई। **परंपरा:-**

- ढींगरा के अवशेष 1976 में भारत लाया गया गया और उनके बलिदान का सम्मान करने के लिए अमृतसर के गोलबाग इलाके में एक स्मारक बनाया गया।

अवश्य पढ़ें: भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बंगाल की भूमिका

स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

IASBABA

योजनाएँ एवं कार्यक्रम

SAGE और SACRED पोर्टल

संदर्भ: हाल ही में SAGE (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पोर्टल और SACRED पोर्टल के परिणामों की समीक्षा की गई।

पृष्ठभूमि:-

SAGE (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पोर्टल के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2021 में
- मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- SAGE योजना उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पहचान, मूल्यांकन, सत्यापन, एकत्रीकरण और सीधे हितधारकों तक पहुंचाती है। (समझदार)

उद्देश्य:-

- भारत के बुजुर्ग व्यक्तियों की जरूरतों का समर्थन करना। (बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक)
- बुजुर्ग देखभाल उत्पादों और सेवाओं का चयन, समर्थन और "वन-स्टॉप एक्सेस" बनाना।
- वित्त, खाद्य और धन प्रबंधन से लेकर कानूनी मार्गदर्शन तक की जरूरतों से जुड़ी स्वास्थ्य, आवास, देखभाल केंद्रों और प्रौद्योगिकी पहुंच जैसी सेवाओं को संबोधित करने के लिए नवीन उत्पादों और सेवाओं के आधार पर चयनित "स्टार्टअप" को प्रोत्साहित करना।
- बुजुर्गों के लाभ के लिए उत्पादों में नवीनता लाने के लिए निजी उद्यमों को बढ़ावा देना।

पात्रता:-

- SAGE के तहत चुने गए स्टार्ट-अप वे होंगे, जो बुजुर्ग व्यक्तियों को नए इनोवेटिव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे।
- इनमें स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास और भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं।

फंडिंग:-

- चयनित स्टार्ट-अप/स्टार्ट-अप विचारों को आईएफसीआई के माध्यम से प्रति प्रोजेक्ट 1 करोड़ रुपये तक की इक्विटी सहायता प्रदान की जाती है।
- 1 करोड़ रुपये तक का फंड एकमुश्त इक्विटी के रूप में प्रदान किया जाता है।
- यह सुनिश्चित करते हुए किया जाता है कि स्टार्ट-अप में कुल सरकारी इक्विटी 49% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

SAGE पोर्टल के लाभ:-

- SAGE पोर्टल उद्यमियों और स्टार्ट-अप को "सिल्वर इकॉनमी" में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
  o सिल्वर इकॉनमी: वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रणाली जिसका उद्देश्य वृद्ध और उम्रदराज़ लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना और उनकी खपत, जीवन और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करना है।

गरिमापूर्ण पुन:रोजगार के लिए वरिष्ठ सक्षम नागरिकों (SACRED) पोर्टल के बारे में:-

- लॉन्च: वर्ष 2021 में
- मंत्रालय: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
- यह एक अद्वितीय और नवीन प्रौद्योगिकी-संचालित रोजगार बाज़ार है।
- उद्देश्य: वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, खुशहाल, सशक्त, गरिमापूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन सुनिश्चित करने के तरीके

	तैयार करना। • महत्व: यह नौकरी प्रदाताओं और नौकरी चाहने वालों दोनों को एक पारदर्शी ऑनलाइन पोर्टल पर एक साथ लाता है। **कार्य करने का तंत्र:-** • कोई भी नौकरी प्रदाता पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। • इच्छुक और योग्य वरिष्ठ नागरिक अपनी पात्रता के अनुरूप मानदंडों के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। **फ़ायदे:-** • यह विभिन्न क्षेत्रों के निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मानव संसाधनों की अपनी मांग साझा करने में मदद करेगा। • यह वरिष्ठ अनुभवी नागरिकों को उभरती कार्यस्थल मांगों की दृश्यता के लिए खुद को पंजीकृत करने और प्रासंगिक नौकरी के अवसरों के लिए आवेदन करने में मदद करेगा। • यह वरिष्ठ नागरिकों को निजी उद्यमों के पदों से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करके प्राथमिकताओं के आभासी मिलान द्वारा लोगों को एक साथ लाएगा। **अवश्य पढ़ें:** एल्डर लाइन **स्रोत:** पीआईबी
गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज धन (गोबरधन) योजना	**संदर्भ:** हाल ही में, यह कहा गया कि भारत भर में 320 सीबीजी संयंत्रों सहित 1200 से अधिक बायोगैस संयंत्र अब तक गोबरधन पोर्टल पर पंजीकृत हैं। **गोबरधन योजना के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2018 में • मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय। • कार्यान्वयन: यह योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के हिस्से के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। **गोबरधन योजना के उद्देश्य:-** • गांवों को अपने मवेशियों के अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और लंबे समय में सभी जैविक कचरे का सुरक्षित प्रबंधन करने में सहायता करना। • समुदायों का समर्थन करना, और विकेंद्रीकृत प्रणालियों का उपयोग करके उनके मवेशियों और जैविक कचरे को धन में परिवर्तित करना। (संपीड़ित बायो गैस (सीबीजी)) • ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे के प्रभावी निपटान के माध्यम से पर्यावरणीय स्वच्छता को बढ़ावा देना और वेक्टर जनित बीमारियों पर अंकुश लगाना। • ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए जैविक अपशिष्ट, विशेष रूप से मवेशियों के अपशिष्ट को बायोगैस और उर्वरक में परिवर्तित करना। • ग्रामीण उद्यमिता रोजगार और आय सृजन के अवसरों को बढ़ावा देना। **गोबरधन योजना की मुख्य विशेषताएं:-** • यह भारत सरकार की एक व्यापक पहल है। • इसमें मवेशियों के गोबर/कृषि-अवशेष आदि जैसे जैविक कचरे को बायोगैस/सीबीजी/बायो सीएनजी में बदलने को बढ़ावा देने वाली योजनाओं/कार्यक्रमों/नीतियों के संपूर्ण दायरे को शामिल किया गया है। **गोबरधन योजना के लाभ:-** • चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना

	• एक पर्यावरण-अनुकूल ईंधन • प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन • स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना • GHG उत्सर्जन को कम करना • रोजगार बढ़ना • विदेशी मुद्रा की बचत होना • जैविक खाद उत्पन्न करना • बचत में सुधार **गोबरधन पोर्टल के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2023 में • मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय। • विकसित: पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस)। • उद्देश्य: बायोगैस योजनाओं/पहलों के सुचारू कार्यान्वयन और इसकी वास्तविक समय पर ट्रैकिंग के लिए विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के साथ घनिष्ठ समन्वय सुनिश्चित करना। • समन्वयित: स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएमजी) के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग। **अवश्य पढ़ें:**राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम **स्रोत: AIR**
डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस)	संदर्भ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) ने अपनी डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाने की घोषणा की। **डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना (डीएचआईएस) के बारे में:-** • लॉन्च: दिसंबर 2022। o DHIS 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। • कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए)। • मंत्रालय: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। • उद्देश्य: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत देश में डिजिटल स्वास्थ्य लेनदेन को और बढ़ावा देना। o आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम):- o इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। (आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन) o इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा कंपनियों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। **डीएचआईएस की मुख्य विशेषताएं:-** • यह योजना मरीजों के आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या से जुड़े और बनाए गए डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की संख्या के आधार पर चार करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन प्रदान करती है। • योजना के तहत, अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं और अस्पताल/स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) और प्रयोगशाला प्रबंधन सूचना प्रणाली (एलएमआईएस) जैसे डिजिटल स्वास्थ्य समाधान प्रदाताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। • इस प्रोत्साहन का लाभ एबीडीएम की स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री (एचएफआर) के साथ पंजीकृत और योजना के तहत

	निर्दिष्ट पात्रता मानदंड को पूरा करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं (अस्पतालों और नैदानिक प्रयोगशालाओं) द्वारा उठाया जा सकता है। • प्रोत्साहन प्राप्त करने की शर्तें: निम्नलिखित संस्थाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा: - **डीएचआईएस के लाभ:-** • डिजिटलीकरण के लिए प्रोत्साहन अर्जित करना: सभी भाग लेने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं, डिजिटल समाधान कंपनियों को डिजिटलीकरण के लिए किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करना। • स्वास्थ्य देखभाल वितरण में दक्षता: स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया (पंजीकरण, नियुक्ति, परामर्श, आईपीडी प्रवेश, छुट्टी, आदि) में आने वाली परेशानियों को दूर करता है। • एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण: स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के विभिन्न स्तरों पर एक मजबूत डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण। • देखभाल की बेहतर गुणवत्ता: साक्ष्य-आधारित, सुलभ और अच्छी गुणवत्ता वाली देखभाल। **अवश्य पढ़ें:**आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य देखभाल योजना **स्रोत:** AIR
अमृत भारत स्टेशन में योजना	**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। **अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में:-** • लॉन्च: वर्ष 2023 • मंत्रालय: रेल मंत्रालय। • उद्देश्य: सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों का विकास। (भारतीय रेलवे प्रबंधन सेवा (आईआरएमएस)) **अमृत भारत स्टेशन योजना के लाभ:-** • सुंदर स्टेशन भवन: एक नया स्टेशन भवन स्टेशन के वास्तुशिल्प परिदृश्य को फिर से परिभाषित करेगा। • स्वच्छ भारत पर ध्यान: स्वच्छ भारत मिशन के साथ कदम बढ़ाते हुए, स्टेशन एक मॉड्यूलर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू करेगा, जो कुशल सीवेज उपचार और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करेगा। • सौंदर्य संबंधी प्लेटफार्म: प्लेटफार्मों का पुनरुद्धार और सौंदर्य उत्थान किया जाएगा। • यात्री सुविधाएं: यात्रियों को बेहतर बैठने की व्यवस्था, पीने के पानी की सुविधा और बेहतर रोशनी सहित बेहतर सुविधाओं का आनंद मिलेगा। • उन्नत कनेक्टिविटी: एक नया फुट-ओवर ब्रिज, अतिरिक्त लिफ्ट और एस्केलेटर सुविधाओं द्वारा पूर्ण होगा। • मार्गदर्शन और सूचना: आधुनिक ट्रेन संकेत बोर्ड और यात्री-अनुकूल साइनेज स्टेशन परिसर के भीतर निर्बाध नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेंगे। • कार्यात्मक उन्नयन: मौजूदा बुकिंग कार्यालय और अन्य प्रशासनिक भवनों का गहन नवीनीकरण किया जाएगा। • समावेशिता: सभी सुधारों को दिव्यांगजनों (विशेष रूप से सक्षम) के अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे सभी के लिए समान पहुंच और सुविधा सुनिश्चित होगी। **अवश्य पढ़ें:**रेलवे का पुनर्गठन **स्रोत**: बिजनेस टुडे
PUShP पोर्टल	**संदर्भ:** हाल ही में, राष्ट्रीय विद्युत समिति (एनपीसी) ने PUShP पोर्टल पर बिजली खरीदने और बेचने के लिए प्रोत्साहन देने का समर्थन किया। **PUShP पोर्टल के बारे में:-**

	• लॉन्च: वर्ष 2023 • मंत्रालय: विद्युत मंत्रालय। • उद्देश्य: कुछ श्रेणियों के विक्रेताओं को 12 रुपये प्रति यूनिट की सीमा से अधिक कीमत पर बिजली की पेशकश करने में सक्षम बनाकर चरम मांग अवधि के दौरान बिजली की उपलब्धता बढ़ाना। • यह बिजली कटौती का सामना कर रहे राज्यों को बिजली खरीदने में मदद करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की उत्पादन क्षमता उपयोग तंत्र है। • टैरिफ संबंधित नियामक आयोगों द्वारा विनियमित और निर्धारित किए जाते हैं। • यह बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विभिन्न समय खंडों, दिनों या महीनों में अधिशेष बिजली उपलब्धता प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। • बिजली की जरूरत वाले डिस्कॉम पोर्टल पर दर्शाई गई अतिरिक्त बिजली की मांग कर सकते हैं। (डिस्कॉम का राज्य) **लेन-देन तंत्र:-** • नया खरीदार अधिशेष बिजली प्राप्त करता है और नियामकों द्वारा निर्धारित परिवर्तनीय शुल्क (वीसी) और निश्चित लागत (एफसी) दोनों का भुगतान करता है। • पुन: असाइनमेंट पर, मूल लाभार्थी वापस बुलाने का अधिकार त्याग देता है, जिससे संपूर्ण एफसी दायित्व नए लाभार्थी को हस्तांतरित हो जाता है। **फ़ायदे:-** • डिस्कॉम पर निश्चित लागत का बोझ कम करता है। डिस्कॉम से जुड़े मुद्दे) • उपलब्ध उत्पादन क्षमता के उपयोग को अधिकतम करता है। **अब तक की प्रगति:-** • 17 राज्यों ने इसका उपयोग करते हुए देखा है। • अब तक, 14 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई है और नए लाभार्थियों को बिजली पुनः आवंटित की गई है। **अवश्य पढ़ें:** भारत का बिजली संकट **स्रोत:** बिज़नेस
GREAT स्कीम	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्र ने टेक्निकल टेक्सटाइल्स (ग्रेट) योजना में एस्पायरिंग इनोवेटर्स में अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान के लिए 50 लाख रुपये तक के अनुदान की घोषणा की। **इसके बारे में:-** • मंत्रालय: कपड़ा मंत्रालय। • यह योजना व्यावसायीकरण सहित प्रौद्योगिकियों और उत्पादों में प्रोटोटाइप दोहराने हेतु व्यक्तियों और कंपनियों का समर्थन करने पर केंद्रित है। • उद्देश्य: भारत में तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना, विशेष रूप से बायो-डिग्रेडेबल और टिकाऊ कपड़ा, उच्च-प्रदर्शन और विशेष फाइबर और स्मार्ट कपड़ा जैसे विशिष्ट उप-खंडों में। • यह योजना राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन के अनुरूप होगी। **राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन:-** ○ मंत्रालय: कपड़ा मंत्रालय ○ अवधि: वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक। ○ उद्देश्य: क्षेत्र की असाधारण विकास दर का लाभ उठाते हुए भारत में तकनीकी वस्त्रों के प्रवेश स्तर को

बढ़ाना।

ग्रेट योजना की मुख्य विशेषताएं:-

- सहायता अनुदान: 50 लाख रुपये तक।
- अवधि: 18 महीने
- कपड़ा मंत्रालय इनक्यूबेटरों को कुल अनुदान सहायता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रदान करेगा।
- इनक्यूबेटी को केवल न्यूनतम 10 प्रतिशत योगदान देना होगा।
- इनक्यूबेटर: जैसे आईआईटी, एनआईटी, कपड़ा अनुसंधान संघ और उत्कृष्टता केंद्र।
  o इनक्यूबेटर: संगठन या संस्थान, जो स्टार्टअप को उनके शुरुआती चरण के दौरान संसाधन, सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।
- कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों के अनुप्रयोग क्षेत्रों में अपनी प्रयोगशाला के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 26 संस्थानों को भी मंजूरी दे दी है।
  o तकनीकी कपड़ा: पारंपरिक कपड़ों और साज-सज्जा से परे विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए डिज़ाइन की गई कपड़ा सामग्री, जैसे मेडिकल कपड़ा, भू-टेक्सटाइल और औद्योगिक कपड़े।

अवश्य पढ़ें: भारत में कपड़ा उद्योग

स्रोत: बिजनेस स्टैंडर्ड

IASBABA

विविध

लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार	**संदर्भ:** हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। **पृष्ठभूमि:-** • देश की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में:- • स्थापना: वर्ष 1983 में • स्थापित: तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट • यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 1 अगस्त को दिया जाता है। • महत्व: यह लोकमान्य तिलक की पुण्य तिथि को मनाने के लिए है। • यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम करते हुए उल्लेखनीय और असाधारण योगदान दिया है। **बाल गंगाधर तिलक के बारे में:-** • जन्म : 23 जुलाई, 1856 • जन्मस्थान: रत्नागिरी (अब महाराष्ट्र राज्य में), भारत • मृत्यु: 1 अगस्त 1920, मुंबई में • वह एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक और उत्साही राष्ट्रवादी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने स्वयं के विरोध को एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाकर भारत की स्वतंत्रता की नींव रखने में मदद की। • उन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता था। • उनकी प्रसिद्ध घोषणा "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा" ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भविष्य के क्रांतिकारियों के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य किया। • ब्रिटिश सरकार ने उन्हें "भारतीय अशांति का जनक" कहा। (देशद्रोह कानून) **तिलक द्वारा प्रारंभ किये गये महत्वपूर्ण संस्थान:-** • डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी (1884): वह अपने सहयोगी गोपाल गणेश अगरकर और अन्य लोगों के साथ डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। • फर्ग्यूसन कॉलेज (1885): वह पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापकों में से एक थे। **तिलक के राजनीतिक उद्यम:-** • वर्ष 1890: वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) में शामिल हुए। • तिलक ने ब्रिटिश प्रयासों की दमनकारी प्रकृति का विरोध किया और पुणे एवं आस-पास के क्षेत्रों में प्लेग की महामारी पर अपने समाचार पत्रों में उत्तेजक लेख लिखे। • उनके लेख से चापेकर बंधुओं को प्रेरणा मिली और उन्होंने 22 जून को कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या को अंजाम दिया। • इस कारण तिलक को हत्या के लिए उकसाने के आरोप में 18 महीने की कैद हुई। राजद्रोह कानून) • इंडियन होम रूल लीग (1914): उन्होंने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की।

	• लखनऊ समझौता (1916): उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के साथ लखनऊ समझौता किया, जिसने राष्ट्रवादी संघर्ष में हिंदू-मुस्लिम एकता प्रदान की। **तिलक द्वारा समाचार पत्र:-** • साप्ताहिक: केसरी (मराठी) और महरत्ता (अंग्रेजी) **तिलक की पुस्तकें:-** • गीता रहस्य • वेदों का आर्कटिक होम अवश्य पढ़ें:पद्म पुरस्कार स्रोत: AIR
वीरता पुरस्कार	**संदर्भ:** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी। **पृष्ठभूमि:-** • इनमें चार कीर्ति चक्र, सभी मरणोपरांत, 11 शौर्य चक्र, जिनमें पांच मरणोपरांत, दो बार सेना पदक (वीरता), 52 सेना पदक (वीरता), तीन नौसेना पदक (वीरता) और चार वायु सेना पदक (वीरता) शामिल हैं। **वीरता पुरस्कारों के बारे में:-** • इन वीरता पुरस्कारों की घोषणा वर्ष में दो बार की जाती है। o पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर और फिर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर। • वरीयता क्रम: परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। • सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किये जाते हैं। **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-** • स्वतंत्रता के बाद पहले तीन वीरता पुरस्कार अर्थात् परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। • इन्हें 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। • इसके बाद, अन्य तीन वीरता पुरस्कार यानी अशोक चक्र श्रेणी-I, अशोक चक्र श्रेणी-II, और अशोक चक्र श्रेणी-III 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे। • जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। अवश्य पढ़ें: पद्म पुरस्कार स्रोत: AIR
असम राइफल्स	संदर्भ: हाल के दिनों में, असम राइफल्स के जवानों को मणिपुर में बढ़ती शत्रुता का सामना करना पड़ रहा है। **पृष्ठभूमि:-** • आम तौर पर, मणिपुर में असम राइफल्स की 20 बटालियनें हैं, जिनका प्राथमिक कार्य उग्रवाद-विरोधी और सीमा सुरक्षा है। • 3 मई, 2023 को राज्य में जातीय हिंसा भड़कने के बाद से दो और बटालियनें भेजी गईं। • मणिपुर में मैतेई- और कुकी-ज़ोमी-प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के बीच "बफर ज़ोन" की देखरेख का काम सौंपे जाने के कारण, असम राइफल्स को मैतेई लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, यहां तक कि कुछ लोग इसे राज्य से हटाने की मांग भी कर रहे हैं। **असम राइफल्स के बारे में:-** • स्थापना: वर्ष 1835 में • मंत्रालय: गृह मंत्रालय

	• यह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के अंतर्गत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है।
	  ○ सीएपीएफ: गृह मंत्रालय (एमएचए) के तहत भारत में केंद्रीय पुलिस संगठनों का सामूहिक नाम।
	  ○ इसमें 7 बल शामिल हैं: असम राइफल्स (AR), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)।
	• असम राइफल्स भारत का सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है।
	ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-
	• ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापों से बचाने के लिए 1835 में कछार लेवी (Cachar Levy) के रूप में असम राइफल्स की स्थापना की गई थी।
	• स्वतंत्रता के बाद, असम राइफल्स की भूमिका निम्न प्रकार से विकसित होती रही:-
	  ○ पारंपरिक युद्ध भूमिका: 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान
	  ○ विदेशी भूमि में संचालन: 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (आईपीकेएफ) के हिस्से के रूप में (ऑपरेशन पवन)
	  ○ शांति स्थापना भूमिका: भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में।
	असम राइफल्स की संरचना:-
	• बल की कमान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के एक अधिकारी के हाथ में होती है। (यूपीएससी सीएसई: असम राइफल्स प्रशासन)
	• मुख्यालय असम राइफल्स महानिदेशालय: शिलांग में
	अवश्य पढ़ें: सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम
	स्रोत: द इंडियन एक्सप्रेस

इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क	**संदर्भ:** हाल ही में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हो गई।
	पृष्ठभूमि:-
	• सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बन गई है।
	इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में:-
	• लॉन्च: वर्ष 2019 में
	• उद्देश्य: कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण के लिए वैश्विक दृष्टिकोण का नेतृत्व करने में इंटरपोल का समर्थन करना।
	• इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क विश्वसनीय कानून प्रवर्तन शिक्षा संस्थानों का एक नेटवर्क है।
	• सदस्य: नेटवर्क के सभी क्षेत्रों में सदस्य हैं और यह दुनिया भर में कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग का समर्थन करता है।
	• महत्व: इसका उद्देश्य गुणवत्ता मानकों, मान्यता तंत्र और मान्यता प्रणालियों की स्थापना करके कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण में अकादमिक उत्कृष्टता और नवाचार को बढ़ावा देना है।
	• कार्य तंत्र: इसके सदस्य चुनिंदा डिजिटल और आमने-सामने प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के निर्माण और वितरण का समर्थन करते हैं।
	  ○ इनमें इंटरपोल के उपकरण और सेवाएँ, अपराध क्षेत्र और अन्य कानून प्रवर्तन विषय शामिल हैं।
	  ○ वे प्रशिक्षण आवश्यकताओं के प्रति प्रतिक्रियाओं को पहचानने और समन्वयित करने में भी मदद करते हैं।
	  ○ वे अत्याधुनिक प्रशिक्षण उपकरणों और पद्धतियों के माध्यम से कानून प्रवर्तन शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए एक ज्ञान विनिमय मंच में योगदान करते हैं।

	इंटरपोल के बारे में:- • स्थापना: वर्ष 1923 में • मुख्यालय: ल्योन, फ्रांस • पूरा नाम: अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन और हम एक अंतर-सरकारी संगठन हैं। • सदस्य: 195 देश o भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है। यह 1949 में इंटरपोल में शामिल हुआ। • केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) देश के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में भारत में इंटरपोल का प्रतिनिधित्व करता है।' (सीबीआई और ईडी) **अवश्य पढ़ें:** ऑपरेशन गरुड़ **स्रोत:** द इंडियन एक्सप्रेस
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE)	**संदर्भ:** ग्रैंडमास्टर डी. गुकेश ने हाल ही में शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) रैंकिंग में सर्वोच्च रेटिंग वाले भारतीय खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर लिया है। **अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) के बारे में:** • अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) शतरंज के खेल का शासी निकाय है, और यह सभी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को नियंत्रित करता है। एक गैर-सरकारी संस्था के रूप में गठित, इसे 1999 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा एक वैश्विक खेल संगठन के रूप में मान्यता दी गई थी। • FIDE का मुख्यालय वर्तमान में लॉज़ेन में है, लेकिन इसकी स्थापना शुरुआत में 1924 में पेरिस में आदर्श वाक्य "जेन्स उना सुमस" (लैटिन में "हम एक परिवार हैं") के तहत की गई थी। • यह फुटबॉल, क्रिकेट, तैराकी और ऑटो रेसिंग के खेलों के शासी निकायों के साथ-साथ सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों में से एक था। • यह अब राष्ट्रीय शतरंज संघों के रूप में संबद्ध सदस्यों के रूप में 199 देशों को शामिल करते हुए सबसे बड़े में से एक है। • शतरंज आजकल वास्तव में एक वैश्विक खेल है, जिसमें सभी महाद्वीपों में करोड़ों खिलाड़ी शामिल हैं, और हर दिन औसतन 60 मिलियन से अधिक खेल खेले जाते हैं। • हर महीने, FIDE सूचियाँ प्रकाशित करता है जैसे- o शीर्ष 100 खिलाड़ी o शीर्ष 100 महिलाएँ o शीर्ष 100 जूनियर्स o शीर्ष 100 लड़कियाँ • यह अपने शीर्ष 10 खिलाड़ियों और शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की औसत रेटिंग के अनुसार देशों की रैंकिंग भी प्रकाशित करता है। • यह रैंकिंग उद्देश्य के लिए एलो रेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है। • एलो रेटिंग प्रणाली शतरंज जैसे ज़ीरो सम गेम खिलाड़ियों के सापेक्ष कौशल स्तर की गणना करने की एक विधि है। **स्रोत: द हिंदू**
भारतीय कुश्ती महासंघ (UWW)	**संदर्भ:** यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) ने समय पर चुनाव नहीं कराने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) को निलंबित कर दिया है। **पृष्ठभूमि:-** • UWW ने WFI को निर्धारित 45 दिनों के भीतर चुनाव नहीं कराने के कारण निलंबित कर दिया, जिसका मतलब

है कि भारतीय पहलवान 16 सितंबर से बेलग्रेड में भारतीय ध्वज के नीचे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे।

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के बारे में:-

- स्थापना: वर्ष 1958 में
- मंत्रालय: युवा मामले और खेल मंत्रालय
- मुख्यालय: नई दिल्ली
- यह भारत में कुश्ती की शासी निकाय है।
- उद्देश्य: ओलंपिक, एशियाई खेलों, राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए कुश्ती खिलाड़ियों को बढ़ावा देना।

भारत में कुश्ती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:-

- भारत में कुश्ती का अभ्यास 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से किया जाता रहा है।
- प्राचीन भारत में कुश्ती को मल्लयुद्ध के नाम से जाना जाता था।
- महाभारत के कई पात्र उस समय के महान पहलवान माने जाते हैं, जिनमें शामिल हैं: भीमवास जरासंध, कीचक और बलराम।
- रामायण में हनुमान का उल्लेख अपने समय के सबसे महान पहलवानों में से एक के रूप में किया गया है।
- पंजाब और हरियाणा में इसे कुश्ती कहा जाता है।

डब्ल्यूएफआई की संरचना:-

- अध्यक्ष-01
- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - 01
- उपाध्यक्ष - 04
- मानद महासचिव – 01
- मानद कोषाध्यक्ष – 01
- मानद संयुक्त सचिव – 02
- कार्यकारिणी सदस्य – 05

इसके कार्य:-

- शौकिया कुश्ती गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और नियंत्रित करना।
- भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध होना।
- यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग [यूडब्ल्यूडब्ल्यू] से संबद्ध होना और यूडब्ल्यूडब्ल्यू के नियमों और विनियमों को लागू करना।
- यूडब्ल्यूडब्ल्यू नियमों के अनुसार हर साल सीनियर, जूनियर और सब-जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के आयोजन की व्यवस्था करना।
- अंतर-क्षेत्रीय प्रकृति की कुश्ती प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए एक राज्य कुश्ती संघ को अधिकृत करना।
- अधिकारियों पर नियंत्रण बनाए रखना और काम करने के लिए प्रशिक्षित अधिकारियों का एक पैनल स्वीकृत करना।
- आवश्यकता पड़ने पर उनके प्रशिक्षण और परीक्षण की व्यवस्था करना।
- पहलवानों के लाभ के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना।

	• राज्य कुश्ती संघ के तहत सामान्य नीति निर्धारित करना। • पहलवानों का पंजीकरण करना और उनके बीच मैत्रीपूर्ण मुकाबलों को बढ़ावा देना। **यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग (UWW) के बारे में:-** • यह कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। • मुख्यालय:स्विट्ज़रलैंड • उद्देश्य: दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी और मनोरंजक कुश्ती के विकास का नेतृत्व करना। • UWW को पहले FILA (फेडरेशन इंटरनेशनेल डेस लुट्स एसोसिएज़) के नाम से जाना जाता था। **अवश्य पढ़ें:**स्पोर्ट्स कोड **स्रोत:** AIR
ऑर्डर ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस	**संदर्भ:** हाल ही में, प्रधान मंत्री मोदी ग्रीक सरकार द्वारा 'द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर' से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी प्रमुख बने। **पृष्ठभूमि:-** • यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी की ग्रीस की आधिकारिक यात्रा के दौरान दिया गया। **ऑर्डर ऑफ ऑनर के ग्रैंड क्रॉस के बारे में:-** • स्थापना: वर्ष 1975 में • सम्मानित: ग्रीस के राष्ट्रपति (एजियन सागर और द्वीप) • **विवरण:** इसमें देवी एथेना के सिर को स्टार के सामने की ओर "केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए" शिलालेख के साथ दर्शाया गया है। • इन्हें सम्मानित किया गया: प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों को जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। (ग्रीस-तुर्की संघर्ष) **अवश्य पढ़ें:** नाटो **स्रोत:** AIR

Extended Portal access upto 2025 Prelims

IAS BABA

baba's gurukul

The Guru-shishya Parampara Continues....

- Current Affairs Daily Practice Test (Prelims & Mains)
- Super 100 (Mentored by Mohan Sir & Toppers)
- Daily Comprehensive Classes Access to live + recorded classes
- Personality Test Modules, Group Discussions & Doubt Clearing Platform
- Prelims Revision Handouts & VAN
- Analyse Learn Perform (ALP)
- Personalised Mentorship & Feedback
- Emotional Wellness Expert

(For Freshers)

GURUKUL FOUNDATION 2024

Above & Beyond Regular Coaching

& Much more.....

ADMISSION OPEN

Bangalore Delhi Bhopal Lucknow Online

www.iasbaba.com support@iasbaba.com 91691 91888

GS-Paper 1

जनजातीय संस्कृति का संरक्षण

Syllabus – GS -1(Society)

संदर्भ:समावेशी विकास और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास की दृष्टि एक विचार नहीं है, बल्कि ओडिशा के लिए 5T (पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, टीम वर्क, समय सीमा, परिवर्तन के लिए अग्रणी)-संचालित विकास मॉडल में एक व्यावहारिक रणनीति है।

भारत में जनजातीय जनसंख्या

- भारत में 8.6% जनजातीय आबादी शामिल है, इसकी विशाल स्वदेशी ज्ञान तक पहुंच है, जो मान्यता, अपनाने और मुख्यधारा में आने के माध्यम से स्थायी समाधान प्रदान करने की क्षमता रखता है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जनजातियों, जनजातीय समुदायों, उनके कुछ हिस्सों, या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के समूहों को उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं।

ओडिशा की विशेष विकास परिषद (एसडीसी) पहल

- विकास प्रक्रिया को जारी रखते हुए आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने, बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में, ओडिशा सरकार ने 2017 में विशेष विकास परिषद (एसडीसी) पहल शुरू की।
- यह क्षेत्रों में आर्थिक विकास को चालू रखते हुए राज्य में 62 जनजातियों की संस्कृति और विरासत को एक छत के नीचे संरक्षित करने का एक सक्रिय प्रयास है।
- यह योजना, जो 9 आदिवासी बहुल जिलों और 117 ब्लॉकों में 60 लाख आदिवासी परिवारों को कवर करती थी, अब 23 जिलों तक विस्तारित कर दी गई है, जिसमें 84 लाख से अधिक आदिवासी लोग शामिल हैं।

जनजातीय संस्कृतियों के बारे में:

- सामुदायिक जीवन: भारत में कई आदिवासी समुदायों का सामुदायिक जीवन और संसाधनों को साझा करने पर ज़ोर है।
  o ये घनिष्ठ समुदायों में रहते हैं और अक्सर सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं।
- आत्मनिर्भरता: जनजाति एक आत्मनिर्भर समुदाय का पर्याय है, जनजाति एक अपेक्षाकृत बंद समाज है और इसका खुलापन इसकी आत्मनिर्भर गतिविधियों की सीमा से विपरीत रूप से संबंधित है।
- प्रकृति से जुड़ाव: आदिवासियों का प्रकृति, पारंपरिक मान्यताओं और प्रथाओं से गहरा रिश्ता है जो जंगलों और जानवरों के इर्द-गिर्द घूमती हैं।
- लोक कला और शिल्प: आदिवासी अपनी अनूठी कला के लिए जाने जाते हैं, जिनमें मिट्टी के बर्तन बनाना, बुनाई और आभूषण बनाना शामिल है।
- आध्यात्मिक मान्यताएँ: आदिवासियों की अक्सर अपनी अनूठी आध्यात्मिक मान्यताएँ होती हैं, जिनमें पूर्वजों, प्रकृति आत्माओं या देवताओं की पूजा शामिल हो सकती है।

जनजातीय जीवन शैली और सतत विकास:

- प्राकृतिक पर्यावरण के लिए सम्मान: जनजातीय पारंपरिक प्रथाएं, जैसे आवास, भोजन और चिकित्सा के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करना और प्रकृति के चक्रों के साथ सद्भाव में रहना।
- समुदाय-आधारित निर्णय-प्रक्रिया: सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया समग्र रूप से समुदाय की जरूरतों पर विचार करती है और यह सुनिश्चित करती है कि निर्णय स्थायी और न्यायसंगत तरीके से किए जाएं।
- जैव विविधता को बढ़ावा देना: आदिवासियों ने विविधता की रक्षा और बढ़ावा देने के लिए प्रथाओं का विकास किया है, जिसमें कृषि के पारंपरिक तरीके, जैसे कि अंतरफसल और बीज बचत, साथ ही पवित्र स्थलों की सुरक्षा शामिल है जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: टिकाऊ प्रथाओं में संसाधनों की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उनके उपयोग को सीमित करना शामिल है, जैसे कि रोटेशनल फार्मिंग या लकड़ी की कटाई से पहले जंगलों को पुनर्जीवित करने की अनुमति देना।

- अंतर-पीढ़ीगत ज्ञान साझा करने पर जोर: अगली पीढ़ी तक ज्ञान पहुंचाने में प्राकृतिक पर्यावरण का पारंपरिक ज्ञान और संसाधनों के प्रबंधन के लिए टिकाऊ अभ्यास शामिल हैं।
- जल संसाधनों का संरक्षण: जनजातीय समुदाय जल संसाधनों पर विश्वास करते हैं और उन्होंने ऐसी प्रथाएं विकसित की हैं जो यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकती हैं कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए पानी उपलब्ध है, और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं।
- पुनर्योजी कृषि: आदिवासी समुदाय सदियों से पुनर्योजी कृषि का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें फसल चक्र, अंतरफसल और कार्बनिक पदार्थों के साथ मिट्टी को पुनर्जीवित करने जैसी प्रथाएं शामिल हैं।
  o ये प्रथाएं मिट्टी में कार्बन को पृथक करने में मदद करते हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद मिलती है।
- नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग: ये पारंपरिक रूप से वायु, सौर और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिन्हें अधिक लोगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए विस्तारित और आधुनिक बनाया जा सकता है।

आदिवासियों को अपनी जीवनशैली अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा

- भेदभाव: जनजातीय समुदायों को अक्सर प्रमुख समाज से भेदभाव और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य बुनियादी सेवाओं तक सीमित पहुंच शामिल है।
- भूमि अधिकार: औद्योगीकरण और खनन के कारण आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक भूमि से विस्थापित हो गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक पहचान चली गई है, और सामाजिक और आर्थिक हाशिए पर हैं।
- जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट: जलवायु परिवर्तन, जैसे वर्षा के पैटर्न में बदलाव, प्राकृतिक आपदाओं की बढ़ती आवृत्ति, जैव विविधता की हानि, वनों की कटाई, प्रदूषण और निवास स्थान की हानि ने उनकी पारंपरिक आजीविका और जीवन के तरीकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
- सामाजिक-आर्थिक हाशिए पर होना: कई आदिवासी समुदायों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच है, जिसके परिणामस्वरूप गरीबी और सामाजिक बहिष्कार हो हुआ है।
- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव: जनजातीय समुदायों में अक्सर राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव है और उनके जीवन को प्रभावित करने वाली निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी कोई आवाज नहीं होती है।
- सांस्कृतिक आत्मसातीकरण: कई आदिवासी समुदायों को प्रमुख संस्कृति में आत्मसात होने के दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे पारंपरिक ज्ञान, भाषा और सांस्कृतिक प्रथाओं का नुकसान हो सकता है।

आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार की पहल:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), वर्ष 2001 में जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन को अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्य समूह को रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के एकमात्र उद्देश्य के साथ अस्तित्व में लाया गया था।
- जनजातीय आबादी के लिए ट्राइफेड की पहल: सरकार की योजना 50,000 वन धन विकास केंद्र, 3000 हाट बाज़ार आदि स्थापित करने की है।
- केंद्रीय क्षेत्र योजना: जनजातीय उत्पादों/उत्पादों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता।
- प्रधानमंत्री वन धन योजना: यह जनजातीय स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के समूह बनाने और उन्हें जनजातीय उत्पादक कंपनियों में मजबूत करने के लिए एक बाजार से जुड़ा जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम है।
  o प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और विदेशी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति
  o राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को सहायता
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास: इस योजना में आवास, भूमि वितरण, भूमि विकास, कृषि विकास, पशुपालन, लिंक सड़कों का निर्माण आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- जनजातीय क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण: योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की नौकरियों के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए एसटी युवाओं के कौशल को विकसित करना और उनकी आय में वृद्धि करके उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

- केंद्र प्रायोजित योजना: केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अर्थ कुछ ऐसी योजनाओं से होता है, जिनमें योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र तथा राज्य द्वारा मिलकर की जाती है। ऐतिहासिक तौर पर इस प्रकार की योजनाओं को एक ऐसे माध्यम के रूप में देखा जाता है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय सहायता प्रदान करती है

Source: The Hindu

IASBABA

GS- Paper 2

भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक, 2023

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance)**

संदर्भ: भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए भारतीय संहिता सुरक्षा विधेयक, 2023 लोकसभा में पेश किया गया था।

विधेयक की मुख्य बातें:

- भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 मॉब लिंचिंग के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड का प्रावधान करता है।
- विधेयक में शादी के झूठे वादे पर महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाने पर 10 साल की कैद का सुझाव दिया गया है।
- विधेयक में कहा गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध, जब पत्नी 18 वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं माना जाएगा।

राजद्रोह की धारा को निरस्त किया जाना

- विधेयक आतंकवाद और अलगाववाद, सरकार के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह और देश की संप्रभुता को चुनौती देने जैसे अपराधों की परिभाषा देता हैं।
  o संपत्ति की जब्ती अदालत के आदेश के आधार पर की जा सकती है।
- विधेयक का उद्देश्य त्वरित न्याय प्रदान करना और एक ऐसी कानूनी प्रणाली बनाना है जो समकालीन जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप हो।
- महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों में, उत्तरजीवी के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी गई है।
  o पुलिस को 90 दिनों के भीतर शिकायत की स्थिति के बारे में सूचित करना होगा।
  o सात साल या उससे अधिक की सजा वाले मामले को वापस लेने से पहले पीड़ित से परामर्श आवश्यक है।
  o विशिष्ट अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा शुरू की जा रही है।
- आरोप पत्र दाखिल करने का अधिकतम समय 180 दिन निर्धारित है।
  o न्यायालय द्वारा अतिरिक्त 90 दिन दिए जा सकते हैं, लेकिन यह उससे अधिक नहीं हो सकता।
- सरकार को 120 दिनों के भीतर पुलिस अधिकारियों और सिविल सेवकों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी पर निर्णय लेना होगा, अन्यथा इसे अनुमति माना जाएगा।
- तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, और इसके बिना आरोप पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- सात साल की सजा वाले सभी अपराधों के लिए साक्ष्यों का फोरेंसिक संग्रह अनिवार्य कर दिया गया है।
- एक नामित पुलिस अधिकारी किसी आरोपी की हिरासत को उसके रिश्तेदारों को ऑनलाइन और भौतिक रूप से प्रमाणित करेगा।
- राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों को असंगत रूप से लाभ उठाने से रोकने के लिए सजा माफी के नियम सख्त हैं।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक का महत्व:

- यह आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करेगा और समयबद्ध जांच, परीक्षण और निर्णय के लिए विशिष्ट समयसीमा की मांग करेगा।
  o यह त्वरित न्याय सुनिश्चित करेगा।
- मसौदा कानून सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है।
  o उदाहरण के लिए, यह साक्ष्य के रूप में डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की स्वीकार्यता प्रदान करता है, जिसकी कागजी रिकॉर्ड के समान ही कानूनी वैधता और प्रवर्तनीयता होगी।
- 'जीरो एफआईआर' किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है और एफआईआर को 15 दिनों के भीतर अपराध स्थल के अधिकार क्षेत्र

वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

o एक एफआईआर के विपरीत, जो क्षेत्राधिकार द्वारा प्रतिबंधित है, एक ज़ीरो एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, भले ही अपराध उस विशेष पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के तहत किया गया हो।

- यह मानवाधिकार-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया में सभी हितधारकों की गरिमा और अधिकारों का सम्मान करता है।
- यह देरी, लंबित मामलों, बैकलॉग और भ्रष्टाचार को कम करके आपराधिक न्याय प्रणाली की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाएगा।
- यह पारदर्शिता, जवाबदेही और व्यावसायिकता सुनिश्चित करके न्याय वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार करेगा।
- यह सामाजिक व्यवस्था और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों को रोककर और उन पर अंकुश लगाकर समाज में शांति और सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
- यह सामाजिक-आर्थिक असमानताओं और अन्याय को चिंहित करके अपराधों के मूल कारणों को संबोधित करेगा।
- यह संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों को बनाये रखते हुए भारत में कानून के शासन और लोकतंत्र को मजबूत करेगा।

चुनौतियाँ:

- विधेयकों को कुछ हलकों से विरोध और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है जो इसे अपने अधिकारों, हितों या स्वायत्तता के उल्लंघन के रूप में मान सकते हैं।
- इसे संवैधानिकता, वैधता या कुछ प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर अदालतों से कानूनी चुनौतियों और जांच का सामना करना पड़ सकता है।
- विभिन्न एजेंसियों या हितधारकों के बीच जागरूकता, सहयोग या समन्वय की कमी के कारण इसे कार्यान्वयन में व्यावहारिक कठिनाइयों और बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।
- इसके अप्रत्याशित परिणाम या निहितार्थ का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए भविष्य में और अधिक संशोधन या मॉडिफिकेशन की आवश्यकता हो सकती है।

आगे की राह :

आपराधिक न्याय प्रणाली किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति निष्पक्ष, कुशल और उत्तरदायी हो। इन विधेयकों का प्रस्तुत होना इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक ऐतिहासिक अवसर है। आशा है कि ये विधेयक भारत में आपराधिक न्याय सुधार के एक नए युग की शुरुआत करेंगे और इसे अन्य देशों के लिए अनुकरण के लिए एक मॉडल बनाएंगे।

Source: The Hindu

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023

Syllabus – GS 2 (Governance)

संदर्भ: केंद्र ने हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 पेश किया।

डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 की मुख्य विशेषताएं

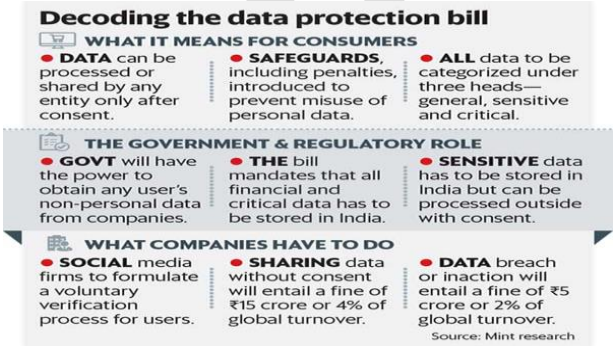

- प्रयोज्यता: यह विधेयक भारत के अंदर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर लागू होगा।

o यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण पर भी लागू होगा, यदि यह भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश या व्यक्तियों की प्रोफाइलिंग के लिए है।

- सहमति: इस बिल के तहत किसी के व्यक्तिगत डेटा को तभी लिया जा जा सकता है जब संबंधित व्यक्ति ने इसके लिए सहमति दी हो।
  o सहमति मांगने से पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए।
  o नोटिस में एकत्र किए जाने वाले व्यक्तिगत डेटा और प्रसंस्करण के उद्देश्य के बारे में विवरण होना चाहिए। सहमति किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
  o 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति प्रदान की जाएगी।
- डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और कर्तव्य: एक व्यक्ति, जिसका डेटा संसाधित किया जा रहा है (डेटा प्रिंसिपल) के पास इसका अधिकार होगा।
  o प्रसंस्करण के बारे में जानकारी प्राप्त करना,
  o व्यक्तिगत डेटा में सुधार और उसे मिटाने की मांग करना,
- मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करना
- भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा का स्थानांतरण: केंद्र सरकार उन देशों को सूचित करेगी जहां कोई डेटा प्रत्ययी व्यक्तिगत डेटा स्थानांतरित कर सकता है।
  0 स्थानांतरण निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होंगे।
- छूट: डेटा प्रिंसिपल के अधिकार और डेटा फ़िडुशियरीज़ के दायित्व (डेटा सुरक्षा को छोड़कर) निर्दिष्ट मामलों में लागू नहीं होंगे। इसमे शामिल है:
  o अपराधों की रोकथाम और जांच, और
  o कानूनी अधिकारों या दावों का प्रवर्तन।
  o केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, कुछ गतिविधियों को विधेयक के लागू होने से छूट दे सकती है। इसमे शामिल है:
  o राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रसंस्करण, और
  o अनुसंधान, संग्रह, या सांख्यिकीय उद्देश्य।
- भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड: केंद्र सरकार भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड की स्थापना करेगी।
- बोर्ड के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं:
  o अनुपालन की निगरानी करना और जुर्माना लगाना,
  o डेटा उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक उपाय करने के लिए डेटा विश्वासियों को निर्देश देना, और
  o प्रभावित व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतों की सुनवाई करना।
- दंड: विधेयक की अनुसूची विभिन्न अपराधों के लिए दंड निर्दिष्ट करती है, जैसे कि
  o बच्चों के लिए दायित्वों को पूरा न करने के लिए 200 करोड़ रुपये, और
  o डेटा उल्लंघनों को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने में विफलता के लिए 250 करोड़ रुपये।

विधेयक का महत्व:

- मजबूत सुरक्षा उपाय: बिल के पिछले संस्करण में निर्धारित डेटा दुरुपयोग के लिए जुर्माने को प्रभावी निवारक के रूप में नहीं देखा गया था।
- अब प्रस्तावित किए जा रहे उच्च दंड संस्थाओं को डेटा की सुरक्षा और प्रत्ययी अनुशासन लागू करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय बनाने के लिए प्रेरित करेंगे।
- डेटा के दुरुपयोग और डेटा उल्लंघन की स्थिति में कंपनियों को वित्तीय दंड की प्रकृति में दंडात्मक कार्रवाइयों का सामना करना पड़ेगा।
- आगामी डेटा संरक्षण विधेयक से ग्राहक डेटा के दुरुपयोग पर रोक लगेगी और कंपनियों को वित्तीय परिणाम भुगतने होंगे।
- नए विधेयक के तहत कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए डेटा और उस समय तक की एक सख्त या उद्देश्य सीमा भी होगी जब तक वे इसे संग्रहीत कर सकें।
- डेटा फ़िडुशियरीज़ को व्यक्तिगत डेटा को बनाए रखना बंद करना होगा और प्रारंभिक उद्देश्य जिसके लिए इसे एकत्र किया गया था, पूरा होने के

बाद पहले से एकत्र किए गए डेटा को हटाना होगा।

आलोचनाएँ:

- कमजोर नियामक: इससे भारतीय डेटा संरक्षण प्राधिकरण धीरे-धीरे कमजोर हो जाएगा - वह निकाय जिसे कानून का प्रमुख नियामक और प्रवर्तक माना जाता है।
- एकतंत्रीय नियुक्तियाँ: केंद्र को डेटा संरक्षण बोर्ड में सदस्यों को नियुक्त करने का भी अधिकार दिया गया था, जिससे उन मामलों में संस्थान पर संभावित नियंत्रण पर चिंता बढ़ गई थी जहां यह एक इच्छुक पार्टी थी।
- चीनी संस्करण की तरह: केंद्र सरकार के लिए नागरिकों से स्पष्ट सहमति लेने के मानदंडों को दरकिनार करने और राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी सरकारों के साथ संबंधों और अन्य चीजों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव का हवाला देते हुए प्रतिकूल परिणामों से "राज्य के किसी भी साधन" को छूट देने का अधिकार शामिल है। यह बिल चीनी संस्करण के नजदीक है।

वैश्विक मॉडलों के साथ भारत के प्रस्ताव की तुलना:

- दुनिया भर के विभिन्न देशों ने डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाए हैं।
- यूरोपीय संघ मॉडल, जो अपने कड़े नियमों के लिए जाना जाता है, कई देशों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है।
- अमेरिकी मॉडल सरकारी घुसपैठ से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा पर जोर देता है, जबकि चीन का व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (पीआईपीएल) व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोकने पर केंद्रित है।

आगे की राह:

- डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 व्यक्तियों को पर्याप्त अधिकार प्रदान करता है और उन्हें उनके डेटा पर बेहतर दृश्यता, जागरूकता, निर्णयात्मक स्वायत्तता और नियंत्रण प्रदान करता है।
- यह कंपनियों को व्यक्तियों के अधिकारों का अनुपालन करने और महत्वपूर्ण दंड से जुड़े प्रभावी निवारण तंत्र प्रदान करने के लिए भी बाध्य करता है। यह विधेयक न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले (2017) में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले को विधायी समर्थन भी प्रदान करता है।

Source: Indian Express

मॉब लिंचिंग

Syllabus - GS2 (Governance)

संदर्भ: भारत के सर्वोच्च न्यायालय (एससी) ने अपने फैसले 'तहसीन पूनावाला 2018' में राज्यों को लिंचिंग के प्रति उनकी ढीली प्रतिक्रिया के कारण सात उपचारात्मक उपायों का निर्देश दिया।

तहसीन पूनावाला फैसले के बारे में:

- तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ, 2018 में, सुप्रीम कोर्ट ने दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के खिलाफ लिंचिंग और भीड़ की हिंसा की घटनाओं की निंदा की और इसे "भीड़तंत्र के भयावह कृत्य" के रूप में बताया, और संसद से कहा कि लिंचिंग को सजा के साथ एक अलग अपराध के रूप में स्थापित करने वाला कानून पारित किया जाए।
    - ऐसा कानून इतना प्रभावी होना चाहिए कि अपराधियों में भय की भावना पैदा हो।
    - सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी घटनाएं "कानून के शासन और देश के सामाजिक ताने-बाने को खतरे में डालती हैं।"
    - कोर्ट ने कहा कि कानून के शासन पर आधारित समाज में उसकी आंखों के सामने लगातार हो रही लिंचिंग की घटनाओं से आम भारतीय की बढ़ती स्तब्धता चौंकाने वाली है।
    - यह सुनिश्चित करना केंद्र और राज्यों का भी दायित्व है कि "कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले और न ही खुद कानून बने"।

मॉब लिंचिंग के बारे में:

- मॉब लिंचिंग सामूहिक हिंसा का एक रूप है जिसमें लोगों का एक समूह किसी व्यक्ति या लोगों के समूह पर अक्सर उनकी पहचान, विश्वास या कार्यों के आधार पर हमला करता है और उन्हें मार देता है।

- यह भारत में कोई नई घटना नहीं है, लेकिन हाल के वर्षों में यह अधिक बार और दृश्यमान हो गया है, खासकर सोशल मीडिया और फर्जी खबरों के बढ़ने के साथ।
- मॉब लिंचिंग भारत में एक गंभीर समस्या बन गई है, जहां इसने हाल के वर्षों में सैकड़ों लोगों की जान ले ली है।
  o मॉब लिंचिंग के शिकार ज्यादातर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से होते हैं, जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी और महिलाएं।

भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में वृद्धि के कारण:

- राज्य की विफलता: अल्पसंख्यकों को भीड़ से बचाने में राज्य की विफलता, उचित तंत्र का अभाव।
  o इसलिए लोगों का कानून एवं व्यवस्था तंत्र पर से विश्वास उठ रहा है; वे कानून अपने हाथ में ले रहे हैं।
- असहिष्णुता में वृद्धि: हाल के दिनों में, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता बढ़ी है।
  o उदाहरण के लिए, गोहत्या को लेकर मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता बढ़ गई है और गोमांस खाने की किसी भी खबर पर मॉब लिंचिंग के मामले बढ़ गए हैं, जिससे मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाती है।
- प्रोपेगेंडा: भारत में लोग संवेदनशील मुद्दों पर बहुत भावुक होते हैं। इन्हें भड़काना बहुत आसान है।
  o कुछ लोग सोशल मीडिया खासकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर गलत सूचनाएं फैला रहे हैं।
- गुमराह युवा: बेरोजगारी में वृद्धि के साथ, राजनेता या धार्मिक समूह युवाओं को वैचारिक रूप से गुमराह कर रहे हैं।
  o युवा गुमराह होने के कारण बदला लेने के लिए या रोमांच और उत्तेजना से प्रेरित होकर कुछ संप्रदायों के खिलाफ कार्य करते हैं।
- रक्षा: अन्य सामाजिक समूहों से किसी भी कथित और अनुमानित खतरे से बचाव के लिए भीड़ हिंसा की जा सकती है।
  o यह किसी के क्षेत्र की रक्षा करने की इच्छा से भी प्रेरित है। उदाहरण के लिए, किसी देश के नागरिकों के ख़िलाफ़ भीड़ का अपराध।
- पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण: ऐतिहासिक या सामाजिक कारणों से किसी समूह के प्रति पूर्वाग्रह भीड़ को घृणा अपराध करने के लिए प्रेरित करता है।
  o उदाहरण के लिए, मुस्लिमों को आतंकवादी के रूप में टैग किए जाने के कारण भीड़ द्वारा उनके खिलाफ हत्या की कार्रवाई की जाती है।
- दण्ड से मुक्ति का अभाव: मॉब लिंचिंग में वृद्धि का एक प्रमुख कारण दण्ड से मुक्ति है।
  o पुलिस को बड़ी भीड़ के खिलाफ मामला दर्ज करने में कठिनाई होती है, इसका फायदा कुछ लोगों को मिलता है।
  o लिंचिंग से निपटने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है और भारतीय दंड संहिता में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए अक्सर अपराधी बच जाते हैं।

नकारात्मक प्रभाव:

- मॉब लिंचिंग पीड़ितों और उनके परिवारों के मानवाधिकारों और गरिमा का उल्लंघन करती है, जिन्हें अक्सर न्याय या उनके नुकसान का मुआवजा नहीं मिलता है।
- यह कमजोर समूहों के बीच भय और असुरक्षा का माहौल बनाता है, जिन्हें भीड़ से लगातार धमकियों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है।
- यह कानून के शासन और लोकतंत्र को कमजोर करता है, क्योंकि भीड़ कानून को अपने हाथ में लेती है और राज्य और उसके संस्थानों के अधिकार को चुनौती देती है।
- यह सामाजिक ताने-बाने और सद्भाव को खत्म करता है, क्योंकि यह सांप्रदायिक घृणा और हिंसा को बढ़ावा देता है, और विभिन्न समूहों के बीच दूरियों को बढ़ाता है।
- यह आर्थिक विकास और प्रगति को बाधित करता है, क्योंकि यह समाज के सामान्य कामकाज को बाधित करता है और कई लोगों की आजीविका और अवसरों को प्रभावित करता है।

सरकारी उपाय:

- नामित फास्ट ट्रैक अदालतें: राज्यों को विशेष रूप से मॉब लिंचिंग से जुड़े मामलों से निपटने के लिए हर जिले में नामित फास्ट ट्रैक अदालतें

स्थापित करने का निर्देश दिया गया था।

- विशेष कार्य बल: अदालत ने घृणा फैलाने वाले भाषणों, उत्तेजक बयानों और फर्जी खबरों को फैलाने में शामिल लोगों के बारे में खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य से एक विशेष कार्य बल की स्थापना पर भी विचार किया था, जिससे भीड़ हत्या हो सकती है।
- पीड़ित मुआवजा योजनाएं: पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए पीड़ित मुआवजा योजनाएं स्थापित करने के भी निर्देश जारी किए गए।
    - सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और कई राज्यों को नोटिस जारी कर उपायों को लागू करने की दिशा में उनके द्वारा उठाए गए कदमों को प्रस्तुत करने और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
    - अब तक केवल तीन राज्यों मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया है।
- झारखंड विधानसभा ने भीड़ हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक, 2021 पारित कर दिया है जिसे हाल ही में राज्यपाल ने कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिए वापस कर दिया है।

आगे की राह :

भारत में मॉब लिंचिंग एक गंभीर मुद्दा है जिसने कई लोगों की जान ले ली है और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए सरकार और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए कुछ कदमों में कानून बनाना, हेल्पलाइन बनाना, जागरूकता बढ़ाना और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना शामिल है।

हालाँकि, इन उपायों को लागू करने में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे जवाबदेही की कमी, राजनीतिक हस्तक्षेप, सोशल मीडिया अफवाहें और सांप्रदायिक नफरत। आगे की राह कानून के शासन को मजबूत करना, पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करना, जनता को शिक्षित करना और सहिष्णुता और शांति की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

Source: The Hindu

खान एवं खनिज विधेयक 2023

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance)**

संदर्भ: संसद ने हाल ही में खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023 पारित किया।

भारत में खनन क्षेत्र का परिदृश्य:

- खनन उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो विनिर्माण और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के लिए बैकबोन के रूप में कार्य करता है।
- खान मंत्रालय (यूपीएससी सीएसपी: ब्यूरो ऑफ माइंस) के अनुसार, 2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य 2,11,857 करोड़ रुपये था।
- भारत लौह अयस्क उत्पादन के मामले में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है और 2021 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है।
- भारत में संयुक्त एल्युमीनियम उत्पादन (प्राथमिक और द्वितीयक) वित्त वर्ष 2011 में 4.1 मीट्रिक टन प्रति वर्ष रहा, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बन गया।
- वर्ष 2023 में, भारत में विस्तारित विद्युतीकरण और समग्र आर्थिक विकास के कारण खनिज की मांग 3% बढ़ने की संभावना है। (गहरे समुद्र में खनन)

विधेयक की मुख्य विशेषताएं:

- इसे देश में महत्वपूर्ण और गहराई में मौजूद खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए पारित किया गया था।
- यह विधेयक इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी और अन्य ऊर्जा भंडारण में उपयोग किए जाने वाले छह खनिजों को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की सूची में रखता है।
  o इसमें लिथियम, बेरिलियम, नाइओबियम, टाइटेनियम, टैंटलम और ज़िरकोनियम शामिल हैं।

- इन खनिजों (पहले परमाणु खनिजों के रूप में वर्गीकृत) की खोज और खनन, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं तक ही सीमित थे।
- विधेयक में निजी क्षेत्र की क्षमता को अन्वेषण में शामिल करके अन्वेषण प्रक्रियाओं को विकसित देशों के बराबर लाने का प्रयास किया गया है।
  o ऑस्ट्रेलिया और वैश्विक स्तर पर कई अन्य न्यायक्षेत्रों में, निजी खनन कंपनियाँ (जूनियर खोजकर्ता), संभावित खदानों को खोजने के लिए अपनी विशेषज्ञता और सीमित वित्तीय क्षमता को अन्वेषण में लगाकर जोखिम लेने में संलग्न हैं।
- विधेयक खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर) के तहत मैपिंग और सर्वेक्षण सहित टोही के हिस्से के रूप में गड्ढे, ट्रेंचिंग, ड्रिलिंग और उप-सतह उत्खनन जैसी निषिद्ध गतिविधियों की अनुमति देता है।
  o एक बार पता चलने के बाद, ये निजी कंपनियाँ इन्हें बड़ी खनन कंपनियों को बेच सकती हैं जो बाद में इन खदानों को विकसित और चलाती हैं।
- इससे अन्वेषण परियोजनाएं बढ़ेंगी और अन्वेषण की गति में तेजी आएगी।

महत्वपूर्ण और गहरे खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की भागीदारी का महत्व:

- विशेषज्ञता और नवाचार: निजी कंपनियां अक्सर खनिज अन्वेषण के लिए विशेष तकनीकी विशेषज्ञता और नवीन दृष्टिकोण लाती हैं। ये उन्नत अन्वेषण तकनीकों, प्रौद्योगिकियों और कार्यप्रणाली में निवेश करते हैं जिससे खनिज संसाधनों की अधिक कुशल और प्रभावी खोज हो सकती है।
- त्वरित अन्वेषण: निजी कंपनियों, जिन्हें अक्सर जूनियर खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है, के पास अन्वेषण प्रयासों में तेजी लाने के लिए लचीलापन और प्रोत्साहन है। त्वरित और कुशल परियोजना विकास पर उनका ध्यान अधिक संख्या में अन्वेषण परियोजनाओं को जन्म दे सकता है, जिससे नए खनिज भंडार की खोज की संभावना बढ़ जाएगी।
- बढ़ा हुआ निवेश: निजी क्षेत्र की भागीदारी उद्यम पूंजी, निजी इक्विटी और अन्वेषण-केंद्रित फंड सहित विभिन्न स्रोतों से निवेश को आकर्षित करती है। धन के इस निवेश से बड़े अन्वेषण बजट को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे अधिक व्यापक और गहन अन्वेषण गतिविधियाँ सक्षम हो सकेंगी।
- संसाधन गुणन (Resource Multiplication): निजी अन्वेषण कंपनियाँ अकेले सरकारी एजेंसियों की तुलना में अन्वेषण परियोजनाओं की संख्या बढ़ा सकती हैं। इस विविधीकरण से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में मूल्यवान खनिज संसाधनों की खोज की संभावना बढ़ जाती है।
- सरकार पर बोझ कम: खनिज अन्वेषण में निजी क्षेत्र को शामिल करने से सरकारी एजेंसियों पर वित्तीय बोझ कम हो जाता है, जिससे उन्हें निजी क्षेत्र के निवेश से लाभ होने के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसाधन आवंटित करने की अनुमति मिलती है।
- कुशल संसाधन आवंटन: निजी कंपनियां आमतौर पर बाजार की मांग और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर संसाधनों का आवंटन करती हैं। इस बाजार-संचालित दृष्टिकोण से उन खनिजों की खोज हो सकती है जिनकी उच्च मांग है और जो देश की औद्योगिक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।
- प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण: निजी क्षेत्र की भागीदारी अनुभवी खोजकर्ताओं से स्थानीय पेशेवरों तक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करती है, जिससे खनिज अन्वेषण में घरेलू क्षमता और ज्ञान में वृद्धि होती है।
- प्रतिस्पर्धा और सहयोग: निजी क्षेत्र की भागीदारी अन्वेषण फर्मों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, उन्हें नवाचार करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। सरकारी एजेंसियों और निजी फर्मों के बीच सहयोग से तालमेल और ज्ञान साझा किया जा सकता है।
- नौकरी सृजन और आर्थिक विकास: अन्वेषण गतिविधियां नौकरियां पैदा करती हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को उत्तेजित करती हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी से संभावित खनिज संसाधनों वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और आर्थिक विकास हो सकता है।

विधेयक से जुड़े मुद्दे:

- अन्वेषण लाइसेंस वाली एक निजी कंपनी के लिए राजस्व उत्पन्न करने का प्राथमिक तरीका खनिक द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा होगा।
  o सफलतापूर्वक खोजी गई खदान की नीलामी की जानी चाहिए और उस उद्देश्य के लिए उसे चालू किया जाना चाहिए।

- विधेयक में प्रावधान है कि यदि अन्वेषण के बाद संसाधन सिद्ध हो जाते हैं, तो राज्य सरकार अन्वेषण लाइसेंस धारक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर खनन पट्टे की नीलामी करेगी।
  o मंजूरी के लिए सरकारी समय-सीमा, जमा की जटिलता और भूगोल के कारण ऐसी प्रक्रिया को अमल में लाने में लंबा समय लगेगा।
- अन्वेषण से पहले खनिजों का मूल्य ज्ञात करना और अन्वेषण लाइसेंस के लिए आवंटन की नीलामी पद्धति का उपयोग करना कठिन होगा।
- अन्वेषण और खनन अनुबंधों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों की खोज के लिए बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है।
- नई नीति में, केवल सरकार ही खोजे गए खनिज की नीलामी कर सकती है, लेकिन खोजकर्ता को केवल अज्ञात चरण में प्रीमियम का हिस्सा मिलेगा।
- यह अन्य वैश्विक न्यायक्षेत्रों के विपरीत है जहां निजी खोजकर्ता अपनी खोजों को खनिकों को बेच सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश:

- इसने फैसला सुनाया कि पहले आओ पहले पाओ (एफसीएफएस) पद्धति हेरफेर, पक्षपात और दुरुपयोग के प्रति संवेदनशील थी, और सरकार से एक पारदर्शी और उचित पद्धति अपनाने के लिए कहा।
- विधिवत प्रकाशित और निष्पक्ष नीलामी संसाधन वितरण के लिए सबसे अच्छा तरीका होगा।
- खनिज निष्कर्षण के लिए नीलामी ही एकमात्र उपलब्ध तरीका नहीं था।
- यह उपाय निष्पक्ष, उचित, गैर-भेदभावपूर्ण, पारदर्शी, गैर-मज़बूत, निष्पक्ष और पक्षपात या भाई-भतीजावाद से रहित होना चाहिए।
- इसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और न्यायसंगत उपचार को बढ़ावा देना चाहिए।

आगे की राह :

निजी खिलाड़ी हमेशा उस लाभ से प्रेरित होते हैं जो वे कमाने जा रहे हैं। यदि सरकार चाहती है कि वे भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज में भाग लें, तो उसे उस निवेश से राजस्व प्रवाह की निश्चितता प्रदान करने की आवश्यकता है, तभी आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयास सफल होंगे।

Source: The Hindu

ब्रिक्स का विस्तार

Syllabus

- **Mains – GS 2 (International Relations)**

संदर्भ: हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहे 15वें शिखर सम्मेलन से पहले ब्रिक्स के संभावित विस्तार की प्रकृति और दायरे को लेकर आंतरिक संघर्ष हुए हैं।

ब्रिक्स के बारे में:

Source: CGTN

- ब्रिक्स पांच क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त रूप है: यह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बना है।
- पहले चार को शुरू में 2001 में एक अर्थशास्त्री जिम ओ'नील द्वारा "BRIC" के रूप में समूहीकृत किया गया था, जिन्होंने तेजी से बढ़ती

अर्थव्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए इस शब्द को गढ़ा था यह 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सामूहिक रूप से कब्ज़ा कर लेगा।

- शिखर सम्मेलन: ब्रिक्स देशों की सरकारें 2009 से हर साल औपचारिक शिखर सम्मेलन में मिलती हैं।
- भारत ने 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वर्चुअल मेजबानी की।
- चीन ने 2022 में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
- दक्षिण अफ्रीका 15वें शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा।
- ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है, जिसमें शामिल हैं:
  - o विश्व की जनसंख्या का 41%,
  - o विश्व सकल घरेलू उत्पाद का 24%
  - o विश्व व्यापार में 16% से अधिक हिस्सेदारी।
  - o विश्व की कुल भूमि सतह का कुल संयुक्त क्षेत्रफल 29.3% है।
- समय के साथ, ब्रिक्स देश तीन स्तंभों के तहत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साथ आए हैं:
  - o राजनीतिक और सुरक्षा,
  - o आर्थिक और वित्तीय और
  - o सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान-प्रदान।
- नया विकास बैंक और ब्रिक्स: यह पहले ब्रिक्स विकास बैंक के रूप में जाना जाता था, यह ब्रिक्स राज्यों द्वारा स्थापित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है।
  - o बैंक ऋण, गारंटी, इक्विटी भागीदारी और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से सार्वजनिक या निजी परियोजनाओं का समर्थन करता है।

ब्रिक्स विस्तार की आवश्यकता

- आर्थिक शक्ति: समूह के पांच सदस्यों की आर्थिक शक्ति उतनी आशाजनक नहीं है जितनी तब थी जब 2009 में पहली बार मंच की घोषणा की गई थी।
  - o हालाँकि ब्रिक्स देश निश्चित रूप से दुनिया की 43% आबादी और लगभग 30% वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक कमज़ोरियाँ निश्चित हैं।
- चीन का पश्चिम-विरोधी रुझान: चीन इस मंच को स्पष्ट रूप से पश्चिम-विरोधी रुझान देने के उद्देश्य से ब्रिक्स के त्वरित विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- प्रचलित पश्चिम-विरोधी भावना: कई लोगों को एहसास है कि अन्य समूहों के दरवाजे इनके लिए बंद हैं।
  - o यह समूह प्रचलित पश्चिम विरोधी भावनाओं और ग्लोबल साउथ का एक बड़ा मंच बनाने की व्यापक इच्छा को दर्शाता है।
- वैश्विक चुनौतियाँ: रूस को वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाशिये पर धकेला जा रहा है, जबकि पश्चिम देशों के विरोध के कारण चीन एक कठिन आर्थिक माहौल का सामना कर रहा है।

ब्रिक्स समूह के विस्तार की चुनौतियाँ:

- सदस्यता में वृद्धि से समूह का वेटेज चीन के पक्ष में होने की संभावना है क्योंकि इसमें शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे कुछ देश चीनी बेल्ट और रोड पहल का भी हिस्सा हैं।
  - o इससे यह चिंता बढ़ गई है कि विस्तारित ब्रिक्स को चीनी नेतृत्व वाले अमेरिकी विरोधी गुट के रूप में देखा जा सकता है।
- भारत, जो अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहा है, विस्तार को लेकर चिंतित है।
  - o भारत इन देशों को ब्रिक्स की सदस्यता के लिए प्रेरित करने में रूस के समर्थन के साथ-साथ चीन की भूमिका को भी देखता है।
- भारत ने पिछले साल के ब्रिक्स में भी अपनी चिंता व्यक्त की थी कि किसी भी नए सदस्य को सदस्यता के लिए सावधानीपूर्वक सोचे गए उद्देश्य मानदंडों का पालन करना होगा।
  - o उपस्थित सदस्यों के बीच इस पर परस्पर चर्चा की जानी चाहिए, ताकि विस्तार के संबंध में सभी एक ही विचार रखें।
- इसके अलावा, पिछले महीने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन तरीकों पर विचार करने की

आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें मौजूदा ब्रिक्स देश एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और गैर-ब्रिक्स देशों के साथ जुड़ते हैं।

आगे की राह:

15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत के लिए बहुआयामी महत्व रखता है, जो भू-राजनीतिक चिंताओं को दूर करने, द्विपक्षीय वार्ता को सुविधाजनक बनाने और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य विकसित हो रहा है, ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रमुख वैश्विक चुनौतियों से निपटने और सहयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। इस शिखर सम्मेलन के नतीजे न केवल सदस्य देशों को प्रभावित करेंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और सहयोग के व्यापक प्रक्षेप पथ को भी आकार देंगे।

Source: Economic Times

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) विधेयक, 2023

Syllabus

Mains – GS 2 (Polity and Governance)

संदर्भ: हाल ही में राज्यसभा में पेश किए गए इस विधेयक में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, सदस्य के रूप में विपक्ष के नेता और अन्य सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

- यह विधेयक भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को उस तीन सदस्यीय समिति से बाहर करने का प्रस्ताव करता है जो राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों (ईसी) के नामों की सिफारिश करती है।

पृष्ठभूमि:

- सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने हाल ही में फैसला सुनाया कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधान मंत्री, और लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। उनकी नियुक्तियों पर संसद द्वारा एक कानून बनाया जाता है।
    - यह निर्णय नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली 2015 की जनहित याचिका (पीआईएल) से सामने आया।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- आयोग की संरचना: यह बिल चुनाव आयोग की मौजूदा संरचना को बनाए रखता है, जिसमें सीईसी और अन्य ईसी शामिल हैं।
  o सीईसी और ईसी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
  o हालाँकि, विधेयक यह आवश्यकता प्रस्तुत करता है कि उनकी नियुक्तियाँ चयन समिति की सिफारिश पर की जाएंगी।
- चयन समिति: चयन समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।
  o यदि विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है, तो लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता यह भूमिका निभाएगा।
- खोज समिति: एक खोज समिति चयन समिति के विचार के लिए पांच संभावित उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी।
  o खोज समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करेंगे और इसमें दो अन्य सदस्य होंगे जो चुनाव से संबंधित मामलों में विशेषज्ञता वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होंगे।
  o चयन समिति उन अभ्यर्थियों पर भी विचार करती है जो खोज समिति द्वारा तैयार पैनल में शामिल नहीं थे।
- योग्यता: जो व्यक्ति केंद्र सरकार में सचिव के पद के बराबर पद पर हैं या रह चुके हैं, वे सीईसी और ईसी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।
  o इसके अतिरिक्त, इन व्यक्तियों के पास चुनाव के प्रबंधन और संचालन में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- वेतन और भत्ते: विधेयक में कहा गया है कि सीईसी और अन्य ईसी का वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के समान होंगी।
- कार्यालय की अवधि: सीईसी और अन्य ईसी दोनों छह साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, सेवा करते है।
  o यदि किसी EC को CEC के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो उसका कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।
  o विधेयक यह भी निर्दिष्ट करता है कि सीईसी और ईसी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

- कार्य संचालन: चुनाव आयोग का कार्य सर्वसम्मत निर्णयों के माध्यम से संचालित होता रहेगा।
  o यदि किसी मामले पर सीईसी और अन्य ईसी के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो इसे बहुमत से हल किया जाएगा।
- निष्कासन और इस्तीफा: यह बिल सीईसी और ईसी को कार्यालय से हटाने की मौजूदा प्रक्रिया को बनाए रखता है।
  o सीईसी को केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के समान प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जिसके लिए कुल सदस्यता के बहुमत के समर्थन और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन के साथ संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
  o ईसी को हटाने के लिए सीईसी की सिफारिश आवश्यक है। इस्तीफे के प्रावधान भी वही रहेंगे।

विधेयक से जुड़ी आलोचनाएँ:

- शक्ति संतुलन: प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री (प्रधानमंत्री द्वारा नामित) तीन सदस्यीय समिति का हिस्सा होते हैं, विपक्ष के नेता के पास प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अल्पमत वोट रह जाता है।
  o इससे समिति के भीतर शक्ति संतुलन के बारे में सवाल उठता है और क्या चयन प्रक्रिया वास्तव में स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है या कार्यपालिका के पक्ष में झुकी रहती है।
- चुनावी शासन पर प्रभाव: प्रस्तावित परिवर्तनों का ईसीआई की स्वायत्तता और कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़ सकता है।
  o चुनावों के संचालन में निष्पक्षता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। चयन प्रक्रिया में कार्यपालिका का कोई भी कथित प्रभाव बिना पक्षपात के अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने की चुनाव आयोग की क्षमता के बारे में चिंताएँ पैदा कर सकता है।
- संविधान निर्माताओं के इरादों के अनुरूप: सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले में इस बात पर जोर दिया था कि संविधान निर्माताओं का इरादा चुनावों की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र निकाय का था।
  o प्रस्तावित विधेयक के आलोचक इस बात पर सवाल उठाते हैं कि क्या चयन समिति की नई संरचना चुनाव के लिए जिम्मेदार एक निष्पक्ष और स्वतंत्र निकाय बनाने के निर्माताओं के उद्देश्य के अनुरूप है।

आगे की राह :

- इसलिए, चुनाव आयोग की स्वायत्तता को बनाए रखना न केवल चुनावों की अखंडता को बनाए रखने के लिए बल्कि लोकतंत्र की नींव को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार को चयन समिति की संरचना की समीक्षा कर इसे और अधिक संतुलित बनाने पर विचार करना चाहिए। इसमें निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष को एक मजबूत प्रतिनिधित्व देना शामिल हो सकता है।

Source: The Hindu

GS-Paper 3

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसका महत्व

Syllabus

- **Mains – GS 3 (Science and Technology)**

संदर्भ: पोप फ्रांसिस ने हाल ही में नई तकनीक की "विघटनकारी संभावनाओं और द्विपक्षीय प्रभावों" को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के संभावित खतरों पर वैश्विक प्रतिबिंब का आह्वान किया।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में:

- यह ऐसे कार्यों को पूरा करने वाली मशीनों की कार्रवाई का वर्णन करता है जिनके लिये ऐतिहासिक रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है।
- इसमें मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकग्निशन, बिग डेटा, न्यूरल नेटवर्क, सेल्फ एल्गोरिदम आदि जैसी तकनीकें शामिल हैं।
- AI हार्डवेयर संचालित रोबोटिक ऑटोमेशन से अलग है। मैन्युअल कार्यों को स्वचालित करने के बजाय, AI लगातार उच्च मात्रा वाले कम्प्यूटरीकृत कार्यों को विश्वसनीय रूप से करता है।

एआई का महत्व:

- **स्वास्थ्य देखभाल:** यह व्यक्तिगत दवा और एक्स-रे रीडिंग प्रदान करने में मदद करता है। यह रिपोर्टों का बेहतर विश्लेषण कर सकता है और सटीक निदान कर सकता है।
- **सुरक्षा:** एआई चेहरे की पहचान उपकरण का उपयोग निगरानी और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
- **शिक्षा:** एआई का उपयोग शिक्षा उद्देश्य के लिए सामग्री विकसित करने के लिए किया जा सकता है, जो प्रभावी तरीके से ज्ञान प्रदान कर सकता है।
- **रोबोटिक्स:** एआई रोबोटों को प्रक्रियाओं को सीखने और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के पूर्ण स्वायत्तता के साथ कार्य करने में मदद कर सकता है।
- **परिवहन:** चालक रहित वाहनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।
- **बैंकिंग और वित्त:** एआई बॉट, डिजिटल भुगतान सलाहकार और बायोमेट्रिक धोखाधड़ी का पता लगाना बैंकिंग और वित्त में कुछ अनुप्रयोग हैं।
- **कृषि:** एआई फसलों की छवियों को देखकर और उचित मात्रा में उर्वरक और पानी का सुझाव देकर फसल स्वास्थ्य का विश्लेषण कर सकता है। यह पैदावार की भविष्यवाणी भी कर सकता है।
- ई-कॉमर्स और सोशल मीडिया: एआई उपयोगकर्ताओं को उनके पिछले उपयोग पैटर्न के आधार पर वैयक्तिकृत सामग्री प्रदान कर सकता है। लक्षित बिक्री के अलावा, यह लक्षित विज्ञापन में भी मदद करता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रमुख मुद्दे:

- **उच्च कार्बन पदचिह्न:** जिन कार्यों को उन्हें करना चाहिए उन्हें पूरा करने के लिए, एआई मॉडल को काफी डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता होती है।
    - यह डेटा क्रंचिंग डेटा केंद्रों में होता है।
    - इसके लिए बहुत अधिक कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा-गहन है।
    - संपूर्ण डेटा सेंटर अवसंरचना और डेटा सबमिशन नेटवर्क वैश्विक CO_2 उत्सर्जन का 2-4% हिस्सा है।
- **निर्माण की उच्च लागत:** चूंकि एआई हर दिन अपडेट हो रहा है, इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नवीनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अपडेट होने की आवश्यकता है।
    - मशीनों को मरम्मत और रखरखाव लिए बहुत अधिक लागत की आवश्यकता होती है।
    - इसके निर्माण के लिए भारी लागत की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बहुत जटिल मशीनें हैं।

- **बेरोजगारी:** जैसे-जैसे एआई अधिकांश दोहराए जाने वाले कार्यों और अन्य कार्यों को रोबोट से बदल रहा है, मानव कार्य कम होता जा रहा है, जो रोजगार मानकों में एक बड़ी समस्या उत्पन्न कर रहा है।
    - प्रत्येक संगठन न्यूनतम योग्य व्यक्तियों के स्थान पर एआई रोबोट लाना चाह रहा है, जो अधिक दक्षता के साथ समान कार्य कर सकें।
- **कोई भावना नहीं:** इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब कुशलता से काम करने की बात आती है तो मशीनें बहुत बेहतर होती हैं लेकिन वे टीम बनाने वाले मानवीय कनेक्शन की जगह नहीं ले सकती हैं।

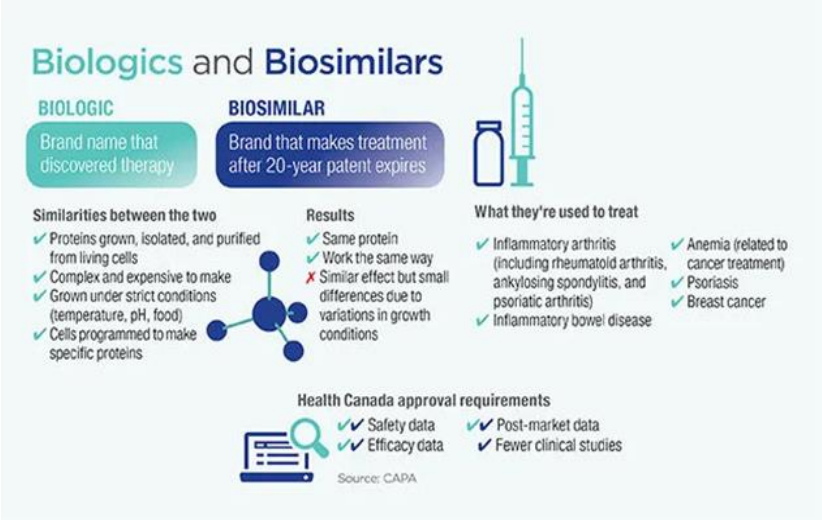

    - मशीनें इंसानों के साथ कनेक्शन विकसित नहीं कर सकतीं जो कि टीम प्रबंधन के लिए एक आवश्यक गुण है।
- आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का अभाव: मशीनें केवल वही कार्य कर सकती हैं, जिन्हें करने के लिए उन्हें डिज़ाइन या प्रोग्राम किया गया है, उनमें से कुछ भी वे क्रैश हो जाते हैं या अप्रासंगिक आउटपुट देते हैं, जो एक प्रमुख पृष्ठभूमि हो सकती है।
- एआई उपकरणों की पारदर्शिता का अभाव: एआई निर्णय हमेशा मनुष्यों के लिए समझ में नहीं आते हैं।
- एआई तटस्थ न होना : एआई-आधारित निर्णय अशुद्धियों, भेदभावपूर्ण परिणामों, अंतर्निहित या सम्मिलित पूर्वाग्रह के प्रति संवेदनशील होते हैं।
    - डेटा एकत्र करने और अदालत के उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता के लिए निगरानी प्रथाएँ।
- मानव अधिकारों और अन्य मूलभूत मूल्यों के लिए निष्पक्षता और जोखिम के लिए नई चिंताएँ।

आगे की राह

- **समर्पित अनुसंधान:** जलवायु परिवर्तन और एआई के बीच संबंधों का अध्ययन किया गया है, कम से कम इसलिए नहीं क्योंकि इस क्षेत्र में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनियां अपने संचालन के जलवायु प्रभाव को पर्याप्त रूप से सीमित करने के लिए अध्ययन करने के लिए न तो पारदर्शी हैं और न ही सार्थक रूप से प्रतिबद्ध हैं, कार्य करना तो दूर की बात है।
- **WEF की सिफारिश:** वर्ष 2018 में, विश्व आर्थिक मंच (WEF) की एक रिपोर्ट से पता चला कि AI पृथ्वी की कुछ पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान कर सकता है, लेकिन इसे ठीक से प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है।
- इसे रोकने के लिए, WEF ने प्रस्ताव दिया कि सरकारों और कंपनियों को "सुरक्षित" AI में प्रगति करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवता ऐसी AI विकसित नहीं कर रही है जो पर्यावरण के लिए हानिकारक है।
- सतत विकास के साथ प्रौद्योगिकी का विलय: यह सुनिश्चित करने के लिए कि एआई का उपयोग मदद के लिए किया जाए, न कि समाज में बाधा डालने के लिए, यह वर्तमान समय की दो बड़ी बहसों - डिजिटल प्रौद्योगिकी और सतत विकास (विशेष रूप से, पर्यावरण) को विलय करने का समय है।
    - यदि हम पहले का उपयोग दूसरे को बचाने के लिए करते हैं, तो यह हमारे पास उपलब्ध संसाधनों में से सबसे अच्छा संभव उपयोग हो सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

बायोसिमिलर (Biosimilars)

Syllabus – GS 3 (Science and Technology)

संदर्भ: स्वास्थ्य मंत्रालय नियामक मार्ग को और अधिक मजबूत बनाने और इसे तेजी से विकसित हो रहे वैश्विक परिदृश्य के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिए बायोसिमिलर दवाओं को मंजूरी देने के लिए दिशानिर्देशों में सुधार करने की योजना बना रहा है।

बायोसिमिलर के बारे में:

- बायोसिमिलर एक बायोलॉजिक है जो किसी अन्य बायोलॉजिकल दवा के "समान" है (जिसे संदर्भ उत्पाद के रूप में जाना जाता है), बायोसिमिलर सुरक्षा, शुद्धता और शक्ति के मामले में संदर्भ उत्पाद के समान हैं। लेकिन चिकित्सकीय रूप से निष्क्रिय घटकों में मामूली अंतर हो सकता है।
- बायोसिमिलर नई दवाएं नहीं हैं, बल्कि वे जैविक दवाओं की प्रतियां हैं जिनका उपयोग कई बीमारियों और स्थितियों के इलाज के लिए किया गया है।
- परिचित जैविक दवाओं में व्यापक रूप से निर्धारित उपचार जैसे एटैनरसेप्ट, इन्फ्लिक्सिमैब, एडालिमुमैब और अन्य शामिल हैं।

बायोसिमिलर और जेनेरिक के बीच अंतर:

- बायोसिमिलर में जैविक इकाई के समकक्ष को विकसित करना शामिल है जबकि जेनेरिक में एक रासायनिक इकाई-सक्रिय फार्मास्युटिकल घटक के समकक्ष को विकसित करना शामिल है।
- बायोसिमिलर के मामले में, जैविक इकाइयां कुछ हद तक भिन्न होती हैं (और जैसा कि यह प्रतिकृति की तरह नहीं है), प्रत्येक जीव को समान चिकित्सीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इंजीनियर किया जाना चाहिए, जबकि जेनेरिक में, एपीआई की प्रतियां उत्पन्न की जा सकती हैं।
- बायो-सिमिलर जटिलता, विनिर्माण प्रक्रियाओं और अनुमोदन के लिए समानता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक डेटा में जेनेरिक से भिन्न होते हैं।
    - जेनेरिक की संरचना सरल और अच्छी तरह से परिभाषित है जबकि बायो-समान के लिए यह संभावित संरचनात्मक विविधताओं के साथ जटिल है।
- बायोसिमिलर के लिए अनुमोदन प्राप्त करने की नियामक प्रक्रिया जेनेरिक की तुलना में जटिल है।

बायोसिमिलर की संभावनाएँ

- कैंसर (मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज), मधुमेह (इंसुलिन) और कई अन्य ऑटोइम्यून बीमारियों के लिए बायोलॉजिक्स में बाजार की वृद्धि ने दुनिया भर में बायोसिमिलर के लिए नए अवसर खोले दिए हैं।
- कई भारतीय दवा कंपनियां बायोसिमिलर के विकास में भारी निवेश कर रही हैं।
- ट्रैस्टुजुमैब एमटान्सिन का पहला बायोसिमिलर संस्करण न केवल कैंसर कोशिकाओं (ट्रैस्टुजुमैब) के विकास को रोक रहा है, बल्कि कैंसर सेलों में एक साइटोटॉक्सिक एजेंट भी पहुंचाता है और इसे नष्ट करने में मदद करता है।
- बायोसिमिलर का बाजार बढ़ रहा है क्योंकि वे बायोलॉजिक्स से सस्ते हैं, जिनकी उच्च लागत उन्हें कई रोगियों की पहुंच से बाहर कर रही है।
- जटिल जेनेरिक और समान जैविक दवाएं कैंसर, अस्थमा और गठिया जैसे गैर-संचारी रोगों के इलाज के लिए बनाई गई हैं, और उनके निर्माण को प्रोत्साहित करने से विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

बायोसिमिलर की चुनौतियाँ:

- महंगी और लंबी विकास प्रक्रिया में छह से सात साल लग सकते हैं।
- बायोसिमिलर की उच्च संवेदनशीलता के कारण तापमान का उनके संरक्षण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
    - इसलिए, उन्हें कोल्ड चेन नेटवर्क के माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए।
- बायोसिमिलर और जेनेरिक उत्पादन लागत और मशीनरी, इमारतों और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश में काफी भिन्न होते हैं।

भारत में बायोसिमिलर के विनियमन और विकास में शामिल हैं:

- जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी)
- केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर)
- संस्थागत जैव सुरक्षा समिति (आईबीसी)
- राष्ट्रीय नियंत्रण प्रयोगशाला जैव सुरक्षा समिति

विभिन्न कानून और दिशानिर्देश जिनके अंतर्गत बायोसिमिलर आते हैं:

- औषधि एवं समिति अधिनियम (1940)
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम (1945)
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (1986)
- पुनः संयोजक डीएनए सुरक्षा दिशानिर्देश (1990)
- rDNA टीकों, डायग्नोस्टिक्स और अन्य जैविकों के लिए प्री-क्लिनिकल और क्लिनिकल डेटा के लिए दिशानिर्देश (1999)
- उद्योग के लिए सीडीएससीओ मार्गदर्शन (2008)

आगे की राह

इस प्रकार, बेईमान और अनैतिक गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक संरचना स्थापित की जानी चाहिए और उचित निरीक्षण लागू किया जाना चाहिए। भारत को अपने जैविक अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए बुनियादी अनुसंधान और प्रशिक्षण में निवेश करने की आवश्यकता है।

Source: The Hindu

IASBABA

GS-Paper 4

भारत ने जानवरों को दवा-परीक्षण से हटाने के लिए पहला कदम उठाया

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance), GS 4 (Ethics)**

संदर्भ: भारत सरकार ने हाल ही में नए औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम, 2023 में एक संशोधन पेश किया है। यह संशोधन अनुसंधान, विशेष रूप से औषध/दवा परीक्षण में जानवरों के उपयोग से संबंधित नैतिक एवं वैज्ञानिक चिंताओं को संबोधित करता है।

संशोधन की मुख्य बातें:

- संशोधन शोधकर्ताओं को नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए गैर-पशु और मानव-प्रासंगिक तरीकों का उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है।
- इन विधियों में 3डी ऑर्गेनॉइड, ऑर्गन-ऑन-चिप और परिष्कृत कम्प्यूटेशनल दृष्टिकोण जैसी तकनीक शामिल हैं, जिनका उपयोग नवीन फार्मास्यूटिकल्स की सुरक्षा और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए किया जाता है।
- उपरोक्त विनियमों में यह प्रावधान है कि कोई भी अनुबंध अनुसंधान संगठन (सीआरओ) जो मानव प्रतिभागियों में नवीन या प्रयोगात्मक दवाओं से संबंधित नैदानिक परीक्षण या जैवउपलब्धता/जैवसमतुल्यता अनुसंधान कर रहा है, उसे ऐसी जांच शुरू करने से पहले केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण से पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

भारत में क्लिनिकल परीक्षण मॉड्यूल:

- बाज़ार में हर दवा परीक्षणों की एक लंबी यात्रा से गुज़रती है, प्रत्येक को जाँच के लिए डिज़ाइन किया गया है क्या यह उस बीमारी का इलाज कर सकता है जिसके लिए इसे बनाया गया था क्या इसका कोई अनपेक्षित हानिकारक प्रभाव है।
- परंपरागत रूप से इस प्रक्रिया में जानवरों पर उम्मीदवार अणुओं का परीक्षण शामिल होता है, विशेष रूप से चूहों या चूहों जैसे कृंतकों के साथ-साथ गैर-कृंतकों जैसे- कैनाइन (Canines) और प्राइमेट्स (Primates) पर।
- हालाँकि, मनुष्य अधिक जटिल प्राणी हैं, और जैविक प्रक्रियाएँ और उनकी प्रतिक्रियाएँ भी अक्सर व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होती हैं। नियंत्रित परिस्थितियों में पाली गई प्रयोगशाला में पाली गई पशु प्रजातियां किसी दवा के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाती हैं।

विकल्प के रूप में सुझाई गई प्रौद्योगिकियाँ:

- **मानव कोशिकाओं या स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके विकसित प्रौद्योगिकियां:** इनमें मिलीमीटर आकार की त्रि-आयामी सेलुलर संरचनाएं शामिल हैं जो शरीर के विशिष्ट अंगों की नकल करती हैं, जिन्हें "ऑर्गनोइड्स" या "मिनी-ऑर्गन्स" कहा जाता है।
- **'ऑर्गन-ऑन-ए-चिप' तकनीक:** ये एए-बैटरी के आकार के चिप्स हैं जो शरीर के अंदर रक्त प्रवाह की नकल करने के लिए माइक्रोचैनल से जुड़ी मानव कोशिकाओं से सुसज्जित हैं।
    - ये प्रणालियाँ मानव शरीर क्रिया विज्ञान के कई पहलुओं को पकड़ती हैं, जिसमें ऊतक-ऊतक अंतःक्रिया और शरीर के अंदर भौतिक और रासायनिक संकेत शामिल हैं।
- **3डी बायोप्रिंटर का उपयोग:** बायो प्रिंटर का उपयोग मानव कोशिकाओं और तरल पदार्थों को 'बायो-इंक' के रूप में उपयोग करके जैविक ऊतकों को 'प्रिंट' करने के लिए किया जाता है।
    - चूंकि इन्हें रोगी-विशिष्ट कोशिकाओं का उपयोग करके बनाया जा सकता है, इसलिए इनका उपयोग दवा-परीक्षणों को निजीकृत करने के लिए भी किया जा सकता है।

चुनौतियाँ:

- एक ऑर्गन-ऑन-ए-चिप प्रणाली विकसित करना: प्रयोगशाला में सेलुलर व्यवहार को फिर से बनाने के लिए आमतौर पर कोशिका जीव विज्ञान में बहु-विषयक ज्ञान और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
    - सामग्री विज्ञान यह सुनिश्चित करने के लिए सही सामग्री ढूंढता है कि चिप जैविक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप न करे।
    - माइक्रोचैनल के अंदर रक्त प्रवाह की नकल करने के लिए द्रव गतिशीलता; बायोसेंसर को एकीकृत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो चिप में पीएच, ऑक्सीजन आदि को माप सकते हैं; चिप डिजाइन करने के लिए इंजीनियरिंग; और चिप्स में दवाओं की कार्रवाई की

व्याख्या करने के लिए फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी।

- अनुसंधान और विकास के लिए संसाधन: अधिकांश अभिकर्मक, कोशिका-संस्कृति संबंधी सामग्री और उपकरण वर्तमान में अमेरिका, यूरोप और जापान से आयात किए जाते हैं।
    - भारत में एंड-टू-एंड इकोसिस्टम विकसित करने के लिए सेल कल्चर, सामग्री विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कई विविध क्षेत्रों में एक बड़ा अंतर और अवसर है।
- लैब-टू-लैब प्रोटोकॉल और विशेषज्ञता में अंतर से उत्पन्न होने वाले डेटा में परिवर्तनशीलता।
- उदाहरण के लिए, एक प्रयोगशाला केवल लीवर कोशिकाओं के साथ एक प्रणाली बना सकती है, जबकि प्रतिरक्षा प्रणाली और लीवर का अध्ययन करने का प्रयास करने वाली एक अन्य प्रयोगशाला अपने लीवर-ऑन-ए-चिप में प्रतिरक्षा कोशिकाओं को भी शामिल कर सकती है।
    - इसका मतलब है कि सभी लीवर रोगों का अध्ययन करने के लिए कोई 'मानक' या 'सार्वभौमिक' लीवर-ऑन-ए-चिप नहीं हो सकता है।

दुनिया भर में नियमों की स्थिति:

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** एफडीए आधुनिकीकरण अधिनियम 2.0 दिसंबर 2022 में पारित किया गया था, जिससे शोधकर्ताओं को नई दवाओं की सुरक्षा और प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिए इन प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति मिली।
- **दक्षिण कोरिया:** 'पशु परीक्षण विधियों के विकास, प्रसार और विकल्पों के उपयोग का जीवंतीकरण' विधेयक दिसंबर 2022 में पेश किया गया था।
- **यूरोपीय संघ:** वर्ष 2021 में, उन प्रौद्योगिकियों की ओर संक्रमण को सुविधाजनक बनाने के लिए एक कार्य योजना पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था जो अनुसंधान, नियामक परीक्षण और शिक्षा में जानवरों का उपयोग नहीं करते हैं।
- **कनाडा:** विषाक्तता परीक्षण में कशेरुक जानवरों के उपयोग को बदलने, कम करने या परिष्कृत करने के लिए जून 2023 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था।
- **भारत:** मार्च 2023 में, सरकार ने नई औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 में संशोधन करके दवा-विकास पाइपलाइन में इन प्रणालियों को अपनाया।
    - इसने लोगों से टिप्पणियाँ आमंत्रित करने और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, वैधानिक निकाय जो दवा से संबंधित तकनीकी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है, के परामर्श से ऐसा किया।

आगे की राह :

भारत का दवा विकास कानून परिवर्तन पशु प्रयोग को कम करता है और सुरक्षित और अधिक प्रभावी फार्मास्यूटिकल्स के लिए नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देता है। भारत वैकल्पिक दृष्टिकोण, पशु कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बढ़ावा देकर जिम्मेदार दवा विकास के लिए एक आधार स्थापित करता है। यह वास्तव में एक अंत:विषय प्रयास है और इसमें केंद्रित प्रशिक्षण और मानव-संसाधन निर्माण की आवश्यकता है, जिसका वर्तमान में देश में अभाव है।

स्रोत: द हिंदू

अतिरिक्त जानकारी:

औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड (DTAB):

- DTAB देश के अंदर दवाओं के तकनीकी पहलुओं से संबंधित सर्वोच्च वैधानिक निर्णय लेने वाले प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
- यह औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार स्थापित किया गया है।
- DTAB केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) की छत्रछाया में संचालित होता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO):

- सीडीएससीओ फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरणों के लिए भारत का शीर्ष नियामक प्राधिकरण है।
- औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत स्थापित है।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के तहत कार्य करता है।

अधिदेश और कार्य:

- यह दवाओं, सौंदर्य प्रसाधनों और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा, प्रभावकारिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है।
- नई दवा अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण और आयात/निर्यात लाइसेंस की समीक्षा करता है।
- विनिर्माण, बिक्री, वितरण, लेबलिंग और पैकेजिंग को नियंत्रित करता है।
- प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं पर नज़र रखता है, बाज़ार के बाद निगरानी करता है।
- राज्य प्राधिकरणों, उद्योग, वैश्विक नियामकों के साथ सहयोग करता है।

संवैधानिक नैतिकता

Syllabus

- **Mains – GS 2 (Governance) and GS 4 (Ethics)**

संदर्भ: हाल ही में तेलंगाना की उच्च न्यायालय पीठ ने राय दी कि संवैधानिक नैतिकता को सार्वजनिक नैतिकता के तर्क से अधिक महत्व देना चाहिए, भले ही यह बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण ही क्यों न हो।

- अदालत ने वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करते हुए यह आदेश पारित किया, जो पहले एक आपराधिक अपराध था जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती थी।

संवैधानिक नैतिकता के बारे में:

- संवैधानिक नैतिकता उन सिद्धांतों और मूल्यों को संदर्भित करती है जो संविधान को रेखांकित करते हैं और सरकार एवं नागरिकों के कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं।
- यह इस विचार को शामिल करता है कि संविधान सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि एक नैतिक दस्तावेज भी है जो समाज के साझा मूल्यों और आकांक्षाओं को दर्शाता है।
- इसमें यह विचार भी शामिल है कि संविधान की व्याख्या और कार्यान्वयन इन मौलिक सिद्धांतों और मूल्यों के साथ लगातार किया जाना चाहिए, न कि केवल एक तकनीकी दस्तावेज के रूप में जिसका अक्षरशः (literally) पालन किया जाना चाहिए।
- संवैधानिक नैतिकता शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं है।

इस अवधि में संवैधानिक नैतिकता का विकास:

- उत्पत्ति: संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की उत्पत्ति अंग्रेजी इतिहासकार जॉर्ज ग्रोट के कार्य से हुई है।
- उन्होंने 'स्वतंत्रता' और आत्म-संयम के आधार पर शासित लोकप्रिय संप्रभुता का वर्णन करने के लिए 'संवैधानिक नैतिकता' का उपयोग किया।
- ग्रोट के लिए संवैधानिक नैतिकता का मतलब नागरिकों का सार्वजनिक अधिकारियों की आलोचना करने का अधिकार भी है।
    - इसलिए, सार्वजनिक अधिकारियों की शक्ति की सीमा और संविधान का सम्मान करने के उनके कर्तव्य पर प्रकाश डाला गया।
- संविधान सभा: भारतीय संदर्भ में, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले डॉ. भीम राव अंबेडकर ने संविधान सभा में बहस के दौरान प्रशासनिक विवरणों को संविधान में शामिल करने को सही ठहराने के लिए किया था।
- उनके अनुसार, संवैधानिक नैतिकता ही समाज में विद्यमान असमानता का समाधान थी।
    - इसका मुख्य अर्थ गणतंत्र में शासन और प्रशासन के पसंदीदा रूप में संवैधानिक लोकतंत्र के लिए पार्टियों के बीच सम्मान है।
- केशवानंद भारती केस (1973): इसका सूक्ष्मता से संकेत सुप्रीम कोर्ट ने तब किया जब उसने संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की।
- संवैधानिक नैतिकता का उल्लेख प्रथम न्यायाधीश मामले (1982) में भी किया गया था।
    - इसके बाद, इसका उल्लेख नाज़ फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (2010) में किया गया था, जहां इसका इस्तेमाल लोकप्रिय स्वीकृति और सामाजिक नैतिकता के विपरीत किया गया था।

संवैधानिक नैतिकता के तत्व:

- संवैधानिक नैतिकता में संवैधानिक सिद्धांतों का पालन शामिल है जैसे:
  - स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता
  - संवैधानिक सर्वोच्चता
  - सरकार का संसदीय स्वरूप और आत्मसंयम
  - कानून का शासन
  - समानता
  - भ्रष्टाचार के प्रति असहिष्णुता, उदाहरण के लिए कुछ

संवैधानिक नैतिकता का महत्व:

- **नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना:** यह यह सुनिश्चित करके नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करता है कि सरकार कानून के शासन और लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के प्रति जवाबदेह है।
- **लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा देना:** यह यह सुनिश्चित करके लोकतांत्रिक संस्थानों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है कि सरकार लोगों की इच्छा और संविधान के सिद्धांतों से बंधी है।
- **समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना:** इसका उपयोग उन कानूनों या क़ानूनों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है जो अब हाल के दिनों के अनुरूप नहीं हैं, इस प्रकार सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।
- **समावेशी समाज बनाना:** यह सभी नागरिकों के अधिकारों को मान्यता और सुरक्षा प्रदान करके, उनकी पृष्ठभूमि या पहचान की परवाह किए बिना, सामाजिक एकजुटता और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मदद करता है।

संवैधानिक नैतिकता को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले:

- **एस खुशबू बनाम कन्नियाम्मल और अन्य (2010):** विवाह के बाहर सहमति देने वाले वयस्कों के बीच यौन संबंधों को कानूनी और निजता के अधिकार के अंतर्गत घोषित किया गया।
- **नाज़ फाउंडेशन बनाम एनसीटी दिल्ली सरकार (2009):** भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को अधिकारों का उल्लंघन घोषित करते हुए वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।
- **जोसेफ शाइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018):** व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और इसे समानता, गरिमा, गोपनीयता और स्वायत्तता के अधिकारों का उल्लंघन घोषित किया गया।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):** LGBTQ+ व्यक्तियों के अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन और पहचान को गरिमा के साथ व्यक्त करने के अधिकारों की पुष्टि की गई।
- **शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम. (2018):** यह धर्म या जाति की परवाह किए बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को बरकरार रखा, हिंदू-मुस्लिम विवाह को रद्द कर दिया।
- **शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ (2018):** अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक जोड़ों के खिलाफ ऑनर किलिंग की निंदा की गई, रोकथाम और सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।
- **इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य, (2019) (सबरीमाला मामला):** सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सबरीमाला मंदिर से 10-50 वर्ष की आयु की महिलाओं का बहिष्कार संवैधानिक नैतिकता के चार प्रमुख सिद्धांतों: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लंघन है।

भारत में संवैधानिक नैतिकता से संबंधित चुनौतियाँ:

- **स्पष्टता का अभाव:** कुछ लोगों का तर्क है कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इसका उपयोग कार्यों और निर्णयों की एक विस्तृत श्रृंखला को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है, जो पूर्वानुमेयता के सिद्धांत और कानून के शासन को कमजोर करता है।
- **व्यक्तिपरकता:** कुछ लोगों का तर्क है कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा अत्यधिक व्यक्तिपरक है और इसका उपयोग इसकी व्याख्या

करने वाले व्यक्ति या संस्थान के परिप्रेक्ष्य के आधार पर विभिन्न कार्यों और निर्णयों को उचित ठहराने के लिए किया जा सकता है।

- **न्यायिक अतिक्रमण होना:** यदि इस सिद्धांत का उपयोग बिना किसी सीमा या प्रतिबंध के किया जाता है, तो यह न्यायिक अतिक्रमण हो सकता है। इससे शक्तियों के पृथक्करण का उल्लंघन हो सकता है।
- **चयनात्मक अनुप्रयोग:** ऐसे उदाहरण हैं जहां संवैधानिक नैतिकता को कुछ समूहों या मुद्दों पर चुनिंदा रूप से लागू किया गया है, जिससे निष्पक्षता के सिद्धांत और कानून के शासन को कमजोर किया गया है।
- **लोकप्रिय वैधता का अभाव:** कुछ लोगों का तर्क है कि संवैधानिक नैतिकता लोकप्रिय सहमति पर आधारित नहीं है और सार्वजनिक नैतिकता के विरोध में समाज पर थोपी जा रही है।

आगे की राह:

संवैधानिक नैतिकता एक जिम्मेदार नागरिक के मन में पैदा की जाने वाली भावना है। संवैधानिक नैतिकता को कायम रखना न केवल न्यायपालिका या राज्य का कर्तव्य है, बल्कि व्यक्तियों का भी कर्तव्य है। संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट उल्लेख है कि हम किस प्रकार का समाज स्थापित करना चाहते हैं; यह केवल संवैधानिक नैतिकता के माध्यम से ही वास्तविकता बन सकता है। संवैधानिक नैतिकता विकसित हो रहे सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और चुनौतियों के प्रति लचीली और अनुकूल होनी चाहिए। संविधान की व्याख्या के लिए जिम्मेदार अदालतों और संस्थानों को एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो समसामयिक मुद्दों और विकास पर विचार करता है।

Source: Deccan Herald

प्रभावी नेतृत्व में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भूमिका

Syllabus

- **Mains – GS 4 (Ethics)**

संदर्भ: भावनात्मक बुद्धिमत्ता, या अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, इस प्रौद्योगिकी संचालित आधुनिक युग में प्रभावी नेतृत्व के लिए विशेष रूप से सुशासन के लिए महत्वपूर्ण है।

भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) के बारे में:

- भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ईआई) किसी व्यक्ति की अपनी भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रबंधित करने के साथ-साथ दूसरों की भावनाओं को समझने, प्रबंधित करने और प्रभावित करने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह हमेशा गुणकारी नहीं होता है और इसका उपयोग सकारात्मक और नकारात्मक उद्देश्यों के लिए एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है।

EI के तत्व (जैसा कि डैनियल गोलेमैन द्वारा दिया गया है)

- **आत्म-जागरूकता:** यह किसी की भावनाओं के घटित होने और विकसित होने पर उनके प्रति जागरूक होने और उन्हें समझने का कौशल है।
- **स्व-नियमन:** यह किसी की भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में है यानी तुरंत प्रतिक्रिया करने के बजाय; कोई अपनी भावनाओं पर राज कर सकता है और इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले सोचेगा।
- **आंतरिक प्रेरणा:** इसमें अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता, पहल, या अवसरों पर कार्य करने की तत्परता, और आशावाद एवं लचीलेपन को सुधारने और प्राप्त करने की व्यक्तिगत प्रेरणा शामिल है।
- **सहानुभूति:** यह व्यक्तिगत और समूह दोनों में दूसरों की जरूरतों और भावनाओं के बारे में जागरूक है, और दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखने में सक्षम है।
- **सामाजिक कौशल:** यह सहानुभूति लागू करना और दूसरों की इच्छाओं और आवश्यकताओं को अपनी इच्छाओं के साथ संतुलित करना है। इसमें दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना भी शामिल है।

सिविल सेवकों के बीच ईआई का विकास:

- **प्रशिक्षण:** अभ्यास और फीडबैक के माध्यम से, सिविल सेवक वास्तविक जीवन के उदाहरणों और प्रतिबिंब अवसरों का उपयोग करके अपनी गलतियों से सीख सकते हैं।

- **अनुभवात्मक शिक्षा:** भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए जीवन गतिविधियों की आवश्यकता होती है, जो मुख्य रूप से पारंपरिक कक्षा के बाहर होती हैं, और इसे आमतौर पर अनुभवात्मक शिक्षा के रूप में जाना जाता है।
- **शिक्षण हस्तांतरण:** इसका तात्पर्य यह है कि लोग प्रदर्शन सुधार के लिए प्रशिक्षण में जो सीखते हैं उसका उपयोग कैसे करते हैं।
    - लर्निंग ट्रांसफर का उद्देश्य सीखी गई जानकारी को तुरंत कार्य पर लागू करना और सुदृढ़ करना है।
- **समर्थन:** कोचिंग, प्रोत्साहन और सहकर्मी समर्थन ईआई दक्षताओं के स्थायी परिवर्तन और सकारात्मक विकास में सहायता कर सकते हैं।

सिविल/सार्वजनिक सेवाओं में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व:

- **बेहतर निर्णय लेना:** जैविक साक्ष्य से पता चलता है कि भावनाओं से अवगत हुए बिना निर्णय लेना न्यूरोलॉजिकल रूप से असंभव है।
    - इसलिए, हितों का टकराव होने पर ईआई तटस्थता और निष्पक्षता को आगे बढ़ाता है।
- **बेहतर संचार:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग अन्य लोगों की बात सुनते हैं और प्रभावी ढंग से संवाद करना जानते हैं (गोलेमैन 1997)।
    - इसलिए, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान सिविल सेवक बड़े पैमाने पर जनता के साथ बेहतर संचार के माध्यम से नीतियों को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने का प्रबंधन करता है।
    - जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से सुलझ जाता है तो व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर सहानुभूति और सत्यनिष्ठा को प्राथमिकता दी जाती है।
- विघटनकारी भावनाओं का प्रबंधन- उच्च दबाव वाले वातावरण में काम करते समय एक सिविल सेवक अक्सर राजनीतिक दबाव, जीवन की धमकियों आदि का शिकार हो जाता है।
    - केवल एक लोक सेवक जो भावनात्मक रूप से बुद्धिमान है, क्रोध, अवसाद या समझौता किए बिना ऐसे दबावों को संभालने में सक्षम होगा।
- नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन- एक शोध के अनुसार ऐसे सहकर्मियों के साथ काम करना जो स्वयं-जागरूक नहीं हैं, टीम की सफलता को आधा कर सकते हैं और इससे तनाव बढ़ सकता है और प्रेरणा कम हो सकती है।
- नेतृत्व को बढ़ावा देना- आत्म-जागरूकता हर चीज के मूल में है। यह न केवल किसी की शक्ति और कमजोरियों को समझने की क्षमता का वर्णन करता है, बल्कि भावनाओं और उनके स्वयं (लोक सेवक) और उसकी टीम के प्रदर्शन पर पड़ने वाले प्रभाव को पहचानने की क्षमता का भी वर्णन करता है।
- **अधिक कुशल प्रशासन:** क्योंकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता मदद करती है -
  o स्थितियों पर बहुत लचीले ढंग से प्रतिक्रिया देना।
  o सही समय और सही जगह का लाभ उठाना।
  o अस्पष्ट या विरोधाभासी संदेशों का अर्थ समझना।
- **लोगों के साथ विश्वास बनाना:** भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग दूसरे लोगों की भावनाओं को सुनते हैं और उनके साथ सहानुभूति रख सकते हैं।
    - भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग नैतिक रूप से कार्य करते हैं और ईमानदारी और विश्वसनीयता के माध्यम से विश्वास बनाते हैं।
- बेहतर प्रशासन: सभी सार्वजनिक सेवा लोगों की सेवा है।
    - जिस हद तक लोक प्रशासन लोगों के दिल और दिमाग को प्रतिबिंबित करता है, वह शासन है।
    - ईआई लोगों के साथ संबंध बनाने में मदद करता है और सार्वजनिक योजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

ईआई का नकारात्मक पक्ष:

- भावनाएँ जटिल हैं, और उन्हें हमेशा प्रबंधित या नियंत्रित नहीं किया जा सकता है।
    - भावनात्मक बुद्धिमत्ता यह गारंटी नहीं देती कि किसी की भावनाएँ हमेशा उनके पक्ष में काम करेंगी।
    - उदाहरण: हिटलर ने जर्मनों की भावनाओं से खेलने के लिए भाषण दिए।
- भावनात्मक बुद्धिमत्ता आलोचनात्मक सोच या समस्या-समाधान कौशल का विकल्प नहीं है, और यह सभी स्थितियों में सफलता की गारंटी नहीं देती है।

- वामपंथी उग्रवाद और आतंकवादी संगठनों ने निर्दोष युवाओं की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की (manipulating) और उन्हें राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।

आगे की राह

इस प्रकार, जिन नेताओं/नौकरशाहों के पास उच्च स्तर की भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है, वे टीमों को प्रशिक्षित करने, तनाव को नियंत्रित करने, आलोचना करने और दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में सुधार करने के लिए, नेता आत्म-चिंतन का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, प्रेरित रह सकते हैं, सहानुभूति दिखा सकते हैं और संघर्ष समाधान और प्रभावी संचार जैसे सामाजिक कौशल विकसित कर सकते हैं।

Source: Economic Times

IASBABA

PRACTICE QUESTIONS

Q1) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) 1972 के पुरावशेष और कला खजाना अधिनियम को नियंत्रित करता है।

कथन-II:

इसकी स्थापना 1860 में हुई थी।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q2) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

ज्वार (Sorghum) दिल के दौरे के खतरे को कम करने में मदद करता है।

कथन-II:

यह एनीमिया जैसी स्थितियों में मदद करता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q3) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

अंतरिक्ष यान	प्रक्षेपण
Juno	2011
Voyager 2	1977
Chandrayaan 1	2008

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q4) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

अभ्यास	देश
JIMEX	भारत और जॉर्डन
SANGAM	भारत और अमेरिका
Pitch Black	भारत और ऑस्ट्रेलिया

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q5) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, सदन की बैठक जारी रहने के दौरान सिविल प्रक्रिया के तहत सदस्यों की गिरफ्तारी और हिरासत से मुक्ति प्रदान करती है।

कथन-II:

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों से संबंधित है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q6) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

किसी राज्य का नाम बदलना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के तहत है।

कथन-II:

कानून की शक्ति प्राप्त करने के लिए ऐसे विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q7) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

रामसर स्थल	स्थान
तम्पारा झील	झारखंड
दीपोर बील l	असम
हीराकुंड जलाशय	राजस्थान

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q8) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

वीरता पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है।

कथन-II:

सभी वीरता पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किये जा सकते हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q9) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

सतह पर उन सभी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा जहां तीव्रता समान होती है, आइसोसेस्मिक रेखा कहलाती है।

कथन-II:

वह बिंदु जहां ऊर्जा मुक्त होती है, उपरिकेंद्र कहलाता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q10) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

मिसाइल	देश
स्पाइक नॉन-लाइन ऑफ़ साइट (एनएलओएस)	फ्रांस
हेलिना	यूएसए
ट्राइडेंट II	भारत

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q11) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

मतली, चक्कर और सिरदर्द हवाना सिंड्रोम के कुछ लक्षणों में से एक हो सकते हैं।

कथन-II:

भारत में हवाना सिंड्रोम का कभी पता नहीं चला।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q12) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) द्वारा ही की गई थी।

कथन-II:

आईपीसीसी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति अल गोर को 2007 में संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q13) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

मूंगा चट्टान प्रकार	विवरण
फ्रिन्गिंग रीफ्स	फ्रिन्गिंग रीफ्स वे गोलाकार या अण्डाकार आकार की होती हैं और चारों तरफ से समुद्र से घिरी होती हैं।
एटोल	वे महाद्वीप के पास विकसित होते हैं और समुद्र तट के करीब रहते हैं।

बैरियर रीफ्स	वे आमतौर पर कुछ दूरी पर समुद्र तट के समानांतर चलती हैं।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q14) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
एलएसडी (लिसेर्जिक एसिड डायथाइलैमाइड) एक साइकेडेलिक है।
कथन-II:
यह दवाओं के उसी वर्ग, एर्गोलिन्स से संबंधित है, जो माइग्रेन और पार्किंसंस रोग का इलाज करता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q15) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को की "खतरे में" सूची से हटा दिया गया है।
कथन-II:
इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q16) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

टाइगर रिजर्व	राज्य
नागार्जुनसागर-श्रीशैलम	आंध्र प्रदेश
पिलीभीत	बिहार
मानस	अरुणाचल प्रदेश

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q17) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार के डिजिटल पोर्टल का उद्देश्य व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ाना है।
कथन-II:
यह पारदर्शी प्रसंस्करण प्रदान कर सकता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q18) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
सीबीडीटी प्रत्यक्ष करों से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत बोर्ड और केंद्र सरकार के वैधानिक कार्यों के निर्वहन के संबंध में नीति बनाता है।
कथन-II:
सीबीडीटी केवल प्रत्यक्ष करों का प्रभारी है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q19) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

द्वीप	विवादित देश
फ़ॉकलैंड द्वीप समूह	अर्जेंटीना और यूनाइटेड किंगडम
कुरील द्वीप समूह	रूस और दक्षिण कोरिया
पारासेल द्वीप समूह	चीन और रूस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q20) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) को SEBI द्वारा विनियमित किया जाता है।

कथन-II:

इनका उपयोग निवेश में विविधता लाने के लिए किया जा सकता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q21) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

गोबरधन पोर्टल व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित करता है।

कथन-II:

योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण संख्या आवश्यक है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q22) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

सूर्य के लिए मिशन	अंतरिक्ष एजेंसी
आदित्य-L1	ISRO
पार्कर सोलर प्रोब	NASA
DSCOVR	NASA

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q23) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

पीएम विश्वकर्मा योजना संस्कृति मंत्रालय के अधीन है।

कथन-II:

योजना के तहत 1 लाख रुपये (पहली किश्त) और 2 लाख रुपये (दूसरी किश्त) तक की क्रेडिट सहायता दी जाएगी।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q24) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

श्री अटल बिहारी वाजपेई तीन बार भारत के प्रधानमंत्री रहे।

कथन-II:

उन्हें 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q 25) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

ख़बरों में राष्ट्रीय उद्यान	देश
यासुनी राष्ट्रीय उद्यान	ब्राजील
येलोस्टोन नेशनल पार्क	इक्वाडोर
कूनो राष्ट्रीय उद्यान	मध्य प्रदेश

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q26) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

IUCN रेड लिस्ट के अनुसार स्लॉथ भालू लुप्तप्राय है।

कथन-II:

वे भारत, श्रीलंका और दक्षिणी नेपाल में पाए जाते हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q27) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
महाराजा बीर बिक्रम माणिक्य बहादुर ने अगरतला, त्रिपुरा में महाराजा बीर बिक्रम कॉलेज (एमबीबी कॉलेज) की स्थापना की।
कथन-II:
वह राज्य के आधुनिकीकरण और विकास में विश्वास करते थे और स्थानीय कला, शिल्प और परंपराओं का समर्थन नहीं करते थे।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q28) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

टाइगर रिजर्व	स्थान
मेलघाट टाइगर रिजर्व	कर्नाटक
पलामू टाइगर रिजर्व	बिहार
नवेगांव-नागजीरा टाइगर रिजर्व	महाराष्ट्र

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q29) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
राष्ट्रीय स्वचालित फ़िंगरप्रिंट पहचान प्रणाली (NAFIS) किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10-अंकीय राष्ट्रीय फ़िंगरप्रिंट नंबर (NFN) प्रदान करती है।
कथन-II:
इससे मामलों के त्वरित एवं आसान निस्तारण में मदद मिलेगी।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q30) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
जीएसआई पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है।
कथन-II:
यह भूवैज्ञानिक सूचना और स्थानिक डेटा के प्रसार के लिए नवीनतम कंप्यूटर-आधारित प्रौद्योगिकियों का उपयोग करता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q31) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

रोग	टीका
मलेरिया	Sputnik V
डेंगू	DEN-2
टाइफाइड	iNCOVACC

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q32) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
तूफान हिलेरी की उत्पत्ति मेक्सिको की मुख्यभूमि के तट पर एक उष्णकटिबंधीय तूफान के रूप में हुई।
कथन-II:
यह 84 वर्षों में दक्षिणी कैलिफोर्निया में आने वाला पहला उष्णकटिबंधीय तूफान है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q33) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

विदेशी मुद्रा भंडार एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित पर रखी गई संपत्ति है।

कथन-II:

भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में केवल अमेरिकी डॉलर हैं।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q34) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

बांध	स्थान
पोंग	हिमाचल प्रदेश
श्रीशैलम	कर्नाटक
नागार्जुन सागर बांध	तमिलनाडु

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q35) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

ग्राफीन का उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में दवा वितरण और बायोसेंसर के लिए किया जाता है।

कथन-II:

ग्राफीन की तुलना में तांबा बेहतर तरीके से बिजली का संचालन करता है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q36) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजना 2022 में शुरू की गई थी।

कथन-II:

योजना के तहत पात्र होने के लिए उद्योग का स्वामित्व और नियंत्रण भारतीय नागरिक के पास होना चाहिए।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q37) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

जीआई टैग	स्थान
रसगुल्ला	ओडिशा
पलानी पंचमीर्थम	तेलंगाना
मैटी केला	तमिलनाडु

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q38) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 को लुधियाना में हुआ था।

कथन-II:

ब्रिटिश अधिकारी कर्ज़न वायली की हत्या के आरोप में उन्हें मात्र 24 वर्ष की उम्र में फाँसी दे दी गई।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q39) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

UNCTAD संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा नहीं है।

कथन-II:

इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q40) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

फसल का नाम	Type
मक्का	खरीफ फसलें
जई	रबी फसलें
सोयाबीन	ख़रीफ़ फसलें

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q41) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस एक प्रगतिशील बीमारी है।
कथन-II:
इसे लू गेहरिग रोग के नाम से भी जाना जाता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q42) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
COVID-19 वैरिएंट EG.5.1 डेल्टा वैरिएंट का वंशज है।
कथन-II:
WHO द्वारा समग्र जोखिम मूल्यांकन इस संस्करण को उच्च जोखिम स्तर पर रखता है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q43) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

हाइड्रोजन	उत्पादन
ग्रे हाइड्रोजन	जीवाश्म ईंधन से उत्पादित
ब्लू हाइड्रोजन	कार्बन कैप्चर और भंडारण के साथ जीवाश्म ईंधन से उत्पादित।
ग्रीन हाइड्रोजन	पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित।

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?
(A) केवल एक
(B) सिर्फ दो
(C) सभी तीन
(D) कोई नहीं

Q44) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
सोरायसिस एक क्रोनिक ऑटोइम्यून स्थिति है।
कथन-II:
दवा से इसका पूर्ण इलाज संभव है।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q45) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें
कथन-I:
पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में ब्राज़ील में हुआ था।
कथन-II:
13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 में भारत में था।
उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है
(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है
(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है
(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

IASBABA

Q46) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

लूनर मिशन	देश
Pioneer 1	USA
Chandrayaan-1	India
Luna 1	Russia

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q47) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने (पीआरआईपी) योजना 16 अगस्त 2023 को शुरू की गई थी।

कथन-II:

यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q48) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

मानसून भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों आदि के लिए विशिष्ट है।

कथन-II:

दक्षिण-पश्चिम मानसून तिब्बती और साइबेरियाई पठारों पर उच्च दबाव वाली सेलों से जुड़ा है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

Q49) निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें:

परमाणु ऊर्जा संयंत्र	स्थान
ज़ापोरिज्जिया	यूक्रेन
फुकुशिमा	चीन
चेरनोबिल	रूस

उपरोक्त में से कितने जोड़े सही सुमेलित हैं?

(A) केवल एक

(B) सिर्फ दो

(C) सभी तीन

(D) कोई नहीं

Q50) निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

कथन-I:

क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय होती हैं।

कथन-II:

क्षेत्रीय परिषदों में उत्तर पूर्वी राज्यों को शामिल नहीं किया गया है।

उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

(A) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है

(B) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है

(C) कथन-I सही है लेकिन कथन II ग़लत है

(D) कथन-I गलत है लेकिन कथन II सही है

KEY ANSWERS

Ans 1	**C**	**Ans 2**	**B**
Ans 3	**C**	Ans 4	B
Ans 5	**B**	Ans 6	C
Ans 7	**A**	Ans 8	D
Ans 9	**C**	Ans 10	D
Ans 11	**C**	Ans 12	D
Ans 13	**A**	Ans 14	B
Ans 15	**B**	Ans 16	A
Ans 17	**B**	Ans 18	A
Ans 19	**A**	Ans 20	B
Ans 21	**B**	Ans 22	C

Ans 23	**D**	Ans 24	C
Ans 25	**A**	Ans 26	D
Ans 27	**C**	Ans 28	A
Ans 29	**A**	Ans 30	D
Ans 31	**A**	Ans 32	B
Ans 33	**C**	Ans 34	A
Ans 35	**C**	Ans 36	D
Ans 37	**B**	Ans 38	D
Ans 39	**D**	Ans 40	C
Ans 41	**B**	Ans 42	C
Ans 43	**C**	Ans 44	D
Ans 45	**D**	Ans 46	B
Ans 47	**C**	Ans 48	C
Ans 49	**A**	Ans 50	D

IASBABA

IAS BABA
ONLINE
Baba's ILP Students 3 RANKS in TOP 30
KRITIKA GOYAL Rank 14
G V S PAVANDATTA Rank 22
GUNJITA AGRAWAL Rank 26
Most Trusted
Integrated Learning Program (ILP) - 2024
The Most Comprehensive Self-Study Program
VAN (Comprehensive Notes for entire UPSC Syllabus)
Mains Tests-59 and Discussion Videos
Daily MICRO Planning
Dedicated Portal and App
Prelims Tests-67
Effective NewsPaper Reading Sessions
Answer writing forum & Model Answers
Infographics on important topics
1
2
3
4
5
6
7
8
ADMISSION OPEN
www.iasbaba.com
support@iasbaba.com
91691 91888